जामिया दर्पण

प्रवेशांक, मार्च 2018

मातृभाषा दिवस, दिनांक 21 फरवरी 2017

विश्व हिंदी दिवस समारोह, दिनांक 11 जनवरी 2016

राजभाषा हिंदी संगोष्ठी एवं प्रमाणपत्र वितरण समारोह
दिनांक 29 सितम्बर 2014

विश्व हिंदी दिवस, दिनांक 10 जनवरी 2017

हिंदी व्याख्यान, दिनांक 29 सितम्बर 2014

जामिया दर्पण

राजभाषा हिंदी प्रकोष्ठ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की पत्रिका

प्रवेशांक, मार्च 2018

संरक्षक

प्रो. तलत अहमद, कुलपति

प्रो. शाहिद अशरफ़, सम–कुलपति

प्रधान संपादक

श्री ए.पी. सिद्दीक़ी, आईपीएस, कुलसचिव

संपादक

डॉ. राजेश कुमार 'माँझी'

सह–संपादक

यशपाल

संपादन सहयोगी

नदीम अख़्तर

हरी नारायण

संपादकीय कार्यालय

राजभाषा हिंदी प्रकोष्ठ

कुलसचिव कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

नई दिल्ली–110025

दूरभाषः 011–26981717 एक्स.: 1223

ई–मेलः hindicell@jmi.ac.in

लेखक के विचारों से संपादक मंडल का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

अनुक्रम

कुलपति का संदेश

सम–कुलपति का संदेश

कुलसचिव का संदेश

संपादकीय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया : परिचय / 9

जामिया तराना / 10
मु. ख़लीक़ सिद्दीक़ी

संवैधानिक प्रावधान / 11
साभारः राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ऑफिशियल वेबसाइट

वेब मीडिया और हिंदी / 19
डॉ. मुकेश कुमार मिरोठा

कंप्यूटर योग / 26
आनंद कुमार श्रीवास्तव

ज्ञान ज्योति (एकांकी) / 27
डॉ. राजेश कुमार 'माँझी'

इस्लाम धर्म एवं आधुनिक शिक्षा / 35
आज़म सिद्दीक़ी

ब्रजभाषा का सांस्कृतिक परिदृश्य / 38
डॉ. यशपाल

भारतीय रेडियो प्रसारण के नब्बे वर्ष / 40
सुरेश वर्मा

जंग–ए–आज़ादी में मुसलमानों का योगदान / 47
आदिल अली

डोगरीः मेरी भाषा / 50
पद्मा सचदेव

राजभाषाः विविध संदर्भ / 54
नदीम अख़्तर

न्यू इंडिया की दिशाहीन युवा पीढ़ी / 56
शुभम पांडे

"क्षमा" सफल जीवन का एक रामबाण उपाय / 57
सुरैय्या ख़ातून

समावेशी शिक्षाः एक प्रयास / 58
सना परवीन

मेरे पिताजी (संस्मरण) / 59
कनीज़ फातिमा

राजभाषा हिंदी प्रकोष्ठ, जामिइ द्वारा आयोजित कार्यक्रम / 65

कविताएँ

संस्कृत काव्य / 62
प्रो. गिरीश चन्द्र पंत

नीम का पेड़ / 18. ऐ माँ / 18. आओ लिखें / 37. मैं तुमसे दूर क्यों नहीं जाती / 53
अपर्णा दीक्षित

अनिकेत / 25. आज़ाद / 39. जीवन / 60. धड़कनें / 60. आदमी / 64
डॉ. मुकेश कुमार मिरोठा

ये दुनिया एक मुसाफ़िरख़ाना / 32
मुमताज़ अली

गाँव का अंत / 33
प्रो. चंद्रदेव यादव

अचेत / 46. निर्वाण / 46
रणबीर सिंह

दिल्ली / 46. अस्तित्व की लड़ाई / 58
डॉ. सत्यप्रकाश प्रसाद

पागल महिला / 61. ख़त / 64
केशव दहिया

मैं और प्रीतम / 63. कारण / 63
सरफ़राज़ नवाज़

अनुभूति / 63. चुनाव / 63
सोमवीर शर्मा

JAMIA MILLIA ISLAMIA
(A Central University by an Act of Parliament)
Maulana Mohammad Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025

जामिया मिल्लिया इस्लामिया
(संसदीय अधिनियमानुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, नई दिल्ली–110025

جامعہ ملیہ اسلامیہ
(پارلیمانی ایکٹ کے تحت ایک مرکزی یونیورسٹی)
مولانا محمد علی جوہر مارگ، نئی دہلی۔۱۱۰۰۲۵

Tel.: 26984650, 26985180, **Fax.:** 0091-11-26981232 | **Email:** vc@jmi.ac.in, tahmad@jmi.ac.in | **Web:** jmi.ac.in

Professor Talat Ahmad
FNA, FASc., FNASc., J.C. BOSE Fellow
Vice Chancellor

प्रोफेसर तलत अहमद
एफएनए, एफएएससी, एफएनएएससी, जे.सी. बोस फेलो
कुलपति

پروفیسر طلعت احمد
ایف این اے، ایف اے ایس سی، ایف این اے ایس سی، جے سی بوس فیلو
شیخ الجامعہ

(ACCREDITED "A" GRADE BY NAAC)

कुलपति का संदेश

यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के राजभाषा हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा "जामिया दर्पण" पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। सर्वविदित है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार और श्रीवृद्धि करने का आह्वान किया गया है ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व इस दिशा में और भी अधिक बढ़ जाता है कि हम भारतीय संविधान में वर्णित राजभाषा संबंधित अनुच्छेदों के अनुरूप कार्य करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि "जामिया दर्पण" इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि "जामिया दर्पण" जामिया के नवसृजकों को अपनी रचनात्मक क्षमता प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान करेगी और राजभाषा हिंदी के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देगी।

तलत अहमद

(प्रो. तलत अहमद)

JAMIA MILLIA ISLAMIA
Accredited by NAAC in 'A' Grade
(A Central University by an Act of Parliament)
Maulana Mohammad Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025
जामिया मिल्लिया इस्लामिया
(संसदीय अधिनियमानुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, नई दिल्ली–110025

Tel. :26981717
Extn. : 1040 / 1041
Fax : 011-26980229
Email : sashraf@jmi.ac.in
Web : http//jmi.ac.in

Prof. Shahid Ashraf
Pro-Vice Chancellor

सम–कुलपति का संदेश

बहुत खुशी की बात है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया "जामिया दर्पण" पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है जिसके प्रकाशन की जिम्मेदारी राजभाषा हिंदी प्रकोष्ठ, कुलसचिव कार्यालय को सौंपी गई है। मुझे उम्मीद है कि "जामिया दर्पण" राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार में सहायक सिद्ध होगी और साथ ही जामिया के कर्मचारियों को अपनी रचनात्मकता प्रस्तुत करने का मौका भी प्रदान करेगी।

(प्रो. शाहिद अशरफ़)

JAMIA MILLIA ISLAMIA
Accredited by NAAC in 'A' Grade
(A Central University by an Act of Parliament)
Maulana Mohammad Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025
Tel. :26981717
Extn. : 1040 / 1041
Fax : 011-26980229
G : JAMIA

जामिया मिल्लिया इस्लामिया
(संसदीय अधिनियमानुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, नई दिल्ली–110025
E-mail : registrar@jmi.ac.in
apsiddui@jmi.ac.in
Website : http//jmi.ac.in

A.P. Siddiqui (IPS)
Registrar

कुलसचिव का संदेश

भारत में विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं तथा अन्य विविधताओं के बावजूद अनेकता में एकता पाई जाती है। इस अनेकता में एकता का श्रेय एक सीमा तक हिंदी भाषा को भी जाता है क्योंकि हिंदी देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली एक जनभाषा है। जनभाषा होने के कारण यह पूरे देश को एकता के सूत्र में बाँधती है। हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। केंद्रीय सरकार के काम–काज को निष्पादित करने में राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। राजभाषा हिंदी से संबंधित गृह–पत्रिकाओं के माध्यम से राजभाषा हिंदी का विकास हो रहा है और मुझे विश्वास है कि "जामिया दर्पण" राजभाषा हिंदी को एक नया आयाम देगी।

"जामिया दर्पण" में संकलित रोचक लेखों, कविताओं, नाटक इत्यादि से पाठक लाभान्वित होंगे और राजभाषा हिंदी में अपने कार्यलायी कार्य को निष्पादित करने के दिए प्रेरित होंगे। पत्रिका में संकलित रचनाओं के लिए मैं रचनाकारों को बधाई देता हूँ और इस पत्रिका को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के राजभाषा हिंदी प्रकोष्ठ को शुभकामनाएँ देता हूँ।

(ए.पी. सिद्दीक़ी) आईपीएस
कुलसचिव

संपादकीय .....

सर्वविदित है कि भारत एक बहुभाषी देश है। देश की बहुभाषिकता को कायम रखने के लिए और भारत की अखंडता, भावात्मक एकता एवं सांस्कृतिक समृद्धि हेतु हम सभी का जागृत होना अति आवश्यक है। अपनी भाषा तथा सभ्यता–संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता से ही हम भारत की अक्षुण्ण पहचान को बरकरार रख सकते हैं। राष्ट्रप्रेम, सामाजिक समता, लोकतांत्रिकता, सर्वधर्म सम्भाव, लैंगिक समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पारस्परिक सौहार्द आदि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों को जागृत करना किसी भी शिक्षण संस्थान का मूल उद्देश्य होता है।

स्थापना वर्ष से लेकर आज तक जामिया मिल्लिया इस्लामिया का यही उद्देश्य रहा है कि वह विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जागृत कर सके। "जामिया दर्पण" का प्रकाशन इसी शृंखला की एक कड़ी है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता को एक मंच प्रदान करना है और साथ ही राजभाषा हिंदी के कार्य को आगे बढ़ाना है।

संघ की राजभाषा होने के साथ ही हिंदी का एक जनपदीय स्वरूप भी है जो उसकी बोलियों/क्षेत्रों से संबंधित और सहयोजित है। इस रूप में हिंदी भाषा, अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, बुंदेलखंडी और ब्रज आदि अनेक बोलियों या यूँ कहें कि अनेक भाषाओं का समुच्चय है। इसके अतिरिक्त हिंदी का एक अन्य रूप भी है जिसकी प्रकृति राष्ट्रीय है। हिंदी अपने इस व्यापक रूप में अन्य भारतीय भाषाओं के साथ सम्पर्क–सूत्र अर्थात् सम्पर्क–भाषा का भी कार्य करती है तथा भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम है।

"जामिया दर्पण" में इसी उपर्युक्त सामासिक संस्कृति की अनुगूँज आपको सुनाई देगी क्योंकि इसमें जिन रचनाओं को शामिल किया गया है उनके रचनाकार भिन्न–भिन्न पृष्ठभूमि के हैं परंतु उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए हिंदी को एक माध्यम के रूप में अपनाया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि "जामिया दर्पण" द्वारा जामिया के रचनाकारों की आवाज़ आपके दिल तक अवश्य पहुँचेगी।

पत्रिका को मूर्त रूप प्रदान करने में जामिया के प्राधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अतः मैं कुलपति प्रो. तलत अहमद, सम–कुलपति प्रो. शाहिद अशरफ़, कुलसचिव श्री ए.पी. सिद्दीकी, आईपीएस और श्री संजय कुमार, वित्त अधिकारी के प्रति हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। जामिया की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों के प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिनकी प्रेरणा से यह पत्रिका आपके हाथों में है। साथ ही मैं पत्रिका के सभी रचनाकारों के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपनी रचनाएँ हमें भेजी हैं। "जामिया दर्पण" के प्रकाशन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिनका भी सहयोग हमें प्राप्त हुआ है उनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। "जामिया दर्पण" को और बेहतर बनाने के लिए सुधी पाठकों के बहुमूल्य सुझावों का स्वागत है।

डॉ. राजेश कुमार 'माँझी'

जामिया मिल्लिया इस्लामिया : परिचय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे 1920 में अलीगढ़ में स्थापित किया गया। तदुपरांत करोल बाग, दिल्ली में स्थानांतरित हुआ और उसके बाद जामिया नगर में स्थापित हुआ। 1988 में यह संसदीय अधिनियमानुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, उसके बाद से यह नए आयामों को प्राप्त करते हुए विभिन्न दिशाओं में विस्तार कर रहा है। यह विश्वविद्यालय अपने संस्थापकों, अर्थात् शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन, मौलाना मौहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल ख़ान, डॉ. मुख़्तार अहमद अंसारी, जनाब अब्दुल मजीद ख़्वाजा और डॉ. ज़ाकिर हुसैन के अथक प्रयासों का परिणाम है। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन लाने के इन महान लोगों के स्वप्नों के दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया मूल रूप से औपनिवेशिक शासन के खिलाफ शिक्षा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए संघर्ष के आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ और आम भारतीयों के लिए इसने एक राष्ट्रीय संस्कृति विकसित की। इसकी स्थापना भारतीयों में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय सदभावना के विकास के लिए हुई। इस महान संस्था के संस्थापकों का मिशन केवल सभी हितधारकों के लिए एक प्रकाश स्तम्भ स्थापित करना ही नहीं था, बल्कि इस विश्वविद्यालय को विश्व में शिक्षा के प्रमुख संस्थान के रूप में स्थापित करना भी था जिससे यह अधिगम के अत्याधुनिक अनुभव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक शिक्षा, बौद्धिक स्वतंत्रता और समकालीन चिंतन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शोध के अवसर प्रदान करने में विशिष्टता प्राप्त कर सके।

प्रतीक चिह्न (Logo) का महत्व

जामिया के प्रतीक चिह्न में सबसे ऊपर 'अल्लाह हु अकबर' के साथ एक सितारा रोशन है। अंधेरी रात में जब भटके हुए मुसाफिर जंगल को पार करना चाहते हैं और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता तब वह सितारों की मदद से अपना रास्ता तय करते हैं। अल्लाह हु अकबर का सितारा जामिया का निर्देशक सितारा है। इसकी नज़रें उस सितारे पर टिकी रहती हैं जो कि इस अँधेरी दुनिया में रास्ता दिखाता है। यह इस सच्चाई को दर्शाता है कि अल्लाह महान है और जो उसके आगे अपना सिर झुकाता है वह सच की खोज कर लेता है, जो उसके आगे झुकता है वह किसी और के आगे कैसे झुक सकता है? इस चमकते सितारे के नीचे एक किताब है जिस पर इबारत 'अल्लामल इन्साना मालम यअलम' (इंसान को उसकी तालीम दें जो वह नहीं जानता) लिखी है। यह कुरआन–ए–पाक है। यह ग्रन्थ अँधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है, और स्वेच्छाचारियों एवं भटके हुए को सीधे मार्ग पर लाता है। किताब के दोनों तरफ दो खजूर के पेड़ हैं, यह अनूठी भूमि है जहाँ खुदा के आखिरी नबी पैदा हुए थे। यह उस बंजर घाटी का प्रतीकात्मक रूप है जहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता था, लेकिन यहीं पर दीन के पौधे की जड़ें जमीं। यह दरख़्त उस धरती पर उम्मीद के प्रतीक हैं जहाँ कोई पौधा या फूल भी नहीं उग पाता था। सबसे नीचे एक छोटा अर्धचंद्र है जिसमें 'जामिया मिल्लिया इस्लामिया' अरबी भाषा में लिखा है।

मु. ख़लीक़ सिद्दीक़ी

जामिया का तराना

दयारे शौक़ मेरा, दयारे शौक़ मेरा
शहरे आरज़ू मेराशहरे आरज़ू मेरा

हुये थे आ के यहीं ख़ेमाज़न वह दीवाने
उठे थे सुन के जो आवाज़े रहबराने वतन
यहीं से शौक़ की बेरबतियों को रब्त मिला
इसी ने होश को बख़शा जुनूँ का पैराहन
यहीं से लालये सहरा को यह सुराग़ मिला
के दिल के दाग़ को किस तरह रखते हैं रोशन

दयारे शौक़ मेरा, शहरे आरज़ू मेरा

यह अहले शौक़ की बस्ती ये सरफिरों का दयार
यहाँ की सुबह निराली यहाँ की शाम नई
यहाँ के रसमो रहे मयकशी जुदा सबसे
यहाँ के जाम नये तरहे रक़्से जाम नई
यहाँ पे तिशनालबी मयकशी का हासिल है
यह बज़्मे दिल है यहाँ की सलाये आम नई

दयारे शौक़ मेरा, शहरे आरज़ू मेरा

यहाँ पे शमए हिदायत है सिर्फ़ अपना ज़मीर
यहाँ पे क़िबला.ए ईमान काब.ए दिल है
सफ़र है दीन यहाँ, कुफ़्र है क़याम यहाँ
यहाँ पे राहरवी ख़ुद हुसूले मन्ज़िल है
शनावरी का तक़ाज़ा है नौ ब नौ तूफाँ
कनारे मौज में आसूदगीए साहिल है

दयारे शौक़ मेरा, शहरे आरज़ू मेरा

राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान*

भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग–17

अध्याय 1––संघ की भाषा

अनुच्छेद 120.
संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा –

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा

   परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ–भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

2. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो ।

अनुच्छेद 210:
विधान–मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा –

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान–मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

2. जब तक राज्य का विधान–मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो :

   परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान–मंडलों के संबंध में, यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों

   परंतु यह और कि अरूणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान–मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों ।

अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा––

1. संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

2. खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था :

   परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

---

*राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट से साभार।

3. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा

क. अंग्रेजी भाषा का, या

ख. अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344.
राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति––

1. राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

2. आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को––

क. संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

ख. संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

ग. अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

घ. संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

ङ. संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।

3. खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

4. एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

5. समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1)के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

6. अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

अध्याय 2– प्रादेशिक भाषाएं

अनुच्छेद 345.
राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं––

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगाः

परंतु जब तक राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा––

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347.
किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध––

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अध्याय 3 –
उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा––

1. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा

उपबंध न करे तब तक––

उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी,

संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान–मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

संसद या किसी राज्य के विधान–मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और

इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान–मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

2. खंड(1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगाः

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

3. खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान–मंडल ने,उस विधान–मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iv) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349.
भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया––

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय 4–– विशेष निदेश

अनुच्छेद 350.
व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा––

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 350 क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं––

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350
ख. भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए विशेष अधिकारी ––

1. भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

2. विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे,

   राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अनुच्छेद 351.
हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश––

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द–भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

राजभाषा अधिनियम, 1963
(यथासंशोधित,1967)
(1963 का अधिनियम संख्यांक 19)
उन भाषाओं का, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी,उपबन्ध करने के लिए अधिनियम । भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

1. यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।

2. धारा 3, जनवरी, 1965 के 26 वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं––इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

'नियत दिन' से, धारा 3 के सम्बन्ध में, जनवरी, 1965 का 26वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के सम्बन्ध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबन्ध प्रवृत्त होता है।

'हिन्दी' से वह हिन्दी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना––

संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही, संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी तथा संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी :

परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगीः

परन्तु यह और कि जहां किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाया जाता है, वहाँ हिन्दी में ऐसे पत्रादि के साथ–साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा :

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा ।

1. उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी या अंग्रेजी भाषा––

– केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच

– केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के बीच

– केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कम्पनी या कार्यालय के बीच प्रयोग में लाई जाती है वहां उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय,

विभाग, कार्यालय या विभाग या कम्पनी का कर्मचारीवृद हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिन्दी में भी दिया जाएगा।

2. उपधारा (1)में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही––

– संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं

– संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज–पत्रों के लिए

– केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में, या किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा–प्ररूपों के लिए, प्रयोग में लाई जाएगी।

3. उपधारा (1)या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि केन्द्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबन्ध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी मंत्रालय,विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जन साधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिन्दी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं है उनका कोई अहित नहीं होता है।

4. उपधारा (1)के खंड (क) के उपबन्ध और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), के उपबन्ध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

राजभाषा के सम्बन्ध में समिति –

0. जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात, राजभाषा के सम्बन्ध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी।

1. इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

2. इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करें और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करें और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन

को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएंगे और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएंगे।

3. राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेंगेः

परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे ।

केन्द्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद–

0. नियत दिन को और उसके पश्चात शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित––

– किसी केन्द्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का, अथवा

– संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिन्दी में अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

1. नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के, जो संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके समबन्ध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ–साथ उनका हिन्दी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद–

जहाँ किसी राज्य के विधानमण्डल ने उस राज्य के विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिन्दी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां, संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिन्दी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से, नियत दिन को या उसके पश्चात प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिन्दी में अनुवाद हिन्दी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग–

नियत दिन से ही या तत्पश्चात किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ–साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

नियम बनाने की शक्ति –

0. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

1. इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के हर एक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में, अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रममिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रुप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया

जाना चाहिए तो तत्पश्चात यह निस्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निस्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कतिपय उपबन्धों का जम्मू–कश्मीर पर लागू न होना–

धारा 6 और धारा 7 के उपबन्ध जम्मू–कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होंगे।

संघ की राजभाषा नीति

संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतराष्ट्रीय रूप है {संविधान का अनुच्छेद 343 (1)}। परन्तु हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है (राजभाषा अधिनियम की धारा 3)।

संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। परन्तु राज्यसभा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। {संविधान का अनुच्छेद 120}

किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किन के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है, यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निदेशों द्वारा निर्धारित किया गया है।

*****

नीम का पेड़

– अपर्णा दीक्षित*

आज मन कुछ ठीक नहीं
अपने घर के बाहर वाला नीम का पेड़ याद आ रहा है।
बड़ा गहरा रिश्ता रहा हमारा
माँ की छड़ी से उसने मुझे कई बार बचाया।
उसकी डालो ने मेरा भारी वजन उठाया।
अनीता मेरे बचपन की सहेली
रोज शाम मुझसे वहीं मिलने आती थी
बातें करती जाती और अपने नाखूनों से पेड़ को कुरेदती थी।
बहरी बुआ को जब खुजली हुई तो उसी पेड़ से नीम की पत्ती तुड़वाने आती थीं।
चबूतरे पर बैठतीं खैनी पीटतीं और मोहल्ले भर को गरियाती थीं।
गंगाचरण चाचा का लड़का मदन एक बार मुझसे वहीं भिड़ गया
मुझे मार कर भागा और चबूतरे पर गिर गया।
दीपावली में हम उस पेड़ के नीचे घरौंदा बनाते थे।
गोबर से लीपते और फिर दिया जलाते थे।
अबकी बार घर गई तो पेड़ कट चुका था।
चबूतरे पर देखा तो एक नाखून, दीये का टुकडा, बुआ की खैनी और मेरा बचपन पड़ा था।

ऐ माँ...

ऐ माँ...

सुनो न...
जब मैं रोना चाहती हूँ, और रो नहीं पाती
मेरे उदास चेहरे, कांपते होठों और बरौनियों के परदे से
झांकते आंसुओं को तुम देख लेती हो न,
मेरे दिल से उठी उमंगों के उफान को जब मैं अपने
अभिव्यक्ति हीनता के बाँध से रोक देती हूँ,
तुम उसे अपने दिल में महसूस करती हो न।
ऐ माँ...

सुनो न...
अपनी गलतियों को जब मैं अपने चेहरे के बनावटी भावों से नकार देती हूँ
तुम उसे पहचान कर माफ करती हो न,
ऐ माँ...

सुनो न...
तुम सब जानती हो न।

* शोध सहायक, सरोजिनी नायडू महिला अध्ययन केंद्र
जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली–25

आलेख

वेब मीडिया और हिंदी

– डॉ. मुकेश कुमार मिरोठा*

"इस शताब्दी के आगमन तक सामाजिक परिवर्तन इतना धीमा था कि किसी व्यक्ति के पूरे जीवनकाल में उस पर कोई ध्यान ही नहीं जाता था। अब ऐसा नहीं है। परिवर्तन की रफ्तार इतनी बढ़ गई है कि हमारी कल्पनाशक्ति भी उसके साथ नहीं चल सकती है।" ('सी. पी. स्नो' वैज्ञानिक और उपन्यासकार)

मानव जाति का इतिहास पाषाण युग को पार करता हुआ 'क्लिक युग' एवं 'टच युग' में पदार्पण कर चुका है। सामाजिक परिवर्तन का यह दौर सार्वभौमिक रूप में सदैव विद्यमान रहा है। किंतु आज सम्पूर्ण विश्व, मीडिया के बड़े धमाके अर्थात् मीडिया के तेज प्रसार से कम्पायमान है, दोलायमान है। परिवर्तन की इन लहरों की तेजी आश्चर्यचकित करती है, क्योंकि इसके कारण समाज, संस्कृति यहाँ तक कि हमारे विचारों तक में बदलाव आया है। वस्तुतः यह 'सूचना समाज' के आगमन को संकेतित करता है, जहाँ इससे प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा प्रत्येक इंसान 'सूचना–साइबोर्ग' के रूप में नजर आता है। सूचना तकनीक की नवीन उपलब्धियाँ संचार माध्यमों को हम तक पहुंचाने के साथ–साथ सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को भी नए रूप प्रदान कर रही है। प्रौद्योगिकी के इस दौर में मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उभरा है। इसके प्रति लोगों का आकर्षण प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। परम्परागत प्रिंट माध्यम के मुकाबले 'न्यू मीडिया' का तेजी से विस्तार हुआ है। भूमण्डलीकरण, निजीकरण, बाजारवाद और सूचना–विस्फोट के कारण से मीडिया का दायरा काफी विस्तृत हुआ है। एक स्वतंत्र मीडिया, लोकतंत्र का प्राण होता है, अतः सशक्त जनमाध्यम भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के लिए आवश्यक भी हो जाता है। जनता एवं सरकार को उसकी जिम्मेदारी का अहसास दिलाकर मीडिया ने अपनी भूमिका का सफल निर्वहन किया है।

कागज और कलम रहित माध्यम के रूप में पहचान रखने वाला वेब मीडिया सामाजिक संदर्भों से अछूता नहीं रह पाया है। भाषा भी सामाजिक व्यवहार की वस्तु है, अतः सामाजिक संदर्भों के साथ उसमें भी परिवर्तन आता है। भाषा मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान है। प्रत्येक भू–भाग की भाषा उस देश की संस्कृति, विचार–प्रणाली और कार्य–पद्धति से संबंधित होती है। भाषा विचारों को दूसरों तक पहुँचाने का साधन भी है। ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजी समाचार–पत्रों का वर्चस्व कायम था। स्वतंत्रता पश्चात् हिंदी के एवं उसके बाद अनेक क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार–पत्रों ने आशातीत प्रगति की। इसे 'मौन' या 'मूक–क्रांति' का नाम दिया गया। आधुनिक मीडिया में भी भाषिक स्तर पर इसी तरह की एक क्रांति चल रही है। वस्तुतः प्रत्येक शब्द की अपनी सत्ता होती है। विभिन्न सामाजिक संदर्भों में भाषा का स्वरूप एक समान नहीं रहता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भाषाओं की प्रकृति लचीली होती है, अतः किसी भी भाषा से कोई भी काम लिया जा सकता है। कमोबेश यही स्थिति मीडिया के संदर्भ में 'हिंदी' को लेकर नजर आती है। हिंदी के महान प्रचारक मोटूरि सत्यनारायण ने हिंदी के ऐसे रूप को 'जनसंचारी हिंदी' कहा है, जिसमें पत्रिका, विज्ञापन और संचार माध्यमों में प्रयुक्त होने वाला भाषा रूप हो। मीडिया में हिंदी का जो रूप हमें दिखाई देता है, उसमें कई शैलियाँ अन्तर्निहित होती है।

भाषा और संस्कृति का घनिष्ठ संबंध होता है। यदि साहित्य को समाज का दर्पण माना जाता है तो भाषा को संस्कृति का दर्पण समझने में कोई परेशानी

*सहायक प्रोफेसर, हिंदी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली–110025 मो.: 09312809766

नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में जब चारों तरफ 'मीडिया कल्चर' का शोर हो तो भाषा और मीडिया के संबंधों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। मशहूर विचारक सच्चिदानन्द सिन्हा भाषा और संस्कृति के रिश्तों की पड़ताल करते हुए लिखते हैं– "भाषा जो प्रतीकों का समुच्चय होती है, संस्कृतियों के संकलन और संप्रेषण का सबसे सबल माध्यम होती है। चूँकि सम्प्रेषण आम बोलचाल की भाषा के अलावा नृत्य, संगीत, ललित कला और काव्य की भाषाओं के माध्यम से भी होता है – बल्कि अधिक सशक्त रूप से।" यहाँ हम सम्प्रेषण के एक ओर सबल माध्यम 'वेब मीडिया' का भी नामोल्लेख कर सकते हैं। वस्तुतः वेब मीडिया अपने आप में स्वतंत्र विश्वविद्यालय है, जहाँ प्रत्येक भाषा का स्वतंत्र विभाग है। भाषा के बंधनों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। अपितु 'फीडबैक' और 'सहभागिता' जैसे तत्त्व इसे सम्पूर्ण ही बनाते हैं। जहाँ शब्द की सत्ता हमें ज्ञान से परिचय कराती है, वहीं संचार माध्यम हमें जानकारी देने का कार्य करते हैं। शब्द की सत्ता का प्रधान केन्द्र साहित्य को माना जाता है। अतः साहित्य शाश्वत रहता है और मीडिया संद्यः प्रभावकारी रूप में दिखता है। आलोचक ब्रह्मस्वरूप शर्मा इसे गंभीरता बनाम सरलता का सवाल मानते हुए प्रत्युत्तर में लिखते हैं – "गंभीरता के नाम पर क्लिष्टता और सरलता के नाम पर बाजारूपन कभी वांछनीय नहीं रहे। न साहित्य सरलता का विरोधी रहा है और न ही संचार माध्यम गंभीरता के। वस्तुतः संचार माध्यम सहज सरल भाषा में इतनी गंभीर बात कह जाते हैं कि उसकी दार्शनिक विवेचना की आवश्यकता होती है।" हम कह सकते हैं कि संचार माध्यम इस तरह से अपने को, जनता की भाषा में, जनता के वर्तमान संदर्भों से जोड़कर रख पाता है। आधुनिक ज्ञान प्राप्ति में 'वेब मीडिया' की इस भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः वेब मीडिया और भाषा एक दूसरे के सहयोगी माने जा सकते हैं। इस संदर्भ में भारत के प्ररिप्रेक्ष्य में हिंदी और वेब मीडिया के आपसी संबंधों की पड़ताल जरूरी हो जाती है।

वर्तमान समय में हिंदी की स्थिति भारत के वेब मीडिया के संदर्भ में संतोषजनक मानी जा सकती है, फिर भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि भविष्य में इसकी स्थिति और मजबूत बनें। तमाम अवरोधों, कठिनाईयों के बावजूद हिंदी ने वेब मीडिया में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है। हिंदी की ग्राह्यता, सामासिक सौन्दर्य, साहित्य तथा व्यवहार का लचीलापन उसकी उदारता के प्रतीक एवं परिचायक है। हिंदी की समन्वित भावना के महत्त्व को बताते हुए जर्मन रेडियो डॉएचे वेले के विद्वान डॉ. श्लैंडर लिखते हैं – "भाषा लोगों के बीच संवाद का माध्यम है, बोलचाल के दौरान विकसित होती है। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ हिंदी एक व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, शब्दों का विकास अलग–अलग परिवेश और भावना के समन्वय से हो रहा है। तेजी से करीब आते विश्व में नए शब्दों की जरूरत हो रही है, उनकी रचना की जा रही है।" डॉ. श्लैंडर यहाँ हिंदी की उदार, सहज स्वीकार्य शैली की प्रशंसा करते हैं। हिंदी का दायरा विस्तृत है, यही उसकी सबसे बड़ी गुण मानी जा सकती है। वेब मीडिया में हो रहे भाषिक संक्रमण के कारण शुद्धतावादी लोग हिंदी को बचाने की वकालत करने लगते हैं। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि हिंदी इतनी कमजोर भाषा नहीं है कि अन्य भाषा के चंद शब्द उसे भ्रष्ट या खराब कर दें। हिंदी तो बहती हुई नदी के समान है, जिसे किसी भी तरह का बंधन या मानक रोक नहीं सकता है। अगर रोकने की कोशिश भी की जाती है तो वह तमाम बंधनों को तोड़ने का दम भी रखती है। हिंदी की यही विशेषता उसे वेब मीडिया के अनुकूल और उपयोगी बनाती है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संपादक, समाचार संपादक, उपसंपादक आदि पद होते हैं, जो भाषिक त्रुटियों को दूर करने का कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का द्वारपाल भी कहा जाता है। मीडिया की व्यापक दुनिया में अब कई ऐसे माध्यम भी हैं, जहाँ तक इन द्वारपालों की पहुँच मुमकीन नहीं है। 'ब्लॉग' एक ऐसा ही माध्यम है, जो तमाम तरह के द्वारपालिक अवरोधों से मुक्त है। 'ब्लॉग' के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, किसी भी वक्त अपनी बात को करोड़ों लोगों तक पहुँचा सकता है। उसके इस कार्य में भाषा की अहम भूमिका होती है। अतः वह अपनी समझ, स्तर के आधार पर अपनी भाषा का चयन करता है। ध्यान देने की बात है कि यहाँ वह 'ब्लॉगर' मानकों का पालन

करने या न करने में पूरी तरह स्वतंत्र होता है। यही वजह है कि वेब मीडिया में हिंदी की अनेक शैलियाँ मिलती है। कहीं संस्कृतनिष्ठ या साहित्यिक हिंदी, कहीं उर्दू–फारसी मिश्रित हिंदी, कहीं सामान्य हिंदी, कहीं ग्रामीण हिंदी, कहीं लोक–बोली के रंग में रंगी हिंदी, कहीं क्षेत्रीय भाषा युक्त हिंदी और कहीं–कहीं तो 'हिंग्लिश' हिंदी का भी प्रयोग मिलता है। हिंदी की उक्त शैलियाँ आजकल पूरे वेब मीडिया के परिदृश्य पर छाई हुई है। इतनी विभिन्न शैलियों के बावजूद हिंदी सुरक्षित

क्योंकि शब्दों की भावना या उसका अर्थ महत्त्वपूर्ण ता है। प्रयोगकर्त्ता इस तरह की हिंदी का प्रयोग अपने मूह के साथ करता है, क्योंकि यहाँ उसका मकसद वल अर्थ समझाने से होता है। शब्द मर्मज्ञ महावीर ाद द्विवेदी कहते भी थे कि यह न देखना कि यह द अरबी का है या फारसी या तुर्की का। देखना सिर्फ

है कि इस शब्द, वाक्य या लेख का आशय धिकांश पाठक समझ लेंगे या नहीं। वेब मीडिया और दी के संबंध में उक्त वाक्य समीचीन प्रतीत होता है।

हिंदी भाषा का संबंध हमारी संस्कृति और कारों से है। हिंदी देश को भी जोड़ने वाली भाषा है। मीडिया का एक उद्देश्य प्रकारांतर से यही नजर ता है। हम सब इसकी सहायता से अपने विचारों का निमय करते रहते हैं। यह सहज रूप से गतिशील क्रया है। भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनता हिंदी ाा को केवल समझने में ही नहीं, उसमें से अधिकतर ग इसे पढ़ने–लिखने में भी सक्षम है। हिंदी अखबारों, रनेट साइट्स पुस्तकों, फिल्मों, चौनल्स (न्यूज एवं ोरंजक दोनों) की बढ़ती संख्या इसका प्रमाण भी है। का एक और प्रमाण वेब मीडिया में बढ़ता हिंदी का ाव है। हिंदी के विकास में वेब मडिया के योगदान नकारा नहीं जा सकता है। अब हिंदी और वेब डिया भी एक–दूसरे के प्रति समरस भाव रख रहे हैं। सद्ध साहित्यकार अशोक वाजपेयी इसके लिए हिंदी आधुनिकता की तरफ ले चलने की बात कहते हैं – दी को अपनी सारी आधुनिकता के साथ उन सब नई धियों और यंत्र व्यवस्था से समरस होना चाहिए जो ज की दुनिया में जनसंचार और संप्रेषण के क्षेत्र में क्रिय है।" आज हिंदी ने अपने को वेब मीडिया के लिए उपयुक्त बना लिया है। 'आजतक' चैनल के पूर्व न्यूज डायरेक्टर कमर वहीद नकवी के अनुसार 1995 के बाद मीडिया की भाषा काफी बदली है और अब भाषा पर एक बार फिर विचार होना चाहिए। हिंदी के कुछ आचार्य भी हिंदी के इस बदलते स्वरूप और बाजारीकरण, मीडियाकरण पर सवाल उठाते हैं। मेरा मानना है कि वेब मीडिया के इस युग में हिंदी भाषिक दीवारों को गिराकर हृदयों को जोड़ने का महती कार्य कर रही है। हिंदी ने जन–जीवन में व्याप्त अपनी ताकत को पहचान कर वेब मीडिया में अपनी जगह बना ली है। हिंदी भाषा के विद्वान भारत यायावर इस संदर्भ में लिखते हैं – "आप देखें कि आज मीडिया में, सिनेमा में, दूरसंचार में हिंदी ने भारत के बाजार में अंग्रेजी को पटखनी दे दी है। भले राजभाषा के रूप में वह दूसरे स्थान पर रहे, पर जन–जीवन में उसी की धुन बजती रहेगी।" हिंदी की यह ताकत उसकी पहचान भी है और उसके संदर्भों को समझने में सहायक भी।

वेब मीडिया पर हिंदी के बढ़ते प्रसार एवं उसकी रूपगत विविधताओं ने हिंदी भाषा के शुद्धतावादी लोगों को परेशान कर दिया है। यह अंध–भाषावाद और फासीवाद का उदाहरण माना जा सकता है। हिंदी के वेब मीडिया पर मानकीकरण या शुद्धतावादी रूप का विरोध अपने तरीके से करना चाहिए। इसके लिए आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। तर्क का उत्तर तर्क से दिया जा सकता है। वैसे भी तकनीकी दुनिया में मानकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अंग्रेजी को टाइप करने का एक ही 'की–बोर्ड' है, लेकिन हिंदी में ऐसी स्थिति नहीं है। हिंदी में टाइप करने के लिए अनेक 'की–बोर्ड' उपलब्ध हैं। अब तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध है जो आपके अंग्रेजी या रोमन में लिखे शब्दों को तुरंत हिंदी में अनुवादित कर देते हैं। 'विस्टा, इन स्क्रिप्ट, यूनिकोड, गूगल आदि ने अपने संशोधित एवं विकसित 'की–बोर्ड' हिंदी के लिए बनाए हैं, ताकि हिंदी वेब मीडिया के दौर में पिछड़ न जाए। अगर हम अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के किंचित शब्दों का प्रयोग वेब मीडिया में हिंदी के साथ करते हैं तो विवाद नहीं होना चाहिए। जब हम ब्रज, अवधी, मैथिली आदि बोलियों के शब्दों को हिंदी में जगह दे सकते हैं तो अंग्रेजी या अन्य

भाषाओं के कुछ शब्दों के प्रयोग में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे भी हिंदी जन्म देती है, शब्दों को पालती–पोषती है, वह शब्दों की हत्या नहीं कर सकती। अतः उसका आधुनिक रूप हमें स्वीकार्य होना चाहिए। भाषाविहीन समाज के इस युग में जहाँ चारों तरफ अजनबीपन, अकेलापन, कुंठा का आक्रमण हो, वहाँ भाषा में आई कुछ त्रुटियों को क्षम्य होना चाहिए। आज की युवाशक्ति, छात्र शक्ति और पढ़ा–लिखा वर्ग अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार वेब मीडिया का उपयोग करता है, अतः इस वर्ग को हमें तमाम भ्रांतियों से मुक्त रखना होगा। उत्तर आधुनिकता के अध्येता सुधीश पचौरी हिंदी की नौजवान पीढ़ी का आह्वान करते हुए लिखते हैं – "हिंदी की नौजवान पीढ़ी उत्तर आधुनिक समाज में रहती है। वह मीडिया, तकनीक, बाजार में रहती है। इसलिए उत्तर आधुनिकता उसके जीवन से काफी नजदीक है।" हिंदी की नौजवान पीढ़ी ने वेब मीडिया को समृद्ध करने का कार्य किया है। हिंदी एवं उसके उपयोगकर्ताओं की अनेकरूपता के बावजूद हिंदी का मीडिया से सह–संबंध सराहनीय है।

भाषा का एक उद्देश्य एक दूसरे तक अपनी बात पहुँचाना भी होता है। वह दूसरों की बात समझने और अपने मनोभावों को दूसरों तक पहुँचाने का माध्यम होती है। एक भाषा का विकास कभी भी दूसरी भाषा के विकास में बाधक नहीं बनता। कोई भी भाषा प्रसंगानुसार अन्य भाषाओं तथा प्रचलित लोक बोलियों के शब्दों के प्रयोग से और अधिक संपदाशील बनती चली जाती है। आधुनिक परिवारों में तो प्रत्येक सदस्य की भाषा अलग–अलग होती है। मेरे दादाजी 'हाडौती' बोलते थे, पिताजी जयपुरी, मैं हिंदी और मेरा बेटा अंग्रेजी बोलता है। बोली–भाषा का यह सहज–सरल रूप हमें आज सर्वत्र दिखाई पड़ता है। शीशा, बटन, क्रिकेट, शर्ट, पिज्जा, सैंडविच, पास्ता, मोमोज, पराठा, बिस्किट आदि कई तरह के हजारों शब्द सहज रूप से हिंदी में खप गए हैं तो हमें भी अपना पांडित्य–प्रदर्शन छोड़ के उनका स्वागत करना चाहिए। किसी भी भाषा में जान–बूझकर इतर भाषाओं के शब्दों को ठूँसना भी अनुचित है। इससे भाषा का विकास अवरुद्ध होता है। सिनेमा एवं मीडिया ने इस तरह के कई शब्दों को हमारी जबान का हिस्सा बना दिया है। हिंदी सिनेमा में कई फिल्मों एवं गीतों के शब्दों में हिंदी से इतर भाषाओं के शब्दों की बहुतायत है। वेब मीडिया पर भी इसकी प्रतिच्छाया पड़ी है। वर्तमान मीडिया अनेक नवीन शब्दों का निर्माण कर रहा है, जिनमें से कई गलत भी होते हैं। पौधारोपण, चौड़ीकरण ऐसे ही शब्द हैं। वस्तुतः मीडिया अपने आप में भाषा–निर्माता भी होता है, अतः उसे अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वाह करना चाहिए। मशहूर भाषाविद् ओमप्रकाश केजरीवाल जनसंचार एवं भाषा के रिश्तों पर रोशनी डालते हुए लिखते हैं – "ऐसी परिस्थिति में हममें से जो जनसंचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनका क्या यह कर्त्तव्य नहीं हो जाता कि अपनी भाषा का सही–सही प्रयोग करें ? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आज की परिस्थितियों में मीडिया ही भाषा की जननी है।" केजरीवाल यहाँ मीडिया से जुड़े लोगों को भाषा के उपयोग के प्रति आगाह करते हैं और उनकी भूमिका को इसके केन्द्र में लाते हैं।

वेब मीडिया से जुड़े लोगों को, अन्य लोगों से एक रिश्ता बनाना होता है। प्रिंट, रेडियो, टीवी, नेट आदि अपने से जुड़े लोगों से अंतरंग एवं अनूठा रिश्ता बनाए रखते हैं, लेकिन इन सबकी भाषा अलग–अलग होती है। टीवी पर तो शारीरिक भाषा की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। मानवीय संवेदना के स्तर पर सभी माध्यम एक जैसे दिखाई देते है। टीवी पर हिंदी भाषा में विस्तार की गुंजाइश नजर नहीं आती है किंतु वेब मीडिया में भाषा निरंतर गतिशील, परिवर्तनशील रहती है, जिससे बोधगम्यता बनी रहती है। बेव मीडिया ने शब्दों के साथ–साथ अपनी सोच को भी बदलने की कोशिश की है। हिंदी के कठिन शब्दों की जगह उनके सरल रूप का प्रयोग इसकी एक बानगी माना जा सकता है। वेब मीडिया ने तकनीक से सम्बद्ध अनेक दिक्कतों को दूर करने की भरसक कोशिश की है। वस्तुतः वेब मीडिया पर भाषा संबंधी चर्चा बहुत कम की जाती है, अतः ज्यादातर मामलों में हिंदी भाषा का मसला गौण ही रह जाता है। वेब मीडिया पर भाषा–विमर्श की शुरूआत होनी चाहिए। कठिन एवं तत्सम शब्दों की जगह सरल रूपों से काम चलाया जा सकता है, किंतु यह भी ध्यान

रखा जाना चाहिए कि कहीं हम शब्द की आत्मा तो नहीं मार रहे। टीवी, सिनेमा एवं वेब मीडिया में हिंदी के साथ रोज कई बार छलात्कार होता है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रसंग में प्रसिद्ध टीवी उद्घोषक एवं संपादक आशुतोष का यह कथन याद आता है कि हिंदी की जितनी सेवा टीवी ने की है, उतनी साहित्य ने नहीं। आशुतोष का यह कथन अतिवादी बयान के अतिरिक्त कुछ नहीं मानना चाहिए और मीडिया को इस तरह के विवादों से दूर ही रहना चाहिए। अगर वे हिंदी की सेवा कर ही रहे हैं तो इसमें गलत क्या है ? अतः मीडिया से जुड़े लोगों को ऐसी बातों से किनारा करके भाषा का समुचित विकास करना चाहिए। उनके ऐसे सार्थक प्रयासों से ही वेब मीडिया एवं हिंदी भाषा दोनों की उन्नति संभव होगी।

वेब मीडिया वर्तमान समय में हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वेब मीडिया किसी भी सर्च इंजन पर 'क्लिक' करते ही हिंदी का अमूल्य, अनंत संसार हमारे सामने उपस्थित कर देता है। वेब मीडिया ने हिंदी को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में सहयोग किया है। वेब मीडिया के प्रभावस्वरूप ही आज भारत के अलावा और भी कई देशों में हिंदी संबंधित कार्य हो रहे हैं। हिंदी नेक्स्ट, अनुभूति, अभिव्यक्ति, गीत–कविता, कारवां, तस्लीम, मोहल्ला लाइव, कस्बा, छींटे एवं बौछारें, तीसरा खंभा आदि अनेक साईट्स हिंदी को विश्व भर में पहुँचाने का कार्य कर रही है। विदेशों में भी अब हिंदी सभाएँ एवं गोष्ठियाँ, सम्मेलन, पुरस्कार समारोह आदि आयोजित होने लगे हैं। इन सबकी सूचना हमें वेब मीडिया द्वारा पलक झपकते ही मिल जाती है। कई अखबार एवं पत्र–पत्रिकाएँ ऑनलाइन निकलने लगी हैं। नयी–नयी संस्थाएँ दिन–प्रतिदिन वेब मीडिया के माध्यम से हिंदी की सेवा करने में निरंतर संलग्न है। आज शिक्षा से जुड़ा प्रत्येक माध्यम वेब मीडिया पर उपलब्ध है। विज्ञान, स्वास्थ्य, साहित्य, फिल्म, समसामयिक, वित्त, महिला, बाल, पुरुष, सौन्दर्य, शिक्षा, ज्योतिष, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, व्यापार, सरकारी एवं निजी संस्थान, खाना–खजाना, खेल, पर्यटन, ग्रामीण, क्षेत्रीय, निजी पृष्ठ आदि विविध विषयों पर समुचित सामग्री आज वेब माध्यम पर हिंदी में सर्व सुलभ है। विभिन्न प्रकार की पत्र–पत्रिकाएँ, अखबार आदि निरंतर अपने को अपडेट करते रहते हैं, ताकि कोई भी हिंदी जानने वाला वैश्विक परिदृश्य में स्वयं को हिंदी से जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। अद्यतन जानकारी उसकी अपनी भाषा में उसे मिलती रहे, यही वेब मीडिया की सफलता का एक प्रमाण भी है।

वेब मीडिया ने विश्व में हिंदी को प्रस्थापित करने का भी कार्य किया है। गूगल ने अहिन्दीभाषियों के लिए 2007 में हिंदी में ट्रांसलेटर प्रोग्राम लांच करके सराहनीय कार्य किया है। इसके बाद से वेब मडिया में हिंदी का दायरा और भी ज्यादा विस्तृत हुआ है। इंडिब्लॉगर नामक संस्था (यह भारतीय ब्लॉग पोर्टल को संचालित करती है) के अनुसार सन् 2010 में हिंदी में ब्लॉग की संख्या 350 थी, जो 2013 में बढ़कर 1300 के लगभग हो गई है। इनमें से कई ब्लॉग छोटे शहरों एवं कस्बों से संचालित होते हैं। इनकी भाषा में हिंदी की जीवन्तता एवं माटी की महक मिलती है। हिंदी में कई ब्लॉग तो ऐसे हैं, जो रोजाना 500 से ज्यादा विजीटर्स द्वारा 'हिट' किए जाते हैं। एलेक्सा (वेबसाइट्स की रैंक बताने वाली सर्वाधिक प्रमाणिक पद्धति वाली साइट) के अनुसार हिंदी की कई साइट्स ऐसी है जिन्होंने विजिटर्स की संख्या की दृष्टि से नवीन रिकार्ड बनाए हैं। इस साइट ने हिंदी ब्लॉग की एक रैंक बनाई है जो इस प्रकार है–

1. छींटे एवं बौछारें
2. कस्बा
3. तीसरा खंभा
4. मेरा पन्ना
5. उड़नतश्तरी
6. इधर–उधर की
7. हिंदी ब्लॉग
8. सारथी
9. नुक्ता–चीनी
10. मोहल्ला

इनके अलावा की कई ब्लॉग हैं जो हिंदी की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। ऐसे ब्लॉगों में विज्ञान आधारित (तस्लीम, आधारभूत ब्रह्मांड, विज्ञान) स्त्री विमर्श पर आधारित (नारी, चोखेर बाली, औरत की हकीकत)

वाद–विवाद, वार्तालाप, समाज, राजनीति, सिनेमा, साहित्य, मीडिया आधारित (मोहल्ला लाइव, कस्बा, संवाद समूह, हिंद–युग्म समूह, परिकल्पना, महाजाल, जील आदि) बच्चों के लिए (बालमन) आदि प्रमुख है। इनकी निरंतर बढ़ती संख्या हिंदी की ताकत को बढ़ाने का कार्य कर रही है। भारत में हिंदी अनुवाद का बढ़ता क्षेत्र भी वेब मीडिया एवं हिंदी के परस्पर संबंधों की देन माना जा सकता है। यह वेब मीडिया का बढ़ता प्रभाव ही माना जा सकता है कि हिंदी माध्यम अब बाजार के लिए भी जरूरी हो गया है। हिंदी माध्यम से शिक्षित आधुनिक युवा विभिन्न कॉलसेंटर्स, प्रकाशन घरों, देश–विदेश में शिक्षा प्रदान कर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। हिंदी की बढ़ती माँग और वेब मीडिया की सूचनाप्रदायी शैली ने हिंदी को 'बाजार' की मुख्य भाषा बना दिया है। हिंदी भाषी होने का शर्मबोध अब खत्म होने लगा है। आज का युवा हिंदी की ताकत को पहचान चुका है। वह जान गया है कि हिंदी भाषी होना अब शर्म नहीं, गौरव का प्रतीक है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में अब रोजगार के अवसरों की भरमार है। अच्छे वेतन के साथ तमाम तरह की सुविधाएँ अब इनको मिलने लगी है। अब हिंदी भाषियों में वेब मीडिया की सार्थक भूमिका के कारण आत्मविश्वास दिखने लगा है। वे अब अपने पर एवं अपनी भाषा पर पूर्णतः यकीन करने लगे हैं। अंग्रेजी न जानने की कुंठा वेब मीडिया के हिंदी स्वरूप के समक्ष तिरोहित हो रही है। जबसे हिंदी 'बाजार' की भाषा बनी है, मीडिया की भाषा बनी है, तबसे हम अपनी भाषा की इज्जत करने लगे हैं। अब हममें भी भाषा के प्रति गर्व की भावना पैदा होने लगी है। वेब मीडिया की भाषा बनकर हिंदी ने सोने में सुहागा वाली बात को सार्थक सिद्ध कर दिया है। अतः आज नेता, अभिनेता, लेखक आदि सभी वेब मीडिया की इस ताकत का अपने–अपने तरीके से उपयोग करने में लगे हुए है।

वेब मीडिया के आगमन से पूर्व साहित्यकार अपनी कृतियों को पाठकों तक पहुँचाने के लिए मंच एवं जान–पहचान का सहारा लेते थे। विभिन्न प्रकाशकों एवं विश्वविद्यालयों के चक्कर काटा करते थे, ताकि अपनी कृति को ज्यादा से ज्यादा पाठकों तक पहुँचा सके। वेब मीडिया के पदार्पण ने लेखकों एवं प्रकाशकों दोनों को सुविधाएँ प्रदान की है। अब कई साधनहीन मगर वैचारिक, रचनात्मक प्रतिभा के धनी लेखक गुमनामी के अंधेरे से निकल कर वेब मीडिया के प्रकाश से चमक रहे हैं। उनकी अद्वितीय प्रतिभा अब प्रकाशकों की मनमर्जी की शिकार नहीं रह गई है। अब वे अपने लेखन को सीधे पाठकों तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए वेब मीडिया ने उन्हें अनेक मार्ग सुझाए हैं। जिनमें ब्लॉग, यू–ट्यूब, फेसबुक, गूगल प्लस, ट्विटर आदि प्रमुख हैं। लिखित सामग्री के साथ–साथ अब लेखक ऑनलाइन एवं लाइन दृश्य–प्रस्तुति द्वारा भी अपनी बात सीधे पाठकों तक पहुँचाने में भी समर्थ है। उन्हें अब तुरंत ही प्रतिक्रिया भी मिल जाती है। यही 'न्यू–मीडिया' वर्तमान साहित्य को नए क्षेत्रों तक ले जा रहा है। अब कोई भी व्यक्ति अपने रचनात्मक अवदान को बिना किसी संघर्ष के वेब मीडिया के माध्यम से लोगों तक कभी भी, कहीं भी सुलभ करा सकता है। साहित्य से जुड़े अनेक लोग निरंतर स्तरीय सामग्री का प्रकाशन वेब मीडिया पर कर रहे हैं। अब तो वेब मीडिया पर इनका अलग पाठक वर्ग भी तैयार हो चुका है, जो साहित्यिक भाषा को वरीयता देता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि वेब मीडिया के अधिकतर पाठक कठिन हिंदी को समझने में असमर्थ होते हैं, अतः उनके लिए जटिल शब्दों की जगह आम–बोलचाल की सरल हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। प्रकाशनार्थ, यथोचित, किंचित, यद्यपि, आरोपण, निरुपण आदि शब्दों के प्रयोग में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आम पाठक तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाता और उकताकर अन्य मनोरंजनात्मक साइट्स पर चला जाता है।

व्यावसायिकता के इस युग में हिंदी भाषा के संदर्भ में वेब मीडिया के महत्त्व को समझा जा सकता है। फिर भी सूचना क्रांति के इस युग में अनेक बिन्दु ऐसे हैं, जिन्हें अभी तक वेब मीडिया ने स्पर्श भी नहीं किया है। इसलिए आजकल वैकल्पिक मीडिया की भी माँग उठने लगी है। हिंदी के जाने–माने आलोचक नीरज कुमार इसकी जरूरत महसूस करते हुए लिखते हैं– "सामाजिक निर्मिति के रूप में साहित्य जिस प्रकार पिछले दो–ढ़ाई दशक में उभरने वाली दलित –विमर्श

तथा स्त्री–विमर्श की छवियों को प्रस्तुत करने में सफल हुआ है, वहीं मीडिया इन छवियों से लगभग अछूता है। इसीलिए वैकल्पिक मीडिया की जरूरत आज शिद्दत से महसूस की जा रही है।" उक्त कथन सत्य भी है, क्योंकि वेब मीडिया ने अभी तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। वहाँ इस संदर्भ में स्थिति नगण्य एवं शून्य नजर आती है। अतः दलित, मजदूर, किसान, स्त्री, अल्पसंख्यक, आदिवासी एवं अन्य हाशिये के लोग जब तक वेब मीडिया के 'रडार' में नहीं आ जाते, तब तक भाषिक चेतना की उसकी मुहिम अधूरी ही मानी जाएगी। वेब मीडिया के समक्ष इसे चुनौती भी माना जा सकता है और उसकी कमजोरी भी। वेब मीडिया के माध्यम से इतिहास बनता है और अपनी शक्तियों के साथ उजागर भी होता है। हिंदी भाषा के संदर्भ में उसका योगदान अतुलनीय होने के साथ–साथ प्रशंसनीय भी रहा है। इन चुनौतियों का भी वह मुकाबला कर सकता है, जरूरत है तो बस थोड़े धैर्य और समय की। अंत में मैं अपनी बात प्रख्यात लेखिका प्रो. हेमलता महिश्वर के इस कथन से समाप्त करना चाहूँगा – "जब तक मनुष्य है तो संवेदना है। जब तक संवेदना है तो संवाद है। जब तक संवाद है तो जिज्ञासा है। जिज्ञासा है तो ज्ञान है। ज्ञान है तो भाषा का अस्तित्व बना ही रहेगा।" वस्तुतः वेब मीडिया ने हिंदी भाषा को जो पंख प्रदान किए हैं, वो उसे विश्व–गगन में उड़ान भरने में सहायक है। वेब मीडिया और हिंदी के संबंधों की यह नई उड़ान है जिसे अब कोई भी अवरुद्ध नहीं कर सकता है।

संदर्भ

1. भूमंडलीकरण की चुनौतियाँ, सच्चिदानन्द सिन्हा, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2003, पृ. 29
2. समकालीन भारतीय साहित्य (पत्रिका) (सं. अरुण प्रकाश) आलेख–ब्रह्मस्वरूप शर्मा, साहित्य अकादमी, दिल्ली, मई–जून 2007, पृ. 144
3. हिन्दुस्तान (दैनिक समाचार–पत्र), डॉ. श्लैण्डर, नई दिल्ली, 08.02.99
4. सूचना प्रौद्योगिकी और समाचार–पत्र, रविन्द्र शुक्ला, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, 2008, पृ. 53
5. बहुवचन (सं. अशोक मिश्र), आलेख–भारत यायावर, महात्मा गाँधी अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, (महाराष्ट्र), जुलाई–सितम्बर 2013, पृ. 26
6. हिन्दुस्तान (दैनिक समाचार–पत्र), सुधीश पचौरी, नई दिल्ली, 13.04. 2003
7. राजभाषा हिंदी, ओमप्रकाश केजरीवाल, प्रकाशन विभाग, दिल्ली, 1998, पृ. 321
8. अनभै सांचा (सं. द्वारिका प्रसाद चारुमित्र), आलेख–नीरज कुमार, दिल्ली, जुलाई–सितम्बर 2008, पृ. 95
9. संधान, (सं. सुभाष गाताडे) आलेख–हेमलता महिश्वर, रोहिणी, दिल्ली, जनवरी 2004 –मार्च 2005 (संयुक्तांक) पृ. 146

*****

अनिकेत

– डॉ.मुकेश कुमार मिरोठा*

चाह की अनेक कोशिश
व्यर्थ, निस्पंद
नहीं है कोई किनारा।
साक्षी त्रुटिपूर्ण हस्तक्षेप
पाते हैं हर कदम पर
वही चिर–परिचित चिन्ह
नहीं है तो सुवास वह।
प्रकृति की कोमल कांत पदावली
आलम्बन उद्दीपन उल्लंघन
आते हैं, जाते हैं, अपना स्वरूप दिखाते हैं।
अनिकेत, अकेला पत्थर बना
जड़ से जूझ रहा है।
मिलन के प्रयत्न असफल, स्वप्न भी तिरोहित हुए
भावों की बलिवेदी पर
वो तृण सहसा चहका
तुषारावात लक्ष्य बेध, निराशा का गहन गर्ल
पार हुआ उजाला
यह तो होना ही था, कहा उसने
जो थी लेखक की वायकीप नायिका या
फिर वहम या इन्द्रजाल उसका
फिर से विचारों का चाबुक
चल चुका था, नियति की पीठ पर
लहुलुहान वो चलता रहा
चलता रहा
अनवरत
अभी तक।

---

*सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली–25, मो0 9312809766
Email: mirothamukesh@yahoo.in

आलेख

कंप्यूटर योग

– आनंद कुमार श्रीवास्तव*

कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट फोन जहाँ एक तरफ हमें सूचना संचार क्रांति का एक हिस्सा बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमें असंभावित बीमारियों की ओर भी खींच रहे है। कभी मजबूरी और कभी शौक में हम घण्टो अपने कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के साथ बिताते हैं, जिसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं, जिस कारण ज्यादातर कंप्यूटर यूजर्स की आँखों में दर्द, सिरदर्द के अलावा गर्दन और कंधों में दर्द होता है। यहॉ यह गौर करना आवश्यक है कि यह तो मशीनें हैं 24 घण्टे काम करने के बाद भी नहीं थकेंगी, पर इन्सानी शरीर इन पर कार्य करने के बाद थक ही जाएगा तो आइये हम आपको बताते हैं कुछ कंप्यूटर टिप्स जो कंप्यूटर के नेगेटिव प्रभावों से आपको बचाएंगीं और सुखद एहसास कराएंगीं।

1. सबसे पहले अपने कंप्यूटर के मोनीटर/एल. सी. डी. के ब्राइटनेस और कन्ट्रास्ट को बिलकुल कम कर ले, जिससे ज्यादा देर काम करने पर आपकी ऑखों पर जोर न पड़े। अधिक देर तक ज्यादा ब्राइटनेस और कन्ट्रास्ट वाले स्क्रीन पर काम करने से आँखें लाल हो जाती हैं और सिर में दर्द भी होने लगता है।

2. अगर आपके काम का शेडयूल लम्बा है यानि 6–8 घण्टे या उससे भी ज्यादा तो बीच–बीच में 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेते रहें। हो सके तो आँखों को बन्द करके थोड़ी देर आराम दें।

3. कंप्यूटर को कम रोशनी वाले कमरे में ना रखें, ऐसी जगह रखे जहाँ प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था हो अगर ऐसा नहीं है तो कमरे में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करें।

4. लगातार बैठे रहने से तथा स्क्रीन की तरफ देखते रहने से आपकी पीठ और गर्दन में दर्द हो सकता है। इसके लिए आप 1–2 घण्टे बाद कुर्सी से उठकर टलहने की कोशिश करें।

5. कंप्यूटर पर काम करने का अर्थ है दिन के 8–10 घण्टे बैठे रहना, इसके लिये सुबह टहलने की आदत डाल ही लें।

6. कंप्यूटर कक्ष के बाहर हरे पौधे लगाएं और हो सके तो कमरे के अन्दर भी लगाएं इनको देखने से आपकी ऑखों को आराम मिलेगा।

7. अगर ऑखों में जलन होने लगे तो ठंडे पानी से ऑखों को धोएं तथा ऑखों के डाक्टर को दिखाएं।

8. ज्यादातर कंप्यूटर यूज़र कंप्यूटर स्क्रीन को बिलकुल आँखों के नजदीक रखते हैं, जो सही नहीं है। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को ऑखों से कम से कम तीन फुट की दूरी पर रखें।

9. कंप्यूटर पर काम करते समय पलकों को झपकाते रहें, इससे आपकी आँखों की एक्सरसाइज भी होती रहेगी और नमी भी बनी रहेगी।

10. एन्टी लेयर ग्लास का चश्मा बनवा लें, जिससे आँखों को सुरक्षा मिलेगी।

*****

*प्रोग्रामर, दंत चिकित्सा संकाय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली

एकांकी

ज्ञान–ज्योति

पात्र परिचयः विभिन्न स्कूली छात्र–छात्राएँ उनके अभिभावक, बाल श्रमिक तथा एक अध्यापक।

– डॉ. राजेश कुमार 'माँझी'*

(कुछ बच्चे सुबह–सुबह पंक्ति बनाकर एक गीत गाते हुए स्कूल जा रहे हैं। इस गीत की प्रथम दो पंक्तियों के अनुसार जन–जागृति हेतु 'सर्व शिक्षा अभियान' का बैनर लिए चार बच्चे स्टेज पर आकर पुनः अपनी जगह वापस चले जाते हैं। गीत के अनुसार स्टेज पर गाँधी तिलक, सुभाष और टैगोर का एक ही साथ आगमन होता है और वे भी स्टेज का पूरा चक्कर लगाकर वापस चले जाते हैं। तदुपरांत एक स्कूली बच्चे का ध्यान वहीं पास में काम कर रहे बाल श्रमिकों की ओर जाता है। वह उन्हें आश्चर्य से देखता है। बाद में स्कूली बच्चे श्रमिक बच्चों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से उनसे बात करते हैं और पढ़ाई–लिखाई के लाभ बताते हैं।)

गीतः–

नव सदी की नव किरण का, है ये नव आह्वान
हो शिक्षा का प्रचार चहुदिश, शिक्षित हर इंसान
नव सदी..... हो शिक्षा.....
पढ़–लिखकर तुम भी बनो
गाँधी, तिलक, सुभाष, टैगोर
अंधकार मिटाओ जग से
देखो हो गई उठो अब भोर
शिक्षित जन के हाथ में होगी, देश की कमान
हो शिक्षा .....
नव सदी ..... हो शिक्षा .....

(गीत खत्म होते ही स्कूली बच्ची अपने साथियों को टोकते हुए कहती है–)

शालिनी (स्कूली छात्रा)–

रूको बंधु, रूको–रूको
ये कैसा है खेल?
किस पटरी पर दौड़ेगी
इन मासूमों की रेल?

संजय (स्कूली छात्र) –

चलो उनसे पूछते हैं, क्या वे भी पढ़ने जाते हैं?

अन्य बच्चे–

हाँ, हाँ, चलो–चलो।

(झाड़ू लगा रहे नवीन का ध्यान जब स्कूली बच्चों की ओर जाता है तब वह अपने साथियों से कहता है।)

नवीन –

अरे–अरे, वो देखो, उनके कपड़े कितने चमचमा रहे हैं।

कलुआ –

हाँ! अरे लगता है वे तो स्कूल भी जाते हैं।

नवीन –

चुप बे कलुए! जब देखो पढ़ने की ही बात करता है।

(नवीन और उसके साथी की बात समाप्त होते ही शालिनी और उसके साथी उनके पास पहुँच जाते हैं)

शालिनी (स्कूली छात्रा) –

सुनो बंधु सच बतलाना
क्या तुम भी पढ़ने जाते हो?
या यूँ ही दिनभर धूप में खटकर
बचपन अपना गँवाते हो?

नवीन –

(शालिनी के हाथ से किताब लेकर दूर फेंकते हुए)–

पढ़–लिखकर भला होगा क्या?
क्या किताबें भूख मिटाएंगी?
इस कठिन दौर में जीवन के क्या रास्ता कोई सुझाएंगी?

*हिंदी अधिकारी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली, 110025

संजय (स्कूली छात्रा) –

(नवीन द्वारा फेकी गई किताब उठाकर उसे समझाते हुए। इस समझाने के क्रम में संजय नवीन को स्टेज के दूसरी ओर अपने काम में संलग्न डॉक्टर, इंजीनियर आदि लोगों को दिखता है।)–

हाँ बंधु ऐसा ही है
इनमें ही है इक संसार
पढ़–लिखकर हो जाएगी
नैया जीवन की पार।

(यह बात सुन नवीन बोलता है)

नवीन–

अच्छा ऐसी बात है तब तो हम भी पढ़ने जाएँगे।

(नवीन के अन्य साथी भी उसके साथ–साथ नीचे की पंक्तियाँ गुनगुनाते हुए अपने घर की ओर चल पड़ते हैं।)

सभी श्रमिक बच्चे (एक स्वर में)–

हम भी पढ़ने जाएँगे, हाँ हम भी पढ़ने जाएँगे
पढ़–लिखकर जीवन को अपने,
मधुबन–सा बनाएँगे

(इतना कहते–कहते वे स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। स्कूली बच्चे भी स्टेज से दूसरी ओर चले जाते हें। इस खुशी के मौके पर कुछ लड़कियाँ माँ सरस्वती का आह्वान करते हुए नृत्य प्रस्तुत करती हैं।)

नृत्य के लिए गीत–

माँ शारदे को पूजें, चल री सखिया
लेकर उपवन से फूल, मान बतिया
माँ शारदे ..... लेकर .....
माँ सरस्वती के मंदिर में जाकर
उनके चरणों में फूल चढ़ाकर
माँगे दुआ, खोलें हमरी भी अँखियाँ
माँ शारदे को .....
माँ हंसवाहिनी से, ये माँगे वरदान
सदा नेक कर्मों में, लगे अपना ध्यान
सद् विद्या ही, सच्चा संघतिया
माँ शारदे को .....

(इस नृत्य के बाद पुनः श्रमिक बच्चे पहली वाली पंक्तियों को गुनगुनाते हुए स्टेज पर दिखाई देते हैं। स्टेज पर दो–तीन अभिभावक अपने–अपने काम में संलग्न दिखाई देते हैं। नवीन का प्रवेश बाद में होता है पर उसके पिता पहले से ही स्टेज पर ताश खेलते हुए तथा हुक्के को हाथ में थामे हुए दिखाई देते हैं। नवीन की माँ भी स्टेज के एक कोने में गायों के लिए चारा काटते हुए दिखाई दे रही होती है। नवीन की माँ से ठीक दूसरी दिशा में उसके दो पड़ोसी दिखाई देते हैं।)

श्रमिक बच्चों का गीत –

हम भी पढ़ने जाएँगे, हाँ हम भी पढ़ने जाएँगे
पढ़–लिखकर जीवन को अपने, मधुबन सा बनाएँगे।
हम भी .....
माँ हमको स्लेट ला दे दो, दे दो लाकर अक्षर माला
तनिक पढ़–लिखकर हम खोलें, अपनी किस्मत का ताला
हाँ अपनी किस्मत का ताला।
हम नहीं करेंगे बापू, सुबह–शाम जा कहीं पर काम
पढ़–लिखकर ऊँचा करेंगे, हम भी तुम्हारा नाम
हाँ हम भी तुम्हारा नाम।
घर आकर सच कहें बापू, तुमको भी पढ़ाएँगे।
हम भी .....

(इस गीत के बाद स्टेज पर केवल नवीन के पिता और उनके साथी ताश खेलते हुए रह जाते हैं। दूसरी ओर नवीन की माँ और उसके पड़ोसी भी मौजूद होते हैं। सब अपने–अपने काम में संलग्न हैं। ठीक इसी बीच नवीन का प्रवेश होता है।)

नवीन–

बापू–बापू (जब पिता उसकी बात नहीं सुनते हैं तब वह पुनः बोलता है) बापू–बापू।

नवीन के पिता (गुस्से से) –

क्या है? क्यों कान खा रहा है? देखता नहीं काम कर रहा हूँ।

नवीन–

बापू मेरी उम्र के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। तुम मुझे क्यों नहीं स्कूल भेजते?

नवीन के पिता–

पढ़ने जाएगा? चल भाग यहाँ से। बकवास करने आया है।

नवीन–

हाँ बापू, मैं भी पढ़ने जाऊँगा।

उसके पिता (गुस्से से)–

छोड़ तू लाला बेहूदी बातें।
मत कर अब तू कोई हठ
माथा गरम हो गया है मेरा
मत सनका मारूँगा दो लठ।

(नवीन अपने पिता के डर से वहाँ से भागकर दूर खड़ा हो जाता है। कुछ सोचने के बाद वह घर की ओर चल पड़ता है।)

नवीन (घर पहुँचकर)–

माँ–माँ, माँ–माँ, माँ, कहाँ हो तुम?

(जब उसकी माँ घर में नहीं मिलती है तो वह पड़ोसियों से पूछताछ करता है।)

नवीन (काकी से) –

काकी, तुमने मेरी माँ को देखा कहीं?

काकी (ग्रामीण वृद्धा) –

ना रे, मैंने तो नहीं देखा।

नवीन (पड़ोस में रहने वाली भौजाई से)–

भौजी तुमने देखा क्या मेरी माँ को?

भौजी –

हाँ वह गायों के लिए चारा लेने जा रहीं थीं। कह रहीं थीं तुम्हारे बाबू जी को कभी हुक्के और ताश से फुर्सत ही नहीं मिलती। गाय–गोरू भूखे मर जाएँ पर क्या मजाल कि वह उन्हें चारा दे दें।

नवीन –

तुम ठीक कहती हो भौजी। जब से मैंने होश संभाला है बापू को कभी हुक्के से दूर नहीं देखा। जब देखो तब घुटुरकू घुटुरकू करते रहते हैं। और आज.....। आज कह रहे थे, मैं भी उनकी तरह अनपढ़–गंवार बना रहूँ। अब तुम ही बताओ क्या यह ठीक है? नहीं ना, अच्छा... तो मैं चलता हूँ।

(नवीन अपनी माँ को ढूँढते–ढूँढते उनके पास पहुँच जाता है।)

नवीन (अपनी माँ से) –

माँ–माँ (जब उसकी माँ नहीं सुनती हैं तब वह फिर से बोलता है) माँ–माँ।

नवीन की माँ (गुस्से से)–

क्यों बे मुए, क्या माँ की रट लगा रखी है?

नवीन–

माँ, मैं भी स्कूल जाऊँगा। मेरी उम्र के सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं।

नवीन की माँ–

बेटा अच्छे बच्चे पढ़ने–वढ़ने नहीं जाते। वे तो अपने माँ–बाप का हाथ बंटाते हैं।

नवीन–

नहीं, नहीं, तुम झूठ बोलती हो। मैं तो स्कूल जाऊँगा ही।

नवीन की माँ (गुस्से से)

बबुआ का तू सनक गया है।
क्यों करे मनमानी
पढ़ने से भला संवरेगी
हम जैसों की ज़िन्दगानी?

नवीन–

हाँ, माँ बात ऐसी ही है कुछ
शिक्षा से मिटे हर दुःख
शिक्षित होकर पा सकेंगे
हम भी जीवन का हर सुख।

नवीन की माँ–

अरे, किस सुख की बात करता है तू, क्या पढ़ने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी?

नवीन–

हाँ, माँ हाँ। पढ़ने से हमारी गरीबी ही नहीं, हमारा जीवन सुधर जाएगा। वे लोग कह रहे थे कि पढ़ने से हम अच्छे–बुरे में फर्क कर सकते हैं?

उसकी माँ–

अच्छा–अच्छा ठीक है। जल्दी से बड़ा हो जा फिर तुझे स्कूल भेज दूँगी।

नवीन–(दर्शकों की ओर मुँह कर माँ पर व्यंग्य करते हुए):–

कहती हैं, और बड़ा हो जाऊँ। अब आप ही बताइए
और कितना बड़ा हो जाऊँ? अब तो मेरी दाढ़ी–मूँछें
भी आने लगी हैं।

(नवीन की बात समाप्त होते–होते उसकी बहन इंदु भी अपनी माँ के पास आ जाती है। इससे पहले वह अपनी दूसरी बहनों मुस्कान और सुमन के साथ स्टेज पर एक कोने में लंगड़ी टाँग खेल रही होती है।)

इंदु (माँ से)–

माँ–माँ, (जब उसकी माँ नहीं सुनती है तब वह पुनः बोल उठती है) माँ–माँ!

इंदु की माँ (गुस्से से) –

क्यों री कुलच्छिनी, अब तुझे क्या हुआ?

इंदु (प्यार से)–

माँ मैं भी पढ़ने जाऊँगी
हाँ मैं भी पढ़ने जाऊँगी
पढ़–लिखकर जीवन को अपने
मधुबन सा बनाऊँगी।

इंदु की माँ (गुस्से से लड़की को धक्का देते हुए)–

आग लगे तेरे मधुबन को
जा कर ले साफ–सफाई
लड़की होकर भला करेगी
सुनो ये भी पढ़ाई?

(इंदु और माँ के बातचीत के दौरान नवीन अपनी सबसे छोटी बहन मुस्कान को एक किताब दिखाने लगता है। नवीन और मुस्कान स्टेज के बीचों बीच होते हैं और उनके हाथ में एक किताब होती है। दोनों भाई–बहन किताब में बनी तस्वीरों को देख मुस्करा रहे होते हैं। अब सुमन अकेले ही अपना खेल खेलने लगती है।)

इंदु (अपने भाई–बहन की ओर इशारा करते हुए)–

लड़की–लड़के में क्या अंतर
माँ, मैं ये न जानूँ।
दोनों के हैं दो–दो हाथ
बस इतना मैं मानूँ।

इंदु की माँ (पुनः इंदु को गुस्से से धक्का देते हुए)–

आई मुझको पाठ पढ़ाने
कृष्ण बन गीता समझाने
औरत की किस्मत में लिखा
सदा पुरुष की बात वह माने।

(माँ–बेटी की नोंक–झोंक सुनकर इस बीच नवीन के पिता उनके पास आ जाते हैं। उनके अन्य साथी भी ताश फेंक कर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं।)

इंदु (गुस्से से)–

पुरुष?
कैसा पुरुषार्थ, माँ उस पुरुष का
जो हीन समझे हम नारी को
मैं कहती हूँ, मुझे पढ़ने दो
न भड़काओ अब चिन्गारी को।

इंदु के पिता (माँ–बेटी के बीच हस्तक्षेप करते हुए) –

चलो तुमको भेज भी दें
पर फीस कहाँ से आए?
क्या कोई ऐसा भी है?
जो मुफ्त में तुम्हें पढ़ाए?

सुमन (इंदु की ही दूसरी बहन अपना खेल छोड़कर)–

हाँ बापू ऐसा ही है
ऐसा ही है इक स्कूल
जहाँ तनिक पैसों से ही
खिल रहे हैं नन्हे फूल।

उसके पिता–

गुरु–दक्षिणा में तनिक भी पैसा
हम दें ये स्वीकार नहीं
इससे बेहतर रहो तुम अनपढ़
जाओ, करो काम कहीं।

सुमन (पिता को समझाते हुए)–

पूर्ण शिक्षा, गुरु–दक्षिणा बिन नहीं मिलती, गुरु द्रौण की सीख;
गुरु सेवा ही मिलती, सद् – शिक्षा रूपी भीख।

(नवीन, इंदु और सुमन की बात जब उनके माता–पिता को समझ में आ जाती है तब वे बोल उठते हैं।)

माँ–बाप (एक ही स्वर में)–

अच्छा–अच्छा ठीक है तो....
चल री मुनिया, जा स्कूल

जा पढ़ाई कर रे
जा तू भी, जा मुन्ने जा
ज्ञान से झोली भर ले।
चल री ..... जा तू.....
जाओ तुम, जाओ पाठशाला
तुम भी सीखो ज्ञान नया
पढ़–लिखकर तुम दीप–सम बनना
जिससे मिटे तिमिर जहाँ से
सुन री पगली भैया का
हाथ तो तू पकड़ ले।
जा तू भी .....

(माँ–बाप का प्रोत्साहन पाकर सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। पहले वाले स्कूली बच्चे उन्हें रास्ते में मिलते हैं। सब–मिलजुलकर खुशी–खुशी स्कूल जाते हैं।)

नवीन (स्कूल पहुँचकर) –
प्रणाम गुरु जी

इंदु –
नमस्ते सर।

(अन्य बच्चे भी हाथ जोड़कर अध्यापक को प्रणाम करते हैं।)

अध्यापक –
सदा सुखी रहो। अरे कलुआ, इंदु, नवीन तुम भी आए हो पढ़ाने। अरे मैं तो कब से तुम्हारे माँ–बाप से तुम्हें स्कूल भेजने के लिए कह रहा था। चलो देर से ही सही पर सही निर्णय तो लिया उन्होंने। चलो अब अपना स्लेट–व्लेट तो निकालो। बोलो–
क, 'क' से कबूतर
ख, 'ख' से खरगोश
ग, 'ग' से गमला

(कुछ देर बाद स्कूल की घंट बज जाती है। सभी बच्चे अध्यापक को पुनःप्रणाम कर घर की ओर खुशी–खुशी दौड़ पड़ते हैं।)

नवीन (घर पहुँचकर) –
माँ–माँ, मैं स्कूल से आ गया।

इंदु और सुमन (मुस्कान सहित) –
माँ हम भी आ गए।

माँ–बाप (एक साथ) –
मन लगाकर पढ़ाई की न तुमने?

सभी बच्चे (एक स्वर में) –
हाँ, हमने सारा काम साफ–साफ़ लिखा है।

इंदु–
मैंने तो सारा का सारा पाठ याद कर लिया है।

माँ–बाप–
अच्छा, अच्छा ठीक है। अब अपना–अपना बस्ता उतारो और ये लो खाना। खाना खाकर बाहर खेलो।

सभी बच्चे (एक स्वर में)–ठीक है।

(शाम का समय है। इंदु के माँ–बाप अपने घर के दरवाज़े पर बैठे हैं। इतने में मास्टर जी का आगमन होता है।)

इंदु के माँ–बाप (एक स्वर में) –
अरे मास्टर जी, प्रणाम–प्रणाम। कहिए कैसे आना हुआ इधर। सब ठीक तो है न स्कूल में और बच्चे ठीक से पढ़ाई तो कर रहे हैं न?

मास्टर –
अरे हाँ भाई–हाँ। तुम्हारे सब बच्चे बहुत कुछ सीख गए हैं। मैं तो फिर से यह कह रहा था कि सरकार की प्रौढ़ शिक्षा नीति के अंतर्गत तुम लोग भी कुछ पढ़ना–लिखना सीख लेते।

इंदु की माँ –
अरे मास्टर जी, आप भी कैसे बातें करने लगे हैं फिर से भला बुढ़ापे में भी कोई पढ़ाई करता है।

मास्टर –
सुनो भाई, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा। इसलिए मेरी बात के बारे में सोचना ठीक से और मन बने तो कल से आ जाना मेरी प्रौढ़–पाठशाला में। अब मैं जा रहा हूँ, अंधेरा होने वाला है।

(इतना कहकर मास्टरजी वहाँ से चले जाते हैं।)

(अगले दिन शाम के समय स्टेज पर इंदु अपनी बहनों के साथ लंगड़ी टांग खेल रही होती है। पास–पड़ोस के दूसरे बच्चे भी उनके साथ खेल रहे होते हैं। नवीन खेल के मैदान में ही इधर–उधर घूम रहा होता है।

वहीं कुछ दूरी पर पहले वाले स्कूली बच्चों में से दो बच्चे, शालिनी और संजय पढ़ाई कर रहे होते हैं।)

नवीन (अपनी बहनों और साथियों को आवाज़ देते हुए)–

अरे सुनो–सुनो, इधर–आओ इधर।

(शालिनी और संजय को छोड़कर सब बच्चे खेल छोड़कर नवीन के पास पहुँच जाते हैं।)

नवीन–

मैं यह कह रहा था कि अब हमने तो बहुत पढ़ाई–लिखाई कर ली, अब क्यों न हम अपने माँ–बाप को भी पढ़ाएँ।

इंदु–

तुम ठीक कहते हो भैया।

नवीन–

तो ठीक है.....

चल री बहना, माँ को पढ़ाएँ

बापू को लिखना सिखलाएँ

इस तरह से पूरे विश्व को

हम तुम मिल साक्षर बनाएँ।

तुम भी आओ, हाथ बंटाओ।

दीप बनकर दीप जलाओ

इस पृथ्वी से तिमिर हटाओ

चहुदिश आलोक फैलाओ।

(इस गीत के मध्य नवीन और इंदु पढ़ाई में संलग्न शालिनी और संजय को अपने साथ मिला लेते हैं। सुमन, मुस्कान तथा अन्य बच्चे माँ–बाप का हाथ पकड़ स्टेज के मध्य लाते हैं। उन्हें बीच में ही खड़ा करके सभी एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त इस ढंग का होता है कि वह दूर से एक बड़ा–सा दीपक प्रतीत होता है।)

समाप्त

*****

ये दुनिया एक मुसाफ़िरखाना

– मुमताज़ अली*

ये दुनिया एक मुसाफ़िरखाना

यहाँ आके लाज़मी है वापस जाना

ये चाँद, ये सूरज ना बाकी रहेगा

ये शान ओ शौकत ना बाकी रहेगा

ये दुनिया एक मुसाफ़िरखाना।

वो आसमाँ, है ये ज़मीं कुछ नहीं रहेगा बाकी

ये हसरतें, ये नफ़रतें ना बाकी रहेंगी

ये तारीख़ बयां करती इमारतें ना बाकी रहेंगी

एक दिन सब फ़ना होना है, फ़ना होके रहेगी।

ये दुनिया एक मुसाफ़िरखाना

ये हवा, ये पानी, ये हुस्न, ये जवानी

ये मौसम करे रवानी, ये किस्से और कहानी

ये दुनिया आनी–जानी, आई तो जाके रहेगी

कयामत और मौत बरहक़ है, आनी है तो आके रहेगी।

ये दुनिया एक मुसाफ़िरखाना

सीख 'अली' करे, करे मान, कर लो अच्छे काम

नरमी बरत होंठों पर, बड़ों के पूरे कर अहकाम

मुफ़लिस पर दियानतदारी, मालिक के साथ वफ़ादारी

बुजुर्गों और उस्तादों का कर अहतराम।

ये दुनिया एक मुसाफ़िरखाना

*कार्यालय सहायक, शिक्षा संकाय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली–25

*****

गाँव का अन्त

— प्रो. चंद्रदेव यादव*

जैसे उतर जाता है
उकठे पेड़ का बोकला
जैसे दाना छिटक जाने पर
ऐंठ जाती हैं मटर की छीमियाँ
उसी तरह
खोकर अपनी सादगी और भाईचारा
अपनी नई हरीतिमा में बेसुध गाँव
हो गए हैं विवस्त्र।

कमासुत बेटों के जाँगर
और शहरी पूँजी के उच्छिष्ट से
निकल आए है पंख
गाँवों के।

अपनी छोटी–सी उड़ान
और आसमान छू लेने का गुमान
फटफटिया से धरती नाप लेने का
गरूर...
कुछ तो है जरूर
नहीं तो धूप में मुरझाई चाँदनी जैसी
गाँव की खुशी
अपनी चमक का घमंड न करती।

गुजरते हुए गाँव की गलियों से
दिख जाती है एक साथ
सम्पन्नता और विपन्नता,
उदासी से भरे घर
बाहर से दमकते हैं
गुलदुपहरिया की तरह,
बजबजाती गलियाँ।

गाती हैं सरकारी योजनाओं के गीत
विकास का खुरदुरापन
दिख जाता है भोले चेहरों पर
खूँटियों पर टंगे
हल–जुआठ को देखते हैं
शहरी रंग में डूबे युवा।

वकील–मुख्तार
लेकर अधपके विचार
करते हैं दलाली,
ओछी राजनीति की
पहली पाठशाला है गाँव,
निठल्लों के पांव
धँस जाते हैं छोटे–छोटे दलों के
दलदल में,
सपना सुमेरु और करतब रत्ती भर
फिर सपने क्यों न हों बुलबले ?

पानी छीज जाने पर
जैसे अँजुरी में बच जाती है काई
वैसे ही बीत जाने पर समय
हाथ लगती है निराशा
आँखों के कीचड़ भरे कोटर से
जन्म लेती है हिंसा
चोरी–डकैती के रुपयों से
गर्म होती हैं हथेलियाँ
और रोटी का स्वाद भूल चुकी
उँगलियाँ
ढूँढ़ती हैं कोमल बदन
नापती हैं असहायों का गला
उच्छृंखल पांव
नहीं टिकते गाँव में।

बेबस प्रशासन
थरथराता रहता है पत्ती की नोक से
झूलती
ओस की तरह।

सड़क किनारे पड़ी लाश
और खून के छींटों से
लाल हुआ सुबह का गाल
छोड़ जाते हैं कई सवाल,
दूब डरती है हरा होने से
कि रौंद न दी जाए
एडीडास के जूते से।

बूढ़ा गाँव
आसमान के तारे गिनता है।
पिछले साल
बाढ़ से बरबाद हो गई फसल,

* हिन्दी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली–25

इस बार सूखे ने दिया दस्तक
मुआयना कर गए सरकारी लोग
अनुदान को मार गया लकवा
किसी किसी को मिला भी तो
कमीशन काट कर...
जी, ऐसे ही चलता है राज–काज
बड़ों और छोटों को बाँट कर।

गरीब मुँह ताकते हैं
और रसूख वाले उठा लेते हैं
आवासीय योजना का लाभ,
झख मारते रह जाते हैं बेघर,
सबके बंधे हुए हैं पैसे...
कैसे? पूछो न जाकर उन्हीं से।

रिखई बोला तो
बोल फूटे कइयों के एक साथ–
भाई साहब!
यहाँ हाथ को नहीं है काम
नरेगा–मनरेगा में
मशीनों को मिलता है दाना–पानी
और रुपये के कल्ले फूटते हैं
ठेकेदारों की तिजोरी में
क्यों चलाती है सरकार
ऐसी योजनाएं
और किसके लिए?

बहरी लंग
भींटे ने सिर उठाया
और कुछ बुदबुदाया
'हल की मूठ
जब लगने लगती है झूठ
और शहर में दिखने लगती हैं
विकास की सारी संभावनाएं
जैसे गड़ा हो वहाँ कारूं का खजाना
तो समझो बदल गया है जमाना,
मगर यह जान लो
जो माटी से प्यार करते हैं
पेरिस की रंगीनी ओढ़े
सुनते हुए चटकीला गीत
फर्राटा भरते हैं पहियों पर,
कुनमुनाते खेत
रौंद दिए जाते हैं मशीनों से,
चिकने गालों पर उभर आती हैं
झुर्रियाँ
सिरके में डूबी लगती है खुशी
खोखला अहंकार
ठर्रे के खाली पाउच की तरह
लतियाया जाता है जहाँ–तहाँ
डगमगाते पांव बताते हैं
नई संस्कृति का उच्छल उल्लास।

अधकचरे ज्ञान से
कचरा फैलाता कमरू मास्टर
स्कूल टाइम में
चबाता हुआ गुटका और पान
घूम आता है दुनिया–जहान
राजनीति उसका शगल और
लगाना–बुझाना पुश्तैनी स्वभाव।

चुरा कर अलसी का रंग
कुछ और नीला हो गया है आसमान
खेतों के उड़ गए हैं रंग,
खारी हो गई है जमीन
अपनी मिठास खोकर
किसान हो रहे हैं हलकान
नई प्रजाति के बीज बोकर।
'लागत जादा परापत थोड़ा'
बात–बात में चिलरू ने जोड़ा–
'एक तरफ मौसम की मार
और दूसरी तरफ बेदरद सरकार
फिर कैसे भरेगी बखार?
सिरिफ जाँगर से नहीं पैदा होता
अन्न
और पैदा भी हो जाए
तो लूट ले जाते हैं महाजन
समर्थन मूल्य की तख्ती
टंगी रह जाती है
सरकारी क्रय केन्द्रों में।

वे माटी से सोना गढ़ते हैं।
मगर नहीं था वहाँ कोई
उसे सुनने वाला
सिवा एक घुग्घू के,
भींटे पर तन्हा खड़े बबूल पर
बैठा–बैठा बोला।

कहीं से आई आवाज–
अपशकुन!
जल्दी मरने वाला है कोई,
यहाँ जरूर कोई बदनसीब है।
मगर किसी ने नहीं सोचा
आदमी नहीं,
गाँव का अन्त करीब है।

*****

आलेख

इस्लाम धर्म एवं आधुनिक शिक्षा

– आज़म सिद्दीक़ी *

इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह पाक ने हज़रत मुहम्मद साहब (सल0) को 40 वर्ष की आयु में जब अपना अंतिम संदेष्टा (पैग़ंबर) नियुक्त किया तो पहला आदेश दिया ''इक़रा''। इक़रा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पढ़ो। यानि कि पवित्र क़ुरान में अल्लाह की ओर से समस्त मानवता को सर्वप्रथम आदेश **''पढ़ने''** का शिक्षा ग्रहण करने का दिया गया है। यहां पर जानना अनिवार्य है कि शिक्षा ग्रहण करने का अर्थ केवल धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना नहीं है अपितु धर्म के साथ संसारिक विषयों का ज्ञान भी इस्लाम धर्म में समान महत्व रखता है। पवित्र क़ुरान सुरह मुजादिलाह में कहता है कि **''जो लोग ईमान लाए और इल्म हासिल किया अल्लाह पाक ऐसे लोगों के दर्जों को बढ़ा देगा''** अल्लाह की ओर से अपना संदेष्टा नियुक्त किए जाने के उपरांत मुहम्मद साहब ने अल्लाह के आदेशों को निरतंर इक्कीस वर्षों तक जन–जन तक पहुंचाने का कार्य किया। इस अवधि में आपने शिक्षा की प्राप्ति और शिक्षा के महत्व पर बल दिया। **अतः आपने कहा कि हर मुसलमान पर शिक्षा (ज्ञान) प्राप्त करना अनिवार्य है।** एक अन्य स्थान पर मुहम्मद साहब ने फरमाया कि **हर चीज़ का एक मार्ग है और स्वर्ग का मार्ग शिक्षा की प्राप्ति है।** एक और स्थान पर आपने फरमाया कि **रात्रि में एक लम्हें के लिए पढ़ना या पढ़ाना सारी रात इबादत करने से अच्छा है।** इसके अतिरिक्त बहुत सी और हदीसें हैं जिनसे पता चलता है कि मुहम्मद साहब ने शिक्षा की प्राप्ति पर कितना बल दिया।

मुहम्मद साहब ने अपने साथियों जो कि आपके साथ इस्लाम धर्म का प्रसार करने में तन मन धन से लगे हुए थे न सिर्फ इस्लाम धर्म की शिक्षा के लिए प्रेरित किया ब्लकि दूसरी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने का भी आदेश दिया। ऐसे ही एक सहाबी हैं हज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) जिनको मुहम्मद साहब ने हिब्रू (यहूदी भाषा) एवं सीरियाई भाषा का ज्ञान प्राप्त करने का आदेश दिया। हज़रत ज़ैद बिन साबित ने केवल पंद्रह दिनों के भीतर यहूदी भाषा में निपुणता प्राप्त कर ली। धर्म युद्धों में बंदी बनाए गऐ लोगों में यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था तो उसको इस शर्त पर आज़ाद कर दिया जाता था कि इसके बदले वह मुसलमानों को शिक्षा दे।

मुहम्मद साहब के समय में इस्लाम अपने आरंभिक दौर में था। अतः इस्लाम धर्म में आने वाले नए मुसलमानों ने अन्य कार्यों के अतिरिक्त पढ़ने और लिखने पर काफी ध्यान दिया ताकि इस्लाम धर्म का सारे विश्व में प्रचार प्रसार किया जा सके। शुरू में पढ़ने–पढ़ाने का कार्य मस्जिदों में किया जाता था। इस्लाम के तीन सबसे पवित्र स्थान मक्का, मस्जिद–ए–नबवी, मदीना एवं मस्जिद–ए–अक़्सा, येरूशलम शिक्षा प्राप्ति के आरंभिक केंद्र थे। धीर–धीरे मकतब अस्तित्व में आऐ। जहाँ पर बच्चों को धार्मिक शिक्षा के अतिरक्त क़ानून और गणित विषय व दूसरी भाषाओं का ज्ञान दिया जाता था। अक्सर ये मकतब मस्जिदों के निकट स्थापित किए जाते थे। बाद में ये मकतब मदरसों में परिवर्तित हो गए। इन मदरसों की तुलना हम वर्तमान काल के विश्वविद्यालयों से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पढ़नें वाले लोगों को प्रारंभिक शिक्षा के अलावा उच्च शिक्षा देने का भी प्रावधान था। प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती थी और शिक्षा पूरी होने के उपरांत पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया जाता था। आठवीं शताब्दी के आरंभ से लेकर बारहवीं शताब्दी तक विश्व के केवल मध्य–पूर्वी देशों में लगभग 170 मदरसों की स्थापना की गई जहाँ पर छात्रों को इस्लामिक क़ानून के साथ साथ

* वैयक्तिक सहायक, विधि संकाय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली

गणित, चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान, इतिहास एवं भूगोल विषयों की शिक्षा दी जाती थी।

परिणाम स्वरूप वर्तमान काल की बहुत सी वैज्ञानिक उपलब्धियों के तार इस्लामिक स्वर्ण काल से जाकर मिलते हैं। यूँ तो मध्यकाल के इतिहास में मुस्लिम वैज्ञानिकों की सूची बहुत लंबी है। परंतु इस समय के प्रसिद्व मुस्लिम वैज्ञानिकों एव दाशर्निकों में अल किंदी (सन 801 ईसवी)', अबु मूसा जाबिर इब्न (सन 815 ईसवी)', मुहम्मद इब्न अल मूसा अल ख़्वारिज़मी (सन 850 ईसवी)', इब्ने ज़करिया रज़ी (सन 854 ईसवी)', अल फरग़िनी (सन 861 ईसवी)', अल हासम (सन 965 ईसवी)', इब्ने सिना (सन 980 ईसवी)', अल बिरूनी (सन 973 ईसवी)', अल जज़ारी (सन 1136 ईसवी)', अल ख़ज़ीनी एवं (सन 1155 ईसवी)' आदि के नाम शामिल हैं। इन लोगों को गणित शास्त्र, खगोल विज्ञान, प्रारंभिक आधुनिक औषधि विज्ञान, भौतिक विज्ञान, दर्शनशास्त्र आदि विषयों में महारथ हासिल थी। इनमें से अक्सर वैज्ञानिकों को वर्तमान काल की अविष्कारों का प्रेरक भी माना जाता है।

अल ज़ाहरवी ने सन दसवीं शताब्दी में शल्य चिकित्सा पर 1500 पृष्ठों पर आधारित एक विश्वकोष लिखा जिसमें शल्य चिकित्सा की विभिन्न प्रकारों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। यूरोप ने अगले कई सौ वर्षों तक शल्य चिकित्सा पद्वति के क्षेत्र में इस विश्वकोष से लाभ उठाया+। नवीं शताब्दी में अब्बास इब्ने फिरनस नामक वैज्ञानिक ने पहली बार पंखयुक्त उपकरण से उड़ान भरी। यह उपकरण ज़मीन पर आने से पहले कुछ देर हवा में उड़ा। इस प्रकार पारसी गणितज्ञ अल ख़्वारिज़मी को अल जबरा जो कि गणित की एक महत्वपूर्ण पद्वति है, के जनक के रूप में जाना जाता है++। इब्ने हासम ने दृष्टि बोध के क्षेत्र में अतुल्य योगदान दिया। वर्ष 872 ईसवी में मिस्र के काहिरा शहर में तुलुन नामक प्रथम रोगी कक्षों एवं शिक्षा केंद्रों से सुसज्जित हस्पताल का निर्माण किया गया। इस हस्पताल में रोगियों का इलाज एवं देखभाल निशुल्क किया जाता था+++। आठवीं शताब्दी में अरबों ने काग़ज़ का अविष्कार किया। दमिश्क़, बग़दाद, काहिरा, एवं कोर्डोबा में बड़ें बड़े पुस्तकालयों की स्थापना की गई। इन पुस्तकालयों को बैतुल हिकमाह, दारूल हिकमाह, ख़िज़ानतुल कुतब, बैतुल कुतब आदि नामों से जाना जाता था। इसके अलावा मस्जिद एवं मदरसों के निकट छोटे बड़े पुस्तकालय बनाए जाते थे। धर्म, दर्शनशास्त्र, एवं विज्ञान के विषयों पर मस्जिदों में निरंतर व्याख्यान, चर्चाओं एवं परिचर्चाओं का आयोजन किया जाता था। इबादत के अतिरिक्त मस्जिदों का प्रयोग न्यायालयों के रूप में भी होता था।

चौदहवीं शताब्दी के आरंभ के साथ नई सोच ने जन्म लिया। उलेमा धर्म और विज्ञान में अपने अपने विचारों में बंट गए। धर्म और विज्ञान में अंतर किया जाने लगा। वैज्ञानिक शोध को धीरे धीरे नज़रअंदाज़ किया जाने लगा। शिक्षा के नाम पर केवल इस्लामिक शिक्षा की बात की जाने लगी। परिणाम स्वरूप अगली कुछ सदियों में लोग धार्मिक शिक्षा से भी दूर होते चले गए।

दूसरी ओर यूरोप और पश्चिमी देशों ने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए शोध किए और उनके उज्ज्वल भविष्य का सूर्य उदय हुआ। यूरोप और पश्चिमी देशों ने भौतिकतावादी मानसिकता का भी प्रसार किया।

भारत की यदि बात की जाए तो भारत मे इस्लाम का आगमन सातवीं शताब्दी में अरब व्यापारिये के माध्यम से पश्चिमी तट के मालाबार एवं कोणकण तट से हुआ। भारतीयों द्वारा विकसित सांख्ययिक प्रणाली को मध्य पूर्व एवं यूरोप तक प्रसारित करने मे अरबों ने मुख्य भूमिका निभाई। बारहवीं शताब्दी मे भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सी इस्लामिक राज्यों की बुनियाद रखी गई। तदोपरांत भारत में दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ। दक्षिणी भारत में दक्षिणी सल्तनत का विस्तार हुआ। सोलहवीं शताब्दी के मध्य में मुग़ल सल्तनत ने देश के अधिकांश हिस्से पर अपना झंडा फहराया। और उन्नीसवीं शताब्दी तक देश में मुग़लो का शासन रहा जिसका पतन अंग्रेज़ों के भारत पर क़ब्ज़े से आरंभ हुआ। इस दौरान भारतीय मुसलमान आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन का शिकार हो गया।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक भारतीय मुस्लिम बुद्विजीवियों को इस बात का आभास हो गया कि यदि मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा पद्वति से न जोड़ा गया तो इसके दूरगामी परिणाम होंगें। इस ही सोच के चलते ब्रिटिश राज में स्कूल कालेजों की स्थापना के प्रयास किए गए। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का शिलान्यास रखा गया।

बाद में जामिया मिल्लिया इस्लामिया को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। आधुनिक शिक्षा के इन दोनों केंद्रों ने मुस्लिम समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का कार्य किया। परंतु मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी जनसंख्या आज भी उच्च शिक्षा से दूर है।

आज के परिवेश में यदि बात करें तो हम पाएंगे कि इस्लाम धर्म इसाई धर्म के बाद विश्व का दूसरा बड़ा धर्म है। परंतु शिक्षा के मामले में मुस्लिम समाज सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। भारतवर्ष की वर्ष 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम समाज की केवल 43 प्रतिशत आबादी ही पढ़ी लिखी है। जो कि अन्य धर्मों की तुलना में सबसे कम है। ज़ाहिर है कि यह आंकड़ा बहुत निराश करने वाला है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार पिछले तीन दशकों से निरक्षरता उन्मूलन अभियान पर कार्यरत है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एवं सर्वशिक्षा अभियान इस ही प्रयास के उदाहरण हैं जिसमें शिक्षा के मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निशुल्क दी जाती है। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान छात्रावृत्ति की योजना चलाई जा रही है। जिससे ग़रीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्राप्ति में उत्पन्न होने वाली आर्थिक बाधा को कम किया जा सके। इस योजना का लाभ उठाकर मुस्लिम समाज के अधिक से अधिक बच्चे प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

हमें यह याद रखना होगा कि जब इस्लाम धर्म के आरंभिक दौर में मुस्लिम समाज ने शिक्षा को अपने लिए ज़रूरी समझा और शिक्षा प्राप्ति के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की तो अल्लाह ने इस समाज को इतना सम्मान और विस्तार दिया कि यह धर्म कुछ ही समय में अरब देश की सीमाओं से निकलकर दक्षिणी एशिया, अफ़्रीक़ा, यूरोप के विभिन्न देशों तक फैल गया। इसके विपरीत जब मुस्लिम समाज ने शिक्षा से दूरी बनाई तो धीरे धीरे यह समाज शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन और ग़ुलामी का शिकार हो गया। आज विश्व के मानचित्रा में मुस्लिम बहुल देशों की संख्या पचास से अधिक हैं परंतु बहुत कम देश विकसित देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं।

हैरत है कि तालीम ओ तरक़्क़ी में है पीछे
जिस क़ौम का आग़ाज़ इक़रा से हुआ था

मुस्लिम समाज को यह समझना बहुत ज़रूरी है कि धार्मिक शिक्षा हो या आधुनिक शिक्षा, यह समाज आज के प्रतिस्पर्धा के युग में केवल तब ही टिक सकता है जबकि यह शिक्षा के मामलें में उन नियमों एवं व्यवहारों का अनुसरण करे जिनका पालन मुहम्मद साहब के समय में या आपके बाद आने वाले दौर में मुसलमानों ने किया था अन्यथा प्रतिस्पर्धा के इस दौर में इस समाज का तरक़्क़ी करना तो दूर टिके रहना भी बहुत कठिन होगा।

*****

आओ लिखें

– अपर्णा दीक्षित*

मैंने देखा है, तुम कागज के कोनों पर कुछ–कुछ लिखती तो हो
कल भी लिख रही थीं, दीवार से सटी
जैसे सबकुछ छुपा लेना चाहती थीं, मैंने कुछ तो देख लिया
कागज पर नहीं तुम्हारी आँखों में,
स्याही फैल सी गई है वहाँ भी
शायद शब्द तुम्हारी आँखों के आईने में
खुद को देख कर रो पड़े हैं
काश तुम मुझसे साझा करती
मैं अपने प्रेम के रिमूवर से ठीक कर देता सब
फिर हम साथ मिलकर लिखते
हर दीवार के कोने पर।

---

*शोध सहायक, सरोजिनी नायडू महिला अध्ययन केंद्र, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली–25

आलेख

ब्रजभाषा का सांस्कृतिक परिदृश्य

— डॉ. यशपाल*

ब्रजभाषा का उद्‌भव शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। ब्रज अथवा व्रज शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ गतिशीलता माना जाता है। 'व्रजन्ति—गावो यस्मिन्निति व्रजः। जहाँ गाय नित्य चलती हैं अथवा चरती हैं, वह स्थान ब्रज कहा जाता है। संस्कृत और हिंदी कोश ग्रंथों में भी ब्रज शब्द के तीन अर्थ प्राप्त होते हैं पहला गोष्ठ अथवा गायों के रहने का खिरक, दूसरा मार्ग और तीसरा वृन्द अथवा झुण्ड। इन सभी से गाय और ब्रज के संबंध का आभास होता है।

वैदिक संहिताओं में तथा रामायण—महाभारत आदि ग्रंथों में भी 'व्रज' शब्द प्रायः गौशाला, गौचर भूमि, गौस्थान आदि के अर्थ में ही प्रयोग किया गया है । ऋग्वेद में व्रज शब्द गौशाला के लिए प्रयोग किया गया है। संस्कृत के व्रज शब्द का विकसित हिंदी रूप ही 'ब्रज' है। यजुर्वेद में गायों के चरने के स्थान को व्रज तथा गायों के रखने के स्थान को गोष्ठ कहा गया है। अथर्ववेद में गौशालाओं से संबंधित एक पूरा सूक्त ही प्राप्त होता है। हरिवंश तथा भागवत आदि पुराणों में यह शब्द गोप निवासों के समूह के अर्थ में प्रयोग किया गया है। स्कंद पुराण में महर्षि शांडिल्य ने व्रज को व्यापक बह्म का रूप कहा है । इससे व्रज की आध्यात्मिकता प्रतिध्वनित होती है। 'व्रजन्ति अस्मित् जनाः श्रीकृष्णप्रापत्यर्थमिति व्रजः' के अनुसार भी इस शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है जिसका अर्थ किया गया है कि श्रीकृष्ण प्राप्ति के लिए लोग जहाँ खींचे चले आते हैं, इसलिए इस स्थान को व्रज कहा गया है। मनु महाराज ने मध्यदेश की सीमाओं की ओर संकेत करते हुए कहा कि यह देश उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य पर्वत के बीच में था, पश्चिम में सरस्वती नदी और पूर्व में प्रयाग तक इस मध्य देश की सीमाएं थीं। बौद्ध काल में यह देश एक विशाल भू भाग के रुप में मज्झिम देश अथवा मध्यदेश कहलाता था। इस विशाल क्षेत्र में नौ जनपद सम्मिलित थे जिनमें मत्स्य एवं सूरसेन जनपद और कुरु एवं पांचाल विस्तृत जनपद भी थे। इन चार महाजनपदों से घिरे भू भाग को ब्रह्मऋषि देश कहा जाता था। मनु के इस ब्रह्मऋषि देश का वही प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र आज का ब्रजभाषा क्षेत्र कहा जाता है। यह वही ब्रज है जिसे पूर्व में व्रज कहा जाता था।

ऐसा भी माना जाता है कि बौद्ध काल में मथुरा के निकट 'वेरंज' नाम का स्थान हुआ करता था। तत्कालीन विद्वानों के आग्रह पर गौतम बुद्ध वहाँ पधारे थे वही स्थान कालांतर में विरज या ब्रज के नाम से प्रख्यात हुआ। यमुना का दूसरा नाम भी 'बिरजा' है। बिरजा क्षेत्र होने के कारण मथुरा मंडल बिरज या ब्रज कहा जाने लगा। महाभारत के युद्ध के बाद द्वारिका नष्ट हो जाने के बाद मथुरा में व्रज नामक राजा का राज्य हुआ। संभवतः उन्हीं के नाम पर इस प्रदेश को ब्रज प्रदेश कहा जाने लगा होगा। वेदों से लेकर पुराणों तक इस ब्रज प्रदेश का संबंध गायों से अवश्य जुड़ा दिखाई देता है। उसे कई नामों से पुकारा गया है जैसे गौशाला, गोचर भूमि, गोपनिवास और गायों के बांधने का स्थान इत्यादि। इन सभी में गायों की प्रधानता दिखाई पड़ती है। भागवत के अनुसार गोष्ठ, गोकुल ओर ब्रज को समानार्थक शब्दों के रूप में ही देखा गया है भागवत के आधार पर सूरदास आदि कवियों की रचनाओं में भी ब्रज का इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है। जिससे गायों के इस प्रदेश से विशेष रुप से जुड़े होने की सहमति तो मिलती है लेकिन वेरंज, विरजा ओर व्रज का संबंध स्थापित करना समुचित नहीं जान पड़ता।

पौराणिक काल से लेकर वैष्णव सम्प्रदायों के आविर्भाव काल तक कृष्ण उपासना का विस्तार हुआ जिसके साथ ही कृष्ण के लीला स्थलों का भी मान और गौरव निरंतर बढ़ा जिसे ब्रज कहा जाता है। उस काल में यहाँ का मुख्य व्यवसाय गोपालन ही रहा और ब्रज खंडों की बहुलता भी रही। कृष्ण के जन्मस्थान मथुरा और उनकी सीमाओं से संबंधित मथुरा और उसके आस

* राजभाषा हिंदी प्रकोष्ठ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली

पास का समस्त प्रदेश ही ब्रज अथवा ब्रज मंडल कहा जाने लगा। जिस स्थान में पशु अधिक हों उसे ब्रज कहा जाएगा। यह ब्रजभूमि मथुरा और वृन्दावन के आस पास चौरासी कोस में फैली हुई मानी जाती है। वाराह पुराण में इसका उल्लेख मिलता है– 'विशंतिर्योजनानां च मथुरा मम मण्डलम्। यत्र तत्र नरः स्नात्वामुञचते सर्व पातकैः। अर्थात् मथुरा मंडल बीस योजन यानी अस्सी कोस है, जिसमें तीर्थों में स्नान करके मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। इस सीमा में मथुरा के चार कोस मिल जाने से चौरासी कोस पूर्ण हो जाती है।

सूरदास इत्यादि ब्रजभाषा के भक्त कवियों और वार्ताकारों ने भागवत आदि पुराणों अनुकरण पर मथुरा के निकटवर्ती वन्य प्रदेशों को ब्रज कहा है जिनमें गोपालक रहा करते थे। यह स्थान मथुरा, मधुपुरी या मधुवन से पृथक माना गया है लेकिन वर्तमान में मथुरा नगर सहित वह समस्त भूभाग जो श्रीकृष्ण की लीलाओं से संबंधित है वह ब्रज कहलाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्तमान मथुरा मंडल और प्राचीन शूरसेन प्रदेश का ही अन्य संज्ञा ब्रज है इसमें मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, महावन, नंदगाँव, बरसाना, डीग और कामवन आदि श्रीकृष्ण के सभी लीला स्थल सम्मिलित हैं। प्रायः इस भौगोलिक क्षेत्र को चौरासी कोस का माना जाता है। इस क्षेत्र की बोली ही मूलरूप से ब्रजभाषा कही जाती है। ब्रजभाषा का शुद्ध रूप आज आगरा, मथुरा, धौलपुर, अलीगढ़ आदि जिलों में प्रमुखता से मिलता है। इसे ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहा जा सकता है। ब्रजभाषा की भाषागत विभिन्नताओं के आधार पर इस क्षेत्र का विभाजन भी किया जाता है जिसके आधार पर ही इस सम्पूर्ण मंडल की भाषा को भी इंगित किया जाता है। इसी विभाजन के कारण केंद्रीय ब्रजभाषा, बुन्देली प्रभावित ब्रजभाषा, राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा, सिकरवाड़ी ब्रजभाषा, जादौंबाटी ब्रजभाषा तथा कन्नौजी से प्रभावित ब्रजभाषा इत्याादि इसके प्रमुख रूप प्राप्त होते हैं। ब्रजभाषा ही भक्त कवियों की काव्यभाषा भी रही जिसमें सूरदास, रहीम, रसखान, केशव इत्यादि के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं।

*****

आज़ाद

– डॉ. मुकेश कुमार मिरोठा*

बाँध दिया गया हूँ मैं
निर्बाध उड़ता था जो नभ में
नहीं नियंत्रण में था अस्तित्व
पर जो था, मैं था, अनिकेत और आजाद
मानस पर मेरे निरंतर प्रहार
आघातों का अनवरत अटूट सिलसिला
तोड़ चुका था, मन के बाँध को भी
अब स्वप्न मेरे कैद थे,
मुट्ठी में उसकी, चीख मेरी मूक थी
बदल गया था मेरा आकाश, पानी उड़ चुका था
फैलाकर अपना विशाल जंजाल
वो
आगोश में लिए जा रहा था, मैं निस्पंद
जीवन–डोर में लगाकर फंदा
फाँस लिया था मुझे, कठपुतली बना मैं अनायास
भूल गया अपने को
वर्तमान अब वो है और मैं भूत।
जिसका भविष्य उसका न होकर त्रिशंकु की तरह
लटका है, अटका है उसकी जेब में,
हाथों की जुम्बिश में
नहीं भाग पात, न आत्मसमर्पण न हत्यारा
हूँ मैं केवल क्लीव
आर्तनाद का रहा मेरा होना न होना के
मध्य झूलता खंडित जीवन
जो अब अपना घर छोड़कर आ चुका है
कराए के मकान में
अतृप्त, अशक्त, अमानुष
आपकी नज़र में।

*****

*सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली–25, मो0 9312809766
Email: mirothamukesh@yahoo.in

आलेख

भारतीय रेडियो प्रसारण के नब्बे वर्ष

– सुरेश वर्मा*

याद कीजिए उस पल को जब पहली बार आपने रेडियो का बटन घुमाकर या दबाकर किसी कार्यक्रम को सुना था। अनुभव कीजिए उस आनंद व आश्चर्य को जब उसे सुनकर कल्पना की किसी अलग दुनिया में आप विचरण करने लगे थे। रेडियो में वह अद्‌भुत शक्ति है जो एकाकीपन को दूर कर संगीत की स्वर लहरियों के साथ आपको आनंद के सागर में सराबोर कर देती है। रेडियो सूचना, शिक्षा व मनोरंजन ही नहीं परोसता बल्कि दुखद पलों में कष्टों को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है, निराशा को आशा में तब्दील करता है और निरुत्साह के पलों को प्रेरणा देकर जीवन में परिवर्तन करने का सामर्थ रखता है। रेडियो किसी भी जिज्ञासु मन को शोध के प्रश्न प्रदान करता है, हर कलाप्रेमी को रचनाशीलता का मंच देता है, मानव मनोविज्ञान जानने, प्रसारण कला सीखने, जनसंपर्क व्यवहार को करने का अद्‌भुत साधन इतने सहज ढंग से रेडियो प्रदान करता है और वो भी निःशुल्क।

रेडियो की शक्ति

विकसित व विकासशील सभी राष्ट्रों में रेडियो की अपनी ही शक्ति है जो संस्कृति के संवाहक के रूप में ही नहीं, सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए भी जानी जाती है। लुप्त होती विधाओं को जीवित रखने, नयी तकनीक को प्रचलित व प्रसारित करने, संगीत की विविधता को लोकप्रिय बनाने एवम् विज्ञापनों द्वारा किसी वस्तु या सेवा की जानकारी जनमानस तक पहुँचाने में रेडियो की अहम भूमिका रही है। हर्ट्ज, मैक्सवेल, फैराडे व मार्कोनी आदि वैज्ञानिकों के अविष्कारों का ही परिणाम हमारे सामने रेडियो के रूप में पूरी बीसवीं सदी में छाया रहा।

रेडियो यद्यपि हमारी शब्दावली में मनोरंजन के एक साधन के रूप में जाना जाता है, परन्तु रेडियो तरंगों की बात करें तो यह विश्वभर में अनेक आविष्कारों व अन्वेषणों का अहम हिस्सा रहा है। आरम्भ में समुद्र में नाविकों द्वारा तट से संपर्क साधने, युद्ध में जवानों द्वारा अपनी स्थिति बता कर मुख्यालय से सहायता लेने से लेकर आज की सम्पूर्ण सूचना व्यवस्था का आधार रेडियो तरंगें ही तो है। पुलिस वाहन के वाकी टाकी, टेलीविजन, डी टी एच सेवा, आपके टी वी का रिमोट, आपकी रसोई में माइक्रोवेव, मेडिकल साइंस में अल्ट्रासाउंड, पनडुब्बी का सोनार, हवाई जहाज का रडार व सैटलाइट का संचार सभी रेडियो तरंगों का ही खेल है। आज के डिजिटल युग में रेडियो तरंगों पर ही आपके व्हाई फाई का निर्माण हुआ है जिसके बल से नेटवर्क चलता है, कार्डलेस कीबोर्ड, माउस, स्पीकर व हैडफोन आदि चलते है। 186 हजार मील प्रति सेकंड की गति से चलने वाली रेडियो तरंगों ने बीसवीं सदी के न जाने कितने आविष्कारों, अनुसंधानों एवं नवोन्मेषों में मदद की है।

रेडियो शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द 'रेडियस' से मानते हैं और कुछ इसे रोशनी की बीम 'रे' से बना समझते हैं। 1881 में ग्राहमबेल ने 'रेडियोफोन' व 1906 में रेडियोटेलीग्राम बोले जाने से प्रचलन में आया। 1907 में ली डी फारेस्ट द्वारा रेडियो कंपनी बनाने से इस शब्द को गति मिलती गयी। 1920 में पहले रेडियो स्टेशन की स्थापना पीट्‌सबर्ग में हुई और जल्द ही बी बी सी एवम वोईस ऑफ अमेरिका जैसे बड़े रेडियो नेटवर्क की स्थापना होती चली गयी। भारत में रेडियो क्लब के द्वारा इस का प्रचलन हुआ व 1927 में पहला रेडियो स्टेशन मुंबई में आरंभ हुआ जो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के नाम से प्रसिद्ध हो गया। 1947 में राष्ट्र के विभाजन से 6 स्टेशन भारत में आये और तीन पाकिस्तान में चले गए। आज आजादी के 70 साल बाद भारत का प्रसारण तंत्र 420 रेडियो स्टेशन वाला विश्व के अग्रीम पंक्ति के प्रसारण संगठनों में से एक है।

हमारा देश श्रुति का देश है जहाँ सभी धार्मिक ग्रन्थ सुने पहले गए और लिखे बाद में। शायद यही

*वरिष्ठ सहायक प्रोफ़ेसर (रेडियो) एम. सी. आर. सी. जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली–25

कारण है कि हमारी भावना उपासना के समय सुनकर अधिक आनंद की अनुभूति करती है। दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुईं उसका आधार बोले गए शब्द ही थे। फ्रांस व रूस की क्रांति, भारत का स्वतंत्रता संग्राम इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। बालक संसार में आंखें बाद में खोलता है परन्तु उसकी सुनने की शक्ति माँ के गर्भ में पहले ही जागृत हो जाती है। अभिमन्यु का उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि करता है। रेडियो इसी श्रवण शक्ति का प्रतिफल है।

रेडियो की शैली

क्या रेडियो मात्र ध्वनि तरंग है? नहीं, रेडियो का सम्बन्ध फिल्मी गीतों के प्रसारण से कहीं अधिक है, श्रोताओं से लुभावनी व मीठी बातचीत से कहीं अधिक है, समाचार वाचन से भी कहीं अधिक है, समस्याओं की चर्चा करने से भी कहीं अधिक है, और कहीं अधिक है सूचना, शिक्षा व मनोरंजन प्रदान करने का लक्ष्य साधने से रेडियो का चरित्र प्रदर्शित होता है 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' से जिस मार्ग का अनुसरण शब्द, संगीत, सन्नाटा व ध्वनि प्रभावों के उचित मिश्रण के द्वारा किया जाता है।

रेडियो की अपनी शैली है, अपनी भाषा है जो सीधे मानस पटल पर चित्र उभारती है, कल्पना शक्ति को विकसित करती है, कभी गुदगुदाती है तो कभी अश्रुधारा बहाने के लिए मजबूर कर देती है। शब्दों, संगीत, ध्वनि प्रभाव व स्तब्धता के मिश्रण से यह श्रोताओं को बाध्य कर देती है जो वाचक या गायक चाहता है। स्वर में वो शक्ति है जो अविश्वसनीय कार्य कर दिखाती है। रेडियो का अपना विधान है, अपना परिवार है, अपना ही तंत्र है जिस में शामिल होते हैं लेखक, कलाकार, वाचक, संगीतकार, गीतकार, वादक, अनुवादक, नाट्य कलाकार, प्रबंधक, तकनीशियन, इंजीनियर और लाखों श्रोता। हर आयु वर्ग के महिला व पुरुष चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी, निर्धन हो या धनवान, निरक्षर हो या साक्षर, बेरोजगार हो या टेक्नोक्रैट सभी के जीवन से जुड़ा रहता है रेडियो. रेडियो का सम्बन्ध समाज के सभी पक्षों से है, सभी विषयों से है। इसी कारण यह कभी साहित्य तो कभी खेल, कभी गीत तो कभी संगीत, कभी हास्य तो कभी वेदना, कभी भूगर्भ तो कभी अंतरिक्ष की बात करता है। इतिहास, संस्कृति, विरासत, कृषि, मौसम, बजट, मनोविज्ञान, चिकित्सा, अभियांत्रिकी आदि कोई ऐसा विषय नहीं है जिसकी चर्चा रेडियो पर नहीं की जाती।

मानव विकास के इतिहास में रेडियो ने जहाँ एक ओर संचार द्वारा परिवर्तन का कार्य किया वहीं इसने सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेडियो समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी माध्यम है। हमारे दैनिक जीवन में सूचना, शिक्षा, प्रेरणा व मनोरंजन के अर्थपूर्ण उदेश्य के साथ ही यह माध्यम रेडियो तरंगो द्वारा हमारे मन को शांति, आराम, चैन, स्फूर्ति व पुनर्जीवन भी प्रदान करता है। रेडियो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, तकनीकी व राजनीति को भी प्रभावित व निर्देशित करता आया है। रेडियो के सरलता, सहजता, सर्वसुलभता, शब्दशक्ति, सहयोगिता, सामाजिकता व सस्तापन जैसे गुणों से हम सभी परिचित है।

पिछले 90 वर्षों के दौरान भारतीय रेडियो प्रसारण तंत्र ने न केवल एक इंटरैक्टिव, सूचनात्मक और मनोरंजक मीडिया के रूप में स्थापित किया है, बल्कि खुद को एक मनोरंजन चैनल बनाने के रूप में भी विकसित किया है। आकाशवाणी विश्व के विशालतम प्रसारण संगठन में से एक है। यह 420 रेडियो स्टेशनों के द्वारा भारत के 92 प्रतिशत भूभाग तक पहुँच और 125 करोड़ देशवासियो तक पहुँचने का अनुपम संसाधन है। खास बात यह है कि 23 भाषाओं तथा 146 बोलियों में अपनी बात कहने में इसका कोई प्रतियोगी नहीं है। अपने विदेश प्रसारण सेवा में यह 11 भारतीय भाषाओं एवम् 16 विदेशी भाषाओं में 100 देशों तक अपनी पहुँच रखता है। आज विचारणीय बिंदु यह है कि इस निधि का सदुपयोग किस प्रकार किया जाये ताकि राष्ट्र, विकास के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर हो सके।

रेडियो का परिवर्तित स्वरूप

रेडियो के स्वरूप में अनेकानेक परिवर्तन व संशोधन सदैव होते रहे हैं। कहाँ वो बड़े वोल्व वाला

ड्राइंगरूम में रखा रहने वाला मर्फी का स्थिर रेडियो जो बाद में सॉलिड स्टेट हो गया और फिर चलता फिरता दो सेल से चलने वाला ट्रांसिस्टर बन गया। ट्रंक के भार से किताब के वजन तक पहुँचने में रेडियो को एक लम्बा समय लगा। कंधे पर लटकने वाले ट्रांसिस्टर से कान में डाल कर वाक्मैन सुनते युवा इस संस्कृति के वाहक का ही दृश्य था। आज मोबाइल फोन के माध्यम से रेडियो आपकी जेब में पहुँच गया है और इन्टरनेट व एप्स के द्वारा रेडियो ने विश्व भर में अपनी पहुँच बना ली है जो पहले केवल सीमित क्षेत्र व स्थान तक ही होता था।

विश्व के विकासशील राष्ट्रों की तीन चौथाई जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जहाँ निरक्षरता, अज्ञानता, निर्धनता, बेरोजगारी व रोगियों की संख्या अधिक है। ऐसे में रेडियो और परिवेर्तनके मध्य सम्बन्ध नजरंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि व पशुपालन सम्बन्धी सूचना को जनमानस तक उन्ही की बोली या भाषा में पहुँचाने की शक्ति केवल रेडियो में है जिसके माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनैतिक विकास संभव हो सकता है।

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में शिक्षा सूचना के माध्यम के रूप में रेडियो की उपयोगिता, महत्ता आंकी नहीं जा सकती। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आकाशवाणी में अपने प्रसारण के माध्यम से देश की जनता में अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपनी गौरवशाली परम्परा और विकासात्मक गतिविधियों के प्रति चेतना उपजाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकने की अपार क्षमता है। इस प्रसारण तंत्र के द्वारा देश में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने, आधुनिकरण को उन्नत करने तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी को बल प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर सकने में सक्षम संचार माध्यम की अपार सम्भावनायें है। संगीत, वार्ताओं, परिचर्चाओं, इंटरव्यू, रेडियो नाटकों, कहानियों, समाचार, शैक्षिक प्रसारण तथा बाहरी प्रसारण आदि के माध्यम से देश के हर आयु वर्ग तक पहुँच आकाशवाणी के पास है। साहित्यिक, सांस्कृतिक धरोहर की जो पूंजी आकाशवाणी के पास है, वह अनुपम, अद्वितीय है।

रेडियो और ग्रामीण विकास

किसी भी विकासशील देश में रेडियो ग्रामीणों को विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने या उनके समुदायों में रहने की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं करता बल्कि जानकारी प्रदान कर सशक्त भी बनाता है। चूंकि अधिकांश किसान स्कूल नहीं गए हैं, इसलिए रेडियो औपचारिक शिक्षा के विकल्प के रूप में कार्य कर उनके ज्ञान में वृद्धि भी करता है। जब ग्रामीण जनता को उनके अपने अनुभवों को स्पष्ट करने का मंच रेडियो बनता है तो उनके जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं और नीतियों की गंभीर रूप से जांच करने के लिए सक्षम बनाता है उदाहरण के लिए एक देश या राज्य नई कृषि व पशुपालन सम्बन्धी नीतियों को उजागर करने के लिए रेडियो का उपयोग कर सकता है इन नीतियों पर बहस किया जा सकता है और रेडियो के उपयोग पर चर्चा की जा सकती है और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए तत्काल प्रतिक्रिया दी जा सकती है। कृषि व पशुपालन विकास के लिए महत्वपूर्ण जानकारी को बेहतर खेती के तरीके, बेहतर बीज, समय पर रोपण, बेहतर कटाई के तरीके, मिट्टी संरक्षण, विपणन, फसल का संचालन और पशुओं की बीमारियों, उनकी देखभाल, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि आदि की जानकारी के लिए रेडियो के इस्तेमाल से पारित किया जा सकता है। चूंकि रेडियो एक विशिष्ट समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र या रुचि को लक्षित करता है, तो प्रदेश की प्रान्तीय भाषा का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि संदेश स्पष्ट रूप से समझा गया क्योंकि केवल रेडियो आपको प्रचलित भाषा का उपयोग करने का विकल्प देता है। रेडियो सरल और साधारण भाषा में अनुसंधान को समझाने में सक्षम है, जिसे लोग समझते हैं और इसकी शक्ति का सदुपयोग लोगों को सामुदायिक विकास कार्यों के प्रति जुटाने के लिए किया जा सकता है।

संक्षेप में, रेडियो एक ग्रामीण विकास उपकरण है जो किसी सामाजिक समूह की संचार आवश्यकताओं

की पूर्ति हेतु एक मंच उपलब्ध कराता है. यही नहीं, यह समय पर प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए सबसे सरल व तीव्र गति का साधन है. सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक मांगों की आवाज उठाने के लिए व सांस्कृतिक पहचान को पुनः स्थापित करने के लिए इस की भूमिका सराहनीय है। ग्रामीण क्षेत्रो में रेडियो समुदायों को उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावित करने वाले संवाद और निर्णय लेने में भाग लेने के लिए शक्ति प्रदान करता है। यह एक व्यापक, सुलभ, किफायती और लोकप्रिय संचार का माध्यम है जो जागरूकता बढ़ाने, स्थानीय समुदायों को एक जुट करने के लिए प्रेरित करता है। ग्रामीण समुदायों की राय जानने, उनकी जरूरतों को समझने और नवजीवन की आकांक्षाओं के लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के लिए रेडियो एक मंच प्रदान करता है। कृषि, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार और राय व्यक्त करने के लिए तथा संवाद और बहस के लिए रेडियो एक चोपाल का काम करता है। दूरवर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली लुप्त होती भाषाओं के सरक्षण व विकास की विविधता में विकास का एक साधन रेडियो ही तो है। इसकी पहचान सामाजिक परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में की जा सकती है। रेडियो ज्ञान और अनुसंधान का आदान प्रदान का सशक्त साधन है जो कृषि व पशुपालन सम्बन्धी अनुसंधान उत्पादों के बारे में जानकारी किसानो तक पहुंचाता है, अनुसंधान गतिविधियों व परिणामों में समुदायों की प्रतिक्रिया पर कार्यक्रम प्रसारित करता है। रेडियो कृषि, पशुपालन व कुटीर उद्योगों की प्रौद्योगिकियों के लिए किसानो की आवश्यकताओं के बारे में समुदायों से जानकारी एकत्र कर सरकारी एजेंसियों व समुदायों के बीच सेतु का कार्य भी करता है तथा सहयोगी अनुसंधान पर प्रगति की घोषणा कर उसे लोकप्रिय बनाने में मददगार होता है।

रेडियो के सफर में 12 मील के पत्थर

1) 23 जुलाई 1927 इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी द्वारा भारत के पहले रेडियो स्टेशन का बॉम्बे में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा उद्घाटन किया गया। ये अलग बात है कि तीन वर्षों बाद आय न होने के कारण दिवालिया घोषित हो गयी और सरकार ने इसे अपने मंत्रालय में ले लिया।

2) 8 जून 1936 कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकॉस्टिंग लिओनेल फिएलडॉन द्वारा इंडियन स्टेट ब्राडकास्टिंग सर्विस का नाम बदल कर आल इंडिया रेडियो कर दिया। इस नाम ने विश्व के अग्रणी प्रसारण तंत्र में अपनी पहचान बनाई। आजादी के बाद 1956 में भारतीय प्रसारण का नाम 'आकाशवाणी' रखा गया।

3) 12 नवम्बर 1947 राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी द्वारा ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो से पहला व अंतिम सजीव प्रसारण किया गया जिस तारीख को उनके सम्मान में राष्ट्रीय लोक प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है।

4) 3 अक्तूबर 1957 ऑल इंडिया रेडियो की नवीन प्रसारण सेवा आरम्भ की गयी जिस का नाम था 'विविध भारती'। इस का मुख्य लक्ष्य जनता का स्वस्थ मनोरंजन करना था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की प्रमुख समाचार पत्रिका ''इंडिया टुडे'' ने विविध भारती को 50 सबसे महत्वपूर्ण और सुविख्यात चीजों में शामिल किया है जिसपर हर भारतवासी को गर्व अनुभव होता है। विविध भारती की जनसंख्या कवरेज 97 प्रतिशत है जो दूरदर्शन और डी टी एच टीवी चैनल से कहीं ज्यादा है। यह सेवा डी टी एच, मीडियम वेव, शोर्ट वेव व एफएम स्टेशनों पर उपलब्ध हैं। बच्चे से लेकर वरिष्ठ सदस्यों तक विविध भारती को बड़े उत्साह के साथ सुनते रहे है जिस के कारण विविध भारती ने आकाशवाणी द्वारा अर्जित कुल राजस्व का अधिकतम हिस्सा अर्जित किया है। हवा महल, पिटारा, जयमाला, संगीत सरिता, भूले बिसरे गीत, चित्रलोक आदि कार्यक्रमों की यादें आज भी श्रोताओ को गुदगुदाती हैं।

5) 23 जुलाई 1977 भारतीय प्रसारण में पहली बार एफ एम् तकनीक का प्रयोग किया गया। पहला

प्रसारण मद्रास से हुआ। अमेरिकी अभियंता एडविन आर्मस्ट्रांग ने 1933 में एफ.एम. तरंगों से रेडियो प्रसारण की तकनीक का आविष्कार कर लिया था परन्तु उस को जीवनकाल में इसके लिए विरोध ही सहन करना पड़ा।

6) 30 अक्तूबर 1984 भारत में विकासात्मक संचार का नवीन सूत्रपात हुआ जब पहला स्थानीय रेडियो स्टेशन अस्तित्व में आया। लोकल रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो की सेवा है जो केवल 6 किलो वाट से स्थानीय लोगों तक उनकी उपयोगी सूचनाएं पहुंचाती है। पहला केंद्र तमिलनाडु में नागरकोइल से आरम्भ हुआ और 90 के दशक में देश भर में विस्तार होता गया। स्थानीय रेडियो स्टेशन छोटे क्षेत्र में काम करते हैं जिसका लक्ष्य संचार द्वारा विकास लाना होता है। इसका संचरण एफएम मोड में होता है व प्रोग्रामिंग लचीला और सहज है। आज ऑल इंडिया रेडियो के 86 केंद्र स्थानीय प्रसारण सेवा प्रदान कर रहे हैं।

7) 1985 भारतीय प्रसारण में एक क्रांतिकारी दौर था। ऑल इंडिया रेडियो को सैटेलाइट इनसेट के माध्यम से जोड़ा जाना जिस से सूचनाओ को तीव्र व स्पष्टता के साथ श्रोताओं तक पहुँचाने में मदद मिली। इसी का परिणाम है कि आज डी टी एच के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो की सेवा विश्व भर में उपलब्ध है।

8) 10 जनवरी 1993 रेडियो की शक्ति में विकास तब हुआ जब श्रोता जो अब तक केवल पत्रों के द्वारा अपनी बात रेडियो स्टेशन तक पहुँचाते थे उसमें नया अध्याय शुरू हुआ। यह था 'फोन इन' कार्यक्रम जिस में श्रोता सजीव अपनी बात प्रस्तुतकर्ता से कर सकते थे। इस तकनीक ने एकल संचार को द्विपक्षीय संचार में बदल दिया। श्रोता स्टूडियो में बैठे डॉक्टर अदि से स्वयं सवाल कर प्रतिक्रिया देने लगे।

9) 23 नवम्बर 1997 भारतीय प्रसारण में एक तीव्र मोड़ आया जब प्रसार भारती बिल संसद से पास हुआ और आकाशवाणी व दूरदर्शन को प्रसार भारती के अंतर्गत स्वतंत्र कार्यभार सौंपा गया। ये प्रसार भारती अधिनियम के तहत देश का लोक सेवा प्रसारक है जो 23 नवम्बर 1997 को अस्तित्व में आया।

10) जून 1999 प्रसार भारती के गठन के बाद एक कदम प्राइवेट एफ एम रेडियो स्टेशनों को प्रसारण की अनुमति दिया जाना था। इससे पहले, प्रयोग के आधार पर 1993 में सरकार ने रेडियो प्रसारण क्षेत्र को निजीकरण के लिए पहल की थी और उसने इंदौर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, विशाखापट्टनम और गोवा में निजी ऑपरेटरों को अपने एफएम चौनलों पर एयरटाइम ब्लॉक बेचा, जिन्होंने अपनी खुद की प्रोग्राम सामग्री विकसित की। यह प्रयोग भी बहुत सफल हुआ। इस प्रकार 3 जुलाई, 2001 को रेडियो सिटी ने बैंगलोर में पहले प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई।

11) 1 फरवरी, 2004 भारतीय प्रसारण में एक तीव्र मोड़ तब आया जब विश्व के अनेक विकासशील राष्ट्रों की भांति भारत में भी सामुदायिक यानि कम्युनिटी रेडियो के द्वार खुल गए। अन्ना रेडियो चेन्नई से इसकी शुरुआत हुई जो बाद में शिक्षा संस्थानों के अतिरिक्त एन जी ओ एवं कृषि विकास केन्द्रों को भी रेडियो का लाइसेंस आबंटित किया जाने लगा। सामुदायिक रेडियो लोगों का लोगों द्वारा लोगों के लिए प्रसारण माना जाता है जो बेजुबान लोगों को स्वर प्रदान करता है। इन की संख्या वर्तमान में 200 है।

12) 3 अक्तूबर, 2014 रविवार प्रातः 11 बजे आकाशवाणी से एक नए कार्यक्रम का सूत्रपात हुआ 'मन की बात'। इसे न केवल ऑल इंडिया रेडियो के सभी चैनल से प्रसारित किया गया बल्कि दूरदर्शन ने भी इसे अपने सभी चैनल से रिले किया। रेडियो जगत के लिए ये न केवल सम्मान की बात थी, बल्कि इस कार्यक्रम ने रेडियो की शक्ति को भी स्थापित करने की दिशा में अनूठा योगदान दिया। 27 जनवरी, 2015 को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इस

कार्यक्रम में भाग लिया जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई। 'मन की बात' कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हर माह किसी विषय पर विशेष श्रोता समूह को संबोधित किया जाता है और इसकी पहुँच दूर दराज के ग्रामीण व किसानों तक होती है। 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश की 68 प्रतिशत जनता आज भी गाँवों में निवास करती है। उन तक पहुँचने की शक्ति केवल एक ही माध्यम में है और वह है 'रेडियो'।

मन की बात से जन की बात

3 अक्तूबर, 2014 से आरम्भ प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम ने देश में विकासात्मक प्रसारण के द्वारा संचार को एक नयी दिशा दी है। केवल जागरूकता ही प्रसारण का उद्देश्य नहीं होता। आवश्यकता तो अंतर्मन के स्पंदन की है, ज्ञान व सूचनाओं से बुद्धि का विकास तो संभव है परन्तु चेतना तभी जागृत होती है जब किसी के शब्द, किसी की वाणी आपका चित्त परिवर्तन कर देती है। विकासात्मक संचार में समस्याएँ कुछ भी हो सकती हैं। वो संस्कृति की हो या ग्रामीण विकास की, शिक्षा की हो या फिर भ्रूण हत्या की, स्वास्थ्य की हो या फिर स्वच्छता की, जातिभेद की हो या सुशासन की। समस्या का निदान तभी हो सकता है जब उसे समस्या माना जाये। उसे विभिन्न पक्षों से देखा जाये और अंततः उसके निदान के लिए प्रयास किया जाये। यद्यपि आज हमारे पास सूचना के अनेक साधन उपलब्ध हैं परन्तु सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने, उत्साहित, क्रियाशील व् प्रगतिशील बनाने, समाज में मूल्यों को स्थापित करने, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक शक्तिओं के विकास, स्वयं के प्रबंधन व परिवर्तन द्वारा विकास की गति को तीव्र कर सकने की दिशा में रेडियो की शक्ति व महत्व को कम नहीं आँका जा सकता। ग्रामीण आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं उन विषयों पर जानकारी देने के लिए एक शक्तिशाली टूल।

प्रधानमंत्री मोदी का रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' हमें क्या देता है? समाज के विभिन्न वर्गों का मानना है कि यह कार्यक्रम हमें सूचना का आहार प्रदान करता है, मन को शांति, तसल्ली और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता हैं। इससे कई चिन्तित क्षण हल हो जाते है। कुछ श्रोताओं का मानना है कि रेडियो पर यह कार्यक्रम लोगों के जीवन में सुधार लाने का मुख्य संचार साधन है जो लोगों के दरवाज़े पर आवाज़ के माध्यम से उपयोगी सूचनाएँ हार्दिक भावनाओं से ओत–प्रोत हो मन तक सजीव शैली में लाता है। यद्यपि आज विश्व में इंटरनेट व वेब का विकास तेजी से हुआ है परन्तु रेडियो आज भी उनके लिए वरदान है जो मुख्य धारा से पिछड़े हैं। खंडित हैं। पृथक व अकेले हैं। 'मन की बात' कार्यक्रम की सार्थकता का आधार है श्रोताओं की चेतना, उनका भावनात्मक सहयोग और मोदी द्वारा कही गयी बात का जनमानस पर गहरा प्रभाव। श्रोता इस कार्यक्रम की व्याख्या अपने अनुसार करते हैं, बाद में उस पर चर्चाएं की जाती हैं। श्रोताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि इस और संकेत करती है कि लोगों की आत्मीयता द्वारा भागीदारी को बढ़ावा मिला है। 'मन की बात' एक ऐसा झरना है जो अतृप्त व प्यासी आत्माओं को स्वर की बूंदों से शीतलता प्रदान करता है। रेडियो की लोकप्रियता का आधार होता है 'समाचार, संगीत व अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ समाज की आवाज को मुखरित करना। 'मन की बात' एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ से विभिन्न सामाजिक वर्गों को भागीदार बनाया जाता है। इससे ज्ञान का प्रसार बौधिक, सामाजिक, नैतिक व आधात्मिक स्तर पर होता है। रेडियो से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम का श्रोताओं के मन व मस्तिक पर सीधा प्रभाव पड़ता है जिस के परिणाम कुछ अन्तराल के बाद हमारे सामने आ रहे हैं जैसेः

- सरकारी नीतियों व कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जागरूकता, भागीदारी व लोकप्रियता
- राजनैतिक व व्यक्तिगत दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन
- लोगो में जागरूकता व व्यवहार में कुशलता
- अर्थव्यवस्था व वाणिज्य वातावरण में बदलाव
- सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश में परिवर्तन।

रेडियो की अपनी अनूठी विशेषता है। रेडियो व्यक्ति से अकेले बात करते भी करोड़ों लोगों तक पहुँचता है।

है। बल्कि रसोईघर, कार, स्टडी टेबल, खेत, बस, ट्रक, ढाबे, स्कूल, पंचायत और युवाओं की जेब तक सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, प्रेरणा व मार्गदर्शन पहुँचाने का यह सबसे सस्ता, सरल व तीव्र माध्यम है। इसकी संवेदना व शक्ति ध्वनि है 'चाहे वो वाणी हो या संगीत, संवाद हो या ध्वनि प्रभाव, शब्द हो या गीत, जो चित्र यह मानस पटल पर बनाता है, उसका प्रभाव अतुलनीय है। मानसपटल पर बनने वाले इस कल्पना चित्र की अनुभूति वास्तविक चित्र से कहीं अधिक सुंदर, स्पष्ट, मधुर व गहरी होती है। 'मन की बात' के माध्यम से रेडियो में नवजीवन का संचार हुआ है और विकासात्मक संचार को मिली है नयी गति।

*****

निर्वाण

– रणबीर सिंह*

निर्वाण कब किसका हुआ?
निर्माण जब हुआ नहीं ।
दीप तब कैसे बुझे...?
जब लौ अभी मिली नहीं ।
फूल फिर कैसे झड़े...?
जब कलियाँ अभी खिलीं नहीं ।
चेतना फिर कहाँ रही...?
जब ज्ञान अभी मिला नहीं...
निर्वाण फिर कैसे हुआ ?
उस अर्थ–हीन, लक्ष्य–हीन जीवन का...

जिसको कुछ मिला ही नहीं।

*****

*प्रोडयूसर, टी.वी.,एमसीआरसी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली–25

अचत

रणबीर सिंह*

अब कुछ भी अप्रत्याशित,
नहीं रह गया..
दूरियाँ मिट गई हैं अब,
दंगे–फसादों की
क्रूर समाजों की ।
व्यक्ति के पतन की,
मौत और कफन की
क्योंकि ———
अब हर चीज से, एक संबंध स्थापित हो गया है ।
बंदूक का गोली से ...
खून का होली से,
आँखों का खामोशी से...
आज,
सब कुछ, एक मसाला चित्रपट की भाँति,
यथार्थ में घटित हो रहा है,
और,
मानव खामोश चेतनाहीन,
शून्य में सो रहा है ।

*****

दिल्ली

– डॉ. सत्य प्रकाश प्रसाद*

धुँआ और धुंध में घुटती अपनी दिल्ली

सिकुड़ती,फड़फड़ाती और सहमी दिल्ली

किस्तों में जिए जा रहे हर एक शहरी

हर साँस में घोले जहर की पोटली

बेबस, बदहाल, बदरंग, बदहवास

घसीटती, करहाती, थकाती जिंदगी।

*****

*सहायक प्रो.(अंग्रेजी) अनुप्रयुक्त विज्ञान व मानविकी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली–25

आलेख

जंग–ए–आज़ादी में मुसलमानों का योगदान

– आदिल अली*

15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तारीख है, आज ही के दिन भारत ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं। भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाने में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुरबानी दी।

हम देखते हैं कि जब भी स्वतंत्रता सेनानियों की बात आती है तो मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर सिर्फ एक ही नाम सामने निकल आता है। उस नाम से आप भी अच्छी तरह वाकिफ़ है। जी हाँ वह और कोई नहीं 'अशफाक उल्लाह खान' का नाम ही इतिहास के पन्नों में दिखाई देता है। तो मुद्दा यह है कि क्या सिर्फ अशफ़ाक़ उल्लाह खान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे।

साम्राजी हुकूमत के खिलाफ जेहाद का फतवा 1806 में ही शाह अब्दुल अज़ीज ने दे दिया था। मौलाना कासिम नानौतवी, हाजी आबिद हुसैन, मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने तहरीके आज़ादी के लिए ज़हन साज़ी और तर्बियत के लिए दारूल उलूम देवबन्द, जामिया कासिमया शाही मुरादाबाद, मज़ाहिर उल उलूम सहारनपुर वगैरह जैसे अजीमुश्शान तालीमी और तरबियती इदारों की बुनियाद रखी ।

इन बुजुर्गों के नज़दीक साम्राजी हुकूमत के खिलाफ जेहाद फर्ज़ था। इसी अक़ीदे का ही नतीजा था कि 1885 में जैसे ही इन्डियन नेशनल कांग्रेस क़ायम की गयी इस जमात के सरबराह शैखुल हिन्द हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब ने और आपके साथियों ने।

1904 में शैखुल हिन्द महमूद हसन ने ''रेशमी रूमाल'' तहरीक शुरू की जो 1914 तक इस कदर मुअस्सिर तहरीक बन गयी थी कि अगर कुछ लोग तहरीर से गद्दारी ना करते तो शायद हम 1914 में ही आज़ाद हो गये होते मगर तहरीक नाकाम हुई और तहरीक के रहबर मौलाना महमूद उल हसन, मौलाना अज़ीज गुल, हकीम नुसरत हुसैन, रहीमउल्लाह और दीगर बुज़ुर्गाने मुस्लिमीन हिज़ाज ए मुकद्स में गिरफ्तार किये गये, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, मौलाना मुहम्मद मियां अन्सारी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और दीगर बुजुर्गों को जिला वतन किया गया ।

इसके बाद 1919 में जमिअत उल्मा ए हिन्द की बुनियाद रखी, कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी के लिये लड़ते रहे और कांग्रेस से कहीं ज्यादा जानी और माली कुरबानी पेश की और 1947 में मुल्क को साम्राजी हुकूमत से मुकम्मल आज़ादी दिलाकर ही दम लिया।

पूर्व से पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढने से लोग एक होने लगे थे । देश के अलग–अलग हिस्सों में विद्रोह की चिंगारी उठ चुकी थी। लखनऊ में इसकी कमान बेगम हजरत महल संभाल रहीं थीं तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इन सबको एक ऐसा नेतृत्व दिया जो इस लड़ाई की रूपरेखा तैयार कर सके। क्रांतिकारियों की आपसी सहमति से इसकी जिम्मेदारी आखिरी मुगल शासक बहादुरशाह ज़फर को सौंपी गई पर ये आंदोलन कुचल दिया गया और बहादुरशाह जफ़र के बेटों को पोतों सहित दिल्ली के खूनी दरवाज़े पर मार दिया गया इसके आलावा एक और नाम है "मौलाना अबुल कलाम आज़ाद'' जिसे देखकर हमने भी यही समझ लिया कि मुसलमानों में सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफ़ाक़ उल्लाह खान के बाद दूसरे ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था।

जब मैं अपने स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तो उस दौरान मैंने इतिहास से सम्बन्धित जितनी भी किताबें पढ़ी उन सभी में मैंने अशफ़ाक उल्लाह खान के अलावा किसी भी मुसलमान का नाम स्वतत्रंता आंदोलन

* ओ.एंड.एम. शाखा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली–25

में शामिल नहीं देखा। बल्कि अगर अस्ल तारीख का गहन अध्ययन किया जाये, तो आप देखेगे 1498 की शुरूआत से लेकर 1947 तक मुसलमानों ने विदेशी आक्रमणकारियों से जंग लड़ते हुए अपनी जानो को शहीद करते हुए सब कुछ कुरबान कर दिया।

इतिहास के पन्नों में अनगिनत मुस्लिम हस्तियों के नाम दबे पड़े हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन का बहुमूल्य योगदान दिया जिनका ज़िक्र भूले से भी हमें सुनने को नहीं मिलता है। जबकि अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष में मुस्लिम क्रांतिकारियों, कवियों और लेखकों का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। 1972 में शाह अब्दुल अज़ीज (रह.) ने अंग्रेजों के खिलाफ जेहाद का फतवा दे दिया (हमारे देश के इतिहास में 1857 की मंगल पांडे की क्रांति को आजादी की पहली क्रांति माना जाता है) जबकि सच्चाई यह है कि शाह अब्दुल अज़ीज (रह.) 85 साल पहले आज़ादी की क्रांति की लौ हिन्दुस्तानियों के दिलों में जला चुके थे। इस जेहाद के जरिये उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को देश से निकालो और आज़ादी हासिल करो।

यह फ़तवे का नतीजा था कि मुसलमानों के अन्दर एक शउर पैदा होना शुरू हो गया कि अंग्रेज लोग फकत अपनी तिजारत ही नहीं चमकाना चाहते बल्कि अपनी तहज़ीब को भी यहाँ पर ठूसना चाहते है ।

हैदर अली और बाद में उनके बेटे टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रारम्भिक खतरे को समझा और उसका विरोध किया। टीपू सुल्तान भारत के इतिहास में एक ऐसा योद्धा था जिसकी दिमागी सूझबूझ और बहादुरी ने कई बार अग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अपनी वीरता के कारण ही वह 'शेर–ए–मैसूर' कहलाए ।

अंग्रेजों से लोहा मनवाने वाले बादशाह टीपू सुल्तान ने ही देश में अंग्रेजो के जुल्म और सितम के खिलाफ बिगुल बजाया था और जान की बाज़ी लगा दी मगर अंग्रेजों से समझौता नहीं किया। टीपू अपनी आखिरी साँस तक अंग्रेजों से लड़ते–लड़ते शहीद हो गए। टीपू की बहादुरी को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हे विश्व का सबसे पहला रॉकेट आविष्कारक बताया था ।

बहादुरशाह ज़फ़र (1775–1862) भारत के मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह थे और उर्दू भाषा के माने हुए ाायर थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। इस जंग में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा (अब म्यांमार) भेज दिया जहाँ उनकी मृत्यु हुई।

1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है ब्रितानी शासन के विरूद्व एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह दो वर्षो तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरम्भ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों तथा आगजनी से हुआ था परन्तु जनवरी माह तक इसने एक बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अन्त भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आरम्भ हो गया जो अगले 10 वर्षो तक चला ।

लाल कुर्ती आन्दोलन भारत में पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रान्त में खान अब्दुल गफ्फ़ार खान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई ख़िदमतगार के नाम से चलाया गया जो कि एक ऐतिहासिक आन्दोलन था। विद्रोह के आरोप में उनकी पहली गिरपतारी 3 वर्ष के लिए हुई थी। उसके बाद उन्हें यातनाओं की झेलने की आदत सी पड़ गई। जेल से बाहर आकर उन्होंने पठानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए 'खुदाई खिंदमतगार' नामक संस्था की स्थापना की और अपने आन्दोलनों को और भी तेज़ कर दिया।

सर सैय्यद अहमद ख़ां ने अलीगढ़ मुस्लिम आन्दोलन का नेतृत्व किया। वे अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारम्भिक काल में ही कट्टर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने हमेशा हिन्दु–मुस्लिम एकता के विचारों का समर्थन किया। 1884 ई. में पंजाब भ्रमण के अवसर पर हिन्दू–मुस्लिम एकता पर बल देते हुए सर सैय्यद अहमद खां ने कहा था कि हमें (हिन्दू और मुसलमानों) को एक मन, एक प्राण हो जाना चाहिए और मिल–जुलकर कार्य करना चाहिए।

यदि हम संयुक्त है, तो एक–दूसरे के लिए बहुत अधिक सहायक सिद्व हो सकते हैं। यदि नहीं तो एक का दूसरे के विरूद्व प्रभाव दोनों को ही पूर्णतः पतन और विनाश कर देगा। इसी प्रकार के विचार उन्होंने केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में भाषण देते समय व्यक्त

किये। एक अन्य अवसर पर उन्होने कहा था कि हिन्दू एवं मुसलमान शब्द केवल धार्मिक विभेद को व्यक्त करते हैं। परन्तु दोनों एक ही राष्ट्र हिन्दुस्तान के निवासी हैं।

सर सैय्यद अहमद खाँ द्वारा संचालित 'अलीगढ़' में उनके अतिरिक्त इस आन्दोलन के अन्य प्रमुख नेता थे नज़ीर अहमद, चराग़ अली, अल्ताफ हुसैन, मौलाना शिबली नोमानी।

यह तो चुनिंदा लोगों के नाम हमने आपको बताए हैं। ऐसे सैकड़ों मुसलमान थे जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में अपने जीवन को कुर्बान कर देश को आजाद कराया। इतना ही नहीं मुस्लिम महिलाओं में बेगम हजरत महल, अस्घरी बेगम, बाई अम्मा ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता के संघर्ष में योगदान दिया है। पर अफ़सोस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इतने मुसलमानों के शहीद होने के बाद भी हमको मुसलमानों के योगदान के बारे में नहीं बताया जाता।

कुछ मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियो के नाम इस प्रकार हैः

- नवाब सिराजुद्दौला
- शेरे–मैसूर टीपू सुल्तान
- हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी
- हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज मुहद्दिस देहलवी
- हजरत सैयद अहमद शाहीद
- हज़रत मौलाना विलायत अली सदिकपुरी
- अब ज़फर सिराजुदद्दीन मुहम्मद बहादुर शाह जफर
- अल्लामा फजले हक खैराबादी
- शहजादा फिरोज शाह
- मौलवी मुहम्मद बाकिर शाहीद
- बेगम हजरत महल
- मौलाना अहमदुल्लाह शाह
- नवाब खान बहादुर खान
- अजीजन बाई
- मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद
- हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मकई
- हजरत मौलाना मुहम्मद क़ासिम ननौतवी
- मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी
- शैखुल हिन्द हजरत मौलाना महमूद हसन
- हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी
- हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई
- हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी
- मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली
- हज़रत मौलाना किफायतुल्लाह
- सुब्हानुल हिन्द मौलाना अहमद सईद देहलवी
- हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी
- सईदुल अहरार मौलाना मुहम्मद अली जौहर
- मौलाना हसरत मोहनी
- मौलाना आरिफ हिसवि
- मौलाना अबुल कलाम आजाद
- हज़रत मौलाना हबीबुर्रहमान लुधियानवी
- सैफुद्दीन किचलू
- मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान
- मौलाना मज़हरूल हक
- मौलाना जफर अली खान
- अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरिकी
- डॉ. मुख्तार अहमद अंसारी
- जनरल शाहनवाज ख़ान
- हजरत मौलाना सैय्यद मुहम्मद मियाँ
- मौलाना मुहम्मद हिफजुर्रहमान स्यौहारवी
- हजरत मौलाना अब्दुल बरी फिरंगीमहली
- खान अब्दुल गफ़्फ़ार उस्मानी
- डॉ. सैय्यद महमूद
- खान अब्दुस्समद खान अंचकजाई
- रफ़ी अहमद किदवई
- युसुफ मेहर अली
- अशफाक उल्लाह खान
- बैरिस्टर आसिफ अली
- हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी
- अब्दुल कय्यूम अंसारी

*****

आलेख

डोगरीः मेरी भाषा

— पद्मा सचदेव*

राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था "जब से स्वराज्य हुआ है भारतीय भाषाओं में जान आ गयी है।", यह बात अक्षरशः सत्य है, जान पाने के बाद जिलाने, बड़ा करने और लोगों तक पहुँचाने की अहम भूमिका प्रकाशकों की रही है। अपनी–अपनी भाषाओं को समर्पित लोगों ने शुरू में ये बीड़ा खुद उठाया था, अगर मैं सिर्फ डोगरी की बात करूँ तो रियासत की सरकारी ज़बान उर्दू होने की वजह से ज़्यादा छपाई उर्दू में ही होती थी। उर्दू में ही ज़्यादातर अखबार छपते थे। डोगरी का पहला समाचार पत्र 1980 में डोगरी में प्रकाशित हुआ था। इसका नाम डोगरी मित्र था। ये महाराज प्रताप सिंह जी का ज़माना था। जम्मू कश्मीर में 1891 में सरकारी प्रेस की स्थापना हुई थी। इसमें अंग्रेज़ी में गजट छपता था पर इश्तिहार डोगरी में होते थे।

रियासत में मशहूर हुई थी अखबार रनबीर। 1940 में प्रेम प्रिंटिंग प्रेस से निकलनी शुरू हुई। इसके संपादक स्व. मुलखराज शर्राफ थे। शराफ साहेब रियासत में पत्रकारिता के गुरु कहलाते थे। एक और मशहूर लेखक और पत्रकार नरसिन्ह दास नरगिस की चाँद प्रेस थी जिसमें उर्दू का अखबार और किताबें छपती थीं। इसके अलावा और भी पब्लिशर थे।

डोगरी भाषा का सबसे पहले उल्लेख 1371 ई में मिलता है। अमीर खुसरो की एक रचना जिसमें उन्होंने भारत की बोलियों–भाषाओं के नाम गिनवाए उनमें डोगरी का नाम भी आता है। इसके बाद भी कई विद्वानों ने डोगरी भाषा का ज़िक्र किया है।

डोगरी की अपनी लिपि है टाकरी। जब हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बनी तब डोगरी साहित्य छापने के लिए देवनागरी अपनाना एक प्रगतिवादी दूरदर्शिता की बात समझी गयी। हालाँकि डोगरी पहाड़ी उच्चारण पकड़ने के लिए देवनागरी पूरी तरह समर्थ नहीं थी। वह डोगरी ध्वनियाँ भी प्रकट नहीं कर सकती थी पर जिनकी मातृभाषा डोगरी है वे देवनागरी लिपि में भी उसे पढ़ने के अभ्यस्त हो गए हैं। प्रारम्भ में डोगरी की कुछ पुस्तकें फ़ारसी लिपि में भी छपी पर अब तक़रीबन सभी पुस्तकें देवनागरी ही में छप रही हैं।

उस वक़्त पढ़े लिखे तमाम लोग उर्दू ही जानते थे, सिर्फ पंडित हिंदी या संस्कृत जानते थे। डोगरी की लिपि टाकरी अधिकतर साहूकारी तक सीमित थी। उसमें कोई साहित्य छपने की जानकारी नहीं मिलती।

डोगरी लोकगीतों की पुस्तक Shadow & Sunlight जिसमें गीतों की स्वरलिपि पं. उमादत्त जी ने तैयार की थी, बॉम्बे के एशिया पब्लिशिंग हाउस में छपी। डॉ. करणसिंह जी की डोगरी भाषा को अमूल्य देन थी। डॉ. करणसिंह जी ने न केवल डोगरी के लेखकों को प्रोत्साहन दिया बल्कि खुद भी डोगरी में लिखा। आज जम्मू में भी कुछ प्रकाशक डोगरी की पुस्तकें छाप रहे हैं पर अधिकतर पुस्तकें जालंधर या दिल्ली में ही छपती हैं। 1969 में मेरी पहली पुस्तक दिल्ली से तवी प्रकाशन से छपी थी। जम्मू से ताहिर प्रकाशन की ज़्यादा सहूलियतें थीं, इसका कारण है जम्मू के लेखकों का अधिक तालमेल भी बाहर के प्रकाशकों से इसीलिए हो रहा है।

सदियों से डोगरी में लिखे जाने वाले असंख्य लोकगीतों को सहेजकर रखने वाले डोगरों को प्रणाम कर मैं डोगरी का परिचय आप से करवाना चाहूँगी।

डोगरी में जब रचनाकारों को कुछ कहने का लोभ हुआ तो उनमें से कई बज्रभाषा, उर्दू, फारसी, पंजाबी, संस्कृत या हिंदी में साहित्य रचते थे। तब ये समझा जाता रहा होगा कि साहित्य की रचना के काबिल डोगरी भाषा नहीं है। पर जो लोग विद्वान न थे जो सदियों से पहाड़ों की सलवटों में घर बनाकर रहते थे उन्होंने हज़ारों लोकगीत रचकर आने वाली पीढ़ियों को सौंपे। इन खुशनसीब लोगों में मैं भी रही हूँ। मैंने न सिर्फ लोकगीत बनते देखे हैं बल्कि उनमें योगदान भी

* सरस्वती सम्मान 2015 से सम्मानित साहित्यकार द्वारा हिंदी दिवस,2017 को जामिया में दिया गया वक्तव्य

दिया है। लोकगीत बनने की प्रक्रिया हवा के बहने जैसी है। एक लोकगीत का अंतरा अगर एक गाँव के किसी मेले में बना तो दूसरा गाँव की चौपाल में बना। इस तरह गीत बनते–बनते हर गाँव में पहुँचता भी रहा। पंडित और कवि चाहे दूसरी भाषाओं में लिखते रहे पर डोगरा मन की बर्फ जब भी पिघली तब उसने डोगरी में ही रचा, पहाड़ों में बूँद–बूँद बहकर ये पानी जहाँ भी इकट्ठा हुआ लोगों ने वहीं से ओक लगाकर लोकगीतों का ये रस पी लिया। पीढ़ी दर पीढ़ी गाए जाने वाले ये लोकगीत ज़िन्दगी की हर अदा के साथ जुड़ते गए। आज संस्कृति बचाने के लिए लोकगीत को बचाना चाहिए।

हमारे भारत में 15 या 16 सौ बोलियाँ और भाषाएं हैं। इन सभी के लोकगीत अद्‌भुत हैं। इन लोकगीतों में पीढ़ियों के अनुभव, विश्वास, आदर्श, रीति–रिवाज़, परम्पराएं सब फूलों में खुशबू की तरह रचे–बसे हुए हैं। हर मौके के लिए लोकगीत हैं। हर भाषा के लोकगीतों की अपनी अलग पहचान होते हुए भी इनकी आत्मा किसी बारीक धागे के साथ जुड़ी हुई है।

डोगरी में भी इन लोकगीतों में लोगों की खुशी, ग़मी, शादी–ब्याह, बच्चा पैदा होने, बढ़ने और स्कूल जाने या खेतों में काम करने, त्यौहारों के आने जाने संबंधी लोकगीतों की भरमार है। इसके अतिरिक्त हज़ारों लोककथाएं, मुहावरे, सभी दादी नानी ने सहेज कर अगली पीढ़ी को दे दी है। डोगरी लोकगीत शिवालिक की पहाड़ियों की गोद में बिखरे पड़े हैं, उनसे आपका परिचय करवाने का लोभ मैं नहीं छोड़ सकती। एक लोकगीत की बानगी देखिये जिसमें एक सिपाही की पत्नी अफ़सरों और सिपाहियों में असमानता देखकर कह उठती है :–

कांचिये ते बैरकें छपाई सादे रौहन्दे पाक्किये ले रौहन्दे ओहदेदार छपाइयाँ नामां कटाई घर आ।
(हमारे सिपाही कच्ची बैरकों में रहते हैं पक्की बैरकों में ओहदेदार रहते हैं, ये असमानता देखते हुए नाम कटवाकर घर वापिस आ जाओ।)

पंजाबी भाषा में जिस तरह टप्पे लाजवाब है। पहली पंक्ति काफिया मिलाने के लिए ही क्यों न हो पर दूसरी पंक्ति में अद्‌भुत बात रहती है। इसी तरह डुग्गर में चन्न गोबर लिपि छतों पर जब कान पर हाथ रखकर बांकी डोगरी औरतें अपनी पाटदार आवाज़ों में चन्न गाती हैं तब चाँद भी धरती पर उतर आता है। स्व. दिनकर जी को डोगरी का ये चन्न बड़ा पसंद था।

चन्न इहाड़ा चड़ेया ते बैरिया दे ओहले,
बैर पटाओ म्हाडा चन्न मुहाँ बोले मिलना ज़रूर मेरी जान हो
(मेरा चाँ बेर के दरख़्त की ओट में है, दरख़्त उखड़वा दो ताकि मेरी चाँद मुँह से बोल सके। मेरी जान मिलना तो ज़रूर है।)

दिनकर जी एक बार मुम्बई में मुझे पृथ्वीराज कपूर जी से मिलवाने ले गए थे। पृथ्वीराज जी तब बीमार थे। उनके घर में जब दिनकर जी ने उनसे कहा–ये डोगरी की कवयित्री हैं तो पृथ्वीराज जी ने खुद मुझे डोगरी का ये लोकगीत सुना दिया।

पल्लू फट्टे सी लेना, अम्बर फट्टे कियाँ सीना, खसम मरे जी लेना, यार मरे कियाँ जीना
(कपड़ा फटे तो सी लूँ, आसमान फटे तो कैसे सिऊँ, खसम मरे तो किसी तरह जी लूँगी पर यार मरे तो कैसे जिऊँगी)

डोगरी सुनकर मैं बड़ी प्रसन्न हुई पर सीधे सादे पहाड़ियों की बेबाकी से थोड़ा दुखी भी हुई। मैंने सोचा हमारे हज़ारों लोकगीतों में से क्या इन्होंने यही सुना है।

डोगरी भाषा की लिपि के पुराने नमूने शिलालेखों, तामपत्रों, सरकारी सनदों, हुकुमनामों, चिट्ठियों, हवेलियों के द्वारों, मंदिरों की दीवारों बसोहली व पहाड़ी पेंटिंग्स के चित्रों के नीचे लिखे हुए मिलते हैं।

तकरीबन 1930 तक मातृभाषा डोगरी को मौलिक साहित्य के योग्य नहीं समझा गया। जैसे भाषा न हो घर की बहू हो जिसे चारदीवारों में रखना ज़रूरी है।

मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। शास्त्री जी के डोगरी गीतों में उस समय के डोगरी जीवन की कमज़ोरियाँ,

बुराईयाँ और संस्कृति के बदलाव से आने वाली अंधी दौड़ से पेश किया होता तो सुनने वालो के जुबां पर तुरंत चढ़ जाता।

डोगरी का वह पहला कवि जिसकी रचना हमें उनके नाम के साथ मिलती है वो 'देवीदत्त' जिन्हें प्यार से कवि दत्तू कहा जाता है। अठारहवीं सदी के अंत में जन्में, ये कवि मुख्यतः ब्रजभाषा में लिखते थे। ब्रजभाषा में उनका स्तोत्र उत्तर भारत में प्रचलित रहा।
यह स्तोत्र इस प्रकार हैः

कमलनेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली
गिरिधरम, मुकुट कुण्डल करल
कुटिया सांवरे राधे बरम

ब्रजभाषा में ये स्तोत्र हुआ, अब डोगरी में उनका ये गीत देखिये

किल्लियाँ बनना छोडी दित्ता, इन्दे सात्थें
सात्थें भरी लैऔन्नी पानी
(मैंने अकेला घूमना छोड़ दिया है, अब इन
सबके साथ पानी भरने जाती हूँ)

डोगरी में कवि के नाम के साथ मिलने वाली ये पहली रचना है। 1990 सदी में संस्कृत और ब्रजभाषा के साथ–साथ कई कवियों ने डोगरी की छिटपुट रचनाएँ भी कीं। पर हमें अधिक कुछ नहीं मिला। उसी समय कवि गंगाराम का सूखे इलाके कंडी में ब्याही एक लड़की के बारे में लिखा ये बहुत ही मार्मिक गीत मिल सका है।

बाजरे दी राखी करि डंगर चराई
करी चिड़ियाँ डुआरी करि कियाँ
कीयां कत्तना कोह जाईं पानी भरीं,
पथरे च पैर भन्नी ढक्किया डा दुःख
मैने कुस्सी जाई दस्सना
(बाजरे की राखी करते हुए, गाय
गोक चराते हुए, चिड़ियाँ, पखेरू
उड़ाते उड़ाते मैं चरखा भी कैसे
कातूँ। एक कोस चल कर पानी भर
लाऊँ, पत्थरों में पैर तुड़वाऊँ ढक्की
के दुःख साखि किसे जाकर बताऊँ।)

बीसवीं सदी के पहले चालीस बरसों के भीतर डोगरी में लिखने वाले दस एक कवियों के नाम हमें मिलते हैं। इन नामों में डोगरी भाषा को उंगली पकड़ कर चलना सिखाने में पं. हरदत्त शास्त्री का बड़ा योगदान रहा है। शास्त्री जी रघुनाथ मंदिर में कथावाचक थे। कथा के बाद भी स्वरचित डोगरी गीत गाने लगे थे। मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। शास्त्री जी के डोगरी गीतों में उस समय के डोगरी जीवन की कमज़ोरियाँ, बुराईयाँ और संस्कृति के बदलाव से आने वाली अंधी दौड़ की चुभती शैली में पेश किया होता तो सुनने वालों के जुबां पर तुरंत चढ़ जाता।

1940 में दूसरी भाषाओं में लिखने वाले डोगरी लेखकों की कलम से डोगरी अक्षर झरने के लिए बैचेन होने लगे। 1944 के बसंत पंचमी का सुहावना दिन था जब कुछ लोगों ने डोगरी में ही लिखने का आह्वान किया। प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री, दीनू भाई पंत, चित्रकार संसार चंद और कई लेखकों ने अपनी भाषा की उपेक्षा के मलबे से निकल कर प्रतिष्ठित सिंहासन पर बिठाने का अहद कर लिया। जम्मू के दीवान बद्रीनाथ मंदिर में दोपहर को जब मिलकर बैठते और एक–दूसरे की डोगरी रचनाएं सुनते। बसंत पंचमी के दिन ही डोगरी लेखकों ने डोगरी संस्था की नींव रखी जिसमें हर तरफ से डोगरी प्रेमी आ जुटे।

आज हमारे पास साहित्य की हर विद्या की हज़ारों पुस्तकें हैं। साहित्य अकादमी ने 1969 में डोगरी को मान्यता दी थी। एक दो बार छोड़ दें तो हर बरस साहित्य अकादमी के पुरस्कार के योग्य डोगरी की किताब रही हैं। आज डोगरी के पास कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, जीवनियाँ, लेख, यात्रा वृतांत संस्मरण, नाटक हर तरह का साहित्य है जो भारत की किसी भी भाषा के सम्मुख बड़ा हो सकता है। इसमें हमें रियासत की कल्चरल अकादमी से भी बड़ी सहायता मिली है।

कल्चरल अकादमी ने डोगरी लोकगीतों की 25 पुस्तकें छापी है। 20 के करीब लोक कथाओं की पुस्तकें हैं और अभी भी कई लोकगीत, कहानियाँ, पहाड़ों की तहों से बाहर आने के लिए कुलबुला रही हैं।

1967 में अपनी कविता की पहली पुस्तक की भूमिका लिखवाने जब मैं दिनकर जी के पास गयी तब उन्होंने भूमिका में लिखा था, "डोगरी भाषा की पहली कवयित्री पद्मा सचदेव की कविता की पुस्तक *डोगरी के गीत* कितने विलक्षण होते हैं, आजकल ये देखकर मैं दंग हूँ कि डोगरी की सहज कवयित्री पद्मा सचदेव का मैं बड़ा उपकार मानता हूँ कि उन्होंने मेरे घर आकर मुझे इस अद्भुत आध्यात्मिक सम्पत्ति का ज्ञान कराया जो डोगरी में बिखरी पड़ी है।" डोगरी धन्य है, न जाने इसके भीतर कैसे कैसे रत्न छिपे हुए हैं। हिंदी को उन सभी लेखकों से परिचय करना चाहिए जो पहाड़ की तरह इस सुन्दर भाषा में लिख रहे हैं।

दिनकर जी का ये कहना डोगरी के लिए साहित्य का द्वार खोल देना था।

डुग्गर में जम्मू शहर का हमेशा एक विशेष स्थान रहा है। उन्नीसवीं सदी में महाराज रणवीर सिंह व इससे भी पहले अठारवीं सदी में महाराज रणजीत देव के समय डोगरा संस्कृति व अदब की तरफ विशेष ध्यान दिया गया। डोगरी सरकारी भाषा भी रही। आधुनिक डोगरी कविता के पहले कवि श्री दिनुभाई पंत ने लिखा।

मेरे देश उठो उजाला हो गया है। पंत जी की लम्बी कविता गुतलु डोगरी की पहली आधुनिक कविता है। ये एक पैम्फलेट के रूप में छपी और उजाला हो गया।

शुरू की कई पुस्तकें जिसमें गुतलु भी शामिल है डोगरी प्रकाशनों ने छापीं, ज़्यादातर उर्दू की प्रेस होती थी जहाँ डोगरी की पुस्तकें छपने लगीं। नई–नई लिखी जाने वाली भाषा को प्रकाशकों ने भी हाथों हाथ लिया क्योंकि यह मातृभाषा तो उनकी भी थी। परन्तु ज़्यादा किताबें फिर पंजाब या दिल्ली में ही छपी हैं। सभी पुस्तकें जम्मू में छपनी शुरू होंगी तो प्रकाशक और लेखक के बीच में सौहार्द का एक नया मंच बनेगा।

उन दिनों जो लेखक आसमान में नक्षत्रों की तरह छाये थे उनमें दीनुभाई पंत व प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री के अलावा शंभुनाथ शर्मा, किशन समलपुरी, यश शर्मा, वेदपाल दीप, केहरि सिंह, मधुकर और डोगरी की पहली कवयित्री पद्मा सचदेव का नाम लिया जासकता है।

*****

मैं तुमसे दूर क्यों नहीं जाती...

– अपर्णा दीक्षित*

जब–जब देखती हूँ तुम्हें काँपती हूँ मैं।
बढ़ाती तो हूँ, पर हाथ मिला नहीं पाती,
जलती हूँ हर दिन इस आग में,
आख़िर खुद को क्यों नहीं बचा पाती।
क्योंकि तुम समझदार हो,
मैं तुमसे दूर क्यों नहीं जाती।

एक सवाल है जो खुद से बार–बार पूछती हूँ।
क्यूं मैं तुम्हें बार–बार, हर बार टोकती हूँ,
एक रेखा दरमिया मैं खींच क्यों नहीं लेती
क्योंकि तुम समझदार हो,
मैं तुमसे दूर क्यों नहीं जाती।

रात एक गजल ने दिल तोड़ दिया है मेरा
सौ बार तुझसे दूर किया, आखिर नाम जोड़ दिया तेरा।
मेरी तन्हाई मुझे अकेले में क्यों नहीं खाती
क्योंकि तुम समझदार हो,
मैं तुमसे दूर क्यों नहीं जाती।

सुबह से शाम तक खुद को अकेला नहीं पाती।
जब से मिली हूँ तुमसे बिरहा नहीं गाती,
चाहती तो हूँ पर खुद से मिल नहीं पाती।
क्योंकि तुम समझदार हो,
मैं तुमसे दूर क्यों नहीं जाती।

हरकत पे इस अपनी मुझे, रत्ती भर भी शर्म नहीं आती,
कहती तो हूँ, पर क्यों कर नहीं पाती,
जैसे छाया शरीर से ठोकर नहीं खाती।
क्योंकि तुम समझदार हो,
मैं तुमसे दूर क्यों नहीं जाती।

मेरी ये गुस्ताखी मुझे एक पल नहीं भाती,
पाँव तो रखती हूँ मगर चल नहीं पाती,
बर्फ के जंगल में मैं क्यों गल नहीं जाती।
क्योंकि तुम समझदार हो,
मैं तुमसे दूर क्यों नहीं जाती।

---

*शोध सहायक, सरोजिनी नायडू महिला अध्ययन केंद्र, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली–25

आलेख

राजभाषाः विविध संदर्भ

– नदीम अख्तर*

हिंदी के विविध रूप हिंदी भाषा के विविध प्रयोग क्षेत्रों की ओर संकेत करते हैं। हिंदी एक ओर जहाँ साहित्य का सृजन करती है वहीं केंद्र व राज्य शासन के पत्र–व्यवहार, विधान–मंडल की कार्यवाही, संसदीय विविधयां, कार्यालयी पत्राचार, सरकारी संकल्पों, अभिकरण, निविदा, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली, विधि तथा डाक–तार आदि में प्रयुक्त होती है और साथ ही व्यावसायिक पत्रों, विज्ञापनों की रंगीन दुनिया, दृश्य–श्रव्य माध्यमों आदि में शब्द की भूमिका निभाती है।

राष्ट्रभाषाः राष्ट्रभाषा वह है जिसके माध्यम से पूरे राष्ट्र के नागरिक आपस में बोलते–समझते हैं और पत्र–व्यवहार करते हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

भारत सरकार की एक राजभाषा नीति है, जिसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी अब तक चल रहा है। इससे राजभाषा के रूप में हिंदी को अब तक अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। यद्यपि धीरे–धीरे राजभाषा के रूप में हिंदी का निरंतर प्रसार और विकास हो रहा है। केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और बैंको आदि के, हिंदी न जानने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण की विशेष व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग देश के प्रशासनिक ढांचे को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर सकता है।

राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई अलगाव नहीं है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा पर अपना प्रभाव डालती है। इस का कारण यह है कि जो भी राजभाषा के पद पर आसीन होती है लोग उसी में शिक्षा पाना आवश्यक समझते हैं। रोजी–रोटी, सामाजिक प्रतिष्ठा और भौतिक लाभ के लिए युवा–वर्ग में उसी भाषा का बोलबाला होता है। शासक की भाषा का अनुकरण होने लगता है। कचहरी और सरकारी कार्यालयों से संपर्क रखने वाले लोगों के द्वारा वही भाषा जन–साधारण में प्रचलित होती है।

संविधान सभा 14 सितंबर, 1949 के दिन भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने में संविधान सभा की यह मानसिकता रही है कि हिंदी भारत जैसे बहुभाषी देश में एक संपर्क भाषा के रूप में अपनाई जाएगी। संविधान सभा ने अन्य अनेक बातों पर विचार करते हुए राजभाषा हिंदी तथा उसके स्वरूप के संदर्भ में अनेक प्रावधान किए हैं जो राजभाषा हिंदी के संवैधानिक प्रावधान माने जाते हैं।

संघ की राजभाषा

अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

संवैधानिक प्रावधान की विशेषताएँ

1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाष हिंदी, लिपि देवनागरी तथा अंक भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप होंगे जैसे 1,2,3,4,5,6,7,8,9, एवं 10
2. संविधान के अनुच्छेद 343 (2) में प्रावधान है कि संविधान लागू होने के आरंभ के 15 वर्ष की कालावधि अर्थात् 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में जारी रहेगा।
3. संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा के लिए आयोग और संसदीय राजभाषा समिति के गठन एवं कार्य संबंधी प्रावधान भी हैं।
4. अनुच्छेद 345 में विभिन्न राज्यों के राजभाषाओं

*राजभाषा हिंदी प्रकोष्ठ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया

संबंधी प्रावधान है। उसके अनुसार संबंधित राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उस राज्य की किसी एक अथवा अनेक भाषाओं को अपनी राजभाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है। इस प्रावधान की यह विशेषता है कि संघ का प्रत्येक राज्य विधि द्वारा अपने राज्य की राज्य भाषा को अपनाने में सक्षम और स्वतंत्र है।

5. अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में उल्लेख किया गया है अर्थात् इसके अनुसार किसी एक राज्य और दूसरे राज्य और संघ के बीच संचार की भाषा 'तत्समय प्राधिकृत भाषा' होगी।

6. अनुच्छेद 347 में किए गए प्रावधान में किसी राज्य के विशिष्ट जनसमुदाय के किसी विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार यदि राष्ट्र का समाधान हो जाता है कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त समूह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को मान्यता दी जाए तो वैसा करने के लिए संबंधित राज्य को आदेश दे सकते हैं।

7. अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों आदि की भाषा के बारे में प्रावधान करते हुए स्पष्ट किया गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी और संसद एवं राज्यों के विधान मंडलों में पारित विधेयक तथा राष्ट्रपति एवं राज्यपालों द्वारा जारी सभी अध्यादेश, आदेश, विनिमय और नियम आदि सबके प्राधिकृत पाठ भी अंग्रेजी भाषा में ही माना जाएगा।

8. अनुच्छेद 349 के अनुसार संविधान के लागू होने के 15 वर्षों की अवधि तक अंग्रेजी के अलावा किसी भी दूसरी भाषा का पाठ प्राधिकृत पाठ नहीं माना जाएगा लेकिन किसी अन्य भाषा के प्राधिकृत पाठ हेतु राजभाषा आयोग तथा संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदनों एवं सिफारिशों पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

9. अनुच्छेद 350 के अनुसार किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ अथवा राज्य के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ अथवा राज्य में प्रयोग होने वाले किसी भाषा में अभिवेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति का हक होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि प्राथमिक स्तर पर बालकों को मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं संबंधित राज्य उपलब्ध कराएगा।

10. अनुच्छेद 351 अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अनुसार राजभाषा हिंदी के बहुमुखी विकास तथा प्रचार–प्रसार का कानूनी दायित्व केंद्र सरकार को सौंपा गया है और किसी प्रकार हिंदी भाषा का प्रचार–प्रसार तथा विकास किया जाएगा इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

केंद्रीय सरकार और हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों या विभागों के बीच निम्नलिखित के लिए हिंदी और अंग्रेजी का साथ–साथ प्रयोग अनिवार्य है:–

1- संकल्प (Resolutions)
2- सामान्य आदेश (General order/circular)
3- अधिसूचनाएं (Notifications)
4- नियम (Rules)
5- प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट (Administration and other Reports)
6- विज्ञापन (Advertisements)
7- प्रेस विज्ञप्तियाँ (Press Releases)
8- संविदा (Contracts)
9- करारनामे (Agreements)
10- सूचनाएं (Notices)
11- निविदाएं (Tenders)
12- लाइसेंस (Licences)
13- परमिट (Permits)

*****

आलेख

'न्यू इंडिया' की दिशाहीन युवा पीढ़ी

– शुभम पांडे*

यह बात हम सब भली–भांति जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है। जब कभी भी समूचा विश्व इस देश की ओर देखता है, तो निःसंदेह सभी का ध्यान आकर्षित यहाँ की छियासठ प्रतिशत वाली पैंतीस वर्षीय और उससे कम आयु वाले युवा ही करते हैं, जो भारत की आत्मा है। महान दार्शनिक और युवा शक्ति के प्रतीक चिह्न स्वामी विवेकानंद ने कभी युवाओं को यह कहा था कि "उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो, तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो, तत्व तुम्हारा सेवक है तुम तत्व के सेवक नहीं हो।" वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस युवा शक्ति को आने वाले हिंदुस्तान के प्रगति में पूरक बनने की बात कही थी। आज जब भी इस देश के भविष्य की बात होती है, चाहे कोई भी करें, तो सब इस बात से आश्वस्त होते दिखते है कि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी एक सुनहरा भविष्य दे सकती है एवं भारत को महाशक्ति बनाने का पूरा माद्दा रखती है। परंतु कभी–कभी इस बात पर संदेह भी होता है, क्या आज को देखते हुए कल उज्ज्वल होगा ?

यह सवाल इसलिए उठता हैं क्योंकि आज की युवा पीढ़ी अपने रास्ते से भटक रही है। चाहे वह किसी भी उम्र की हो, विद्यालय जाने वाली हो अथवा विश्वविद्यालय जाने वाली, युवा या युवती हो, सभी की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। इस बात को बल देते एजेंसियों के आकड़े, जो बताते है कि भारत के युवा नशे से ग्रसित है व पिछले पाँच सालों में इसमें तिरसठ फीसदी की वृद्धि भी देखी गई, जिसमें पंजाब तो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जहाँ हर चौथा नौजवान ड्रग्स का शिकार है। यदि अन्य जगहों की बात करें, तो नौजवानों के बीच शराब या सिगरेट जैसे सामान्य बात रह गई हो। इसके अलावा, कच्ची उम्र के बच्चे अकसर सड़कों पर बाइक दौड़ाते दिख जाते है, जिन्हें अपने आप का ही पता नहीं होता, बस चाबी मिली और हो गए शुरू। बारह से पंद्रह साल के बच्चों के हाथों में मोबाइल जिसके दुष्परिणाम जाने बगैर उन्हें मिल जाता है और यह समझ से परे है कि वो व्यवसायियों से भी ज्यादा व्यस्त कब से हो गए। एक जमाना था जब कोई भी शख्स यदि किसी पब्लिक वाहन में सफर करते समय कोई भी अखबार या उपन्यास पढ़ रहा होता, तो उसे सभी यात्री मिलकर पढ़ने लगते थे। अब तो ठीक उलट ही देखने को मिलता है, जहाँ अखबारों और उपन्यासों की जगह तेज संगीत बजते इयरफोन ने ले ली है। अब अगर इन युवाओं से कोई भारत के रक्षामंत्री, किसी राज्य के राज्यपाल का नाम या महादेवी वर्मा की लेखन शैली पर टिप्पणी करने को बोलें, तो कोई भला कैसे बता पाएगा जब उसने पढ़ा ही नहीं होगा। इससे यही समझा जा सकता है कि मार्गदर्शक गुरु द्रोण तो फिर भी है, किंतु जिज्ञासु अर्जुन नहीं, बड़ों का आदर और छोटों के प्रति प्यार तो कब का खत्म हो चुका है। अत्यधिक चिंताजनक यह कि आज का नौजवान समझ के अभाव की वजह से कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटक रहा है व दूसरों के बहकावे में आकर अपना जीवन खुद ही बर्बाद कर रहा है। इसकी मिसाल प्रतिबंधित संगठनों में जुड़ते कम उम्र के बच्चे व कश्मीर के पत्थरबाज, जो अपना विवेक न लगाकर, सही और गलत के बीच का फर्क ना जाने हुए, औरों की बातों में आकर अपना जीवन स्वयं नष्ट कर रहे है। अब तो हालात यह है कि अगर इन्हें कोई थोड़ा बोल भी दे, तो गलत होते हुए भी कुछ तो इसे दखलअंदाजी मानकर विरोध करने लगते है और अपनी मनमानी मनवाने के लिए दूसरों पर दबाव डालते है। इन सब को देखते हुए, यह सवाल तो उठना लाजमी है कि क्या ये युवा आने वाले समय में इस देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार है, जिनका वर्तमान इतनी बुरी स्थिति से गुजर रहा है?

स्थिति तो चिंताजनक है परंतु इसमें कोई दो–राय नहीं कि आज का नौजवान ही कल का शासक होगा। तो इस विपत्त के लिए एक दूसरे के ऊपर छींटा–कसी करने के बजाए, यह सोचना होगा कि इन्हें कैसे समझाया जाए तथा इनको समय दें, क्योंकि आज की भाग–दौड़ भरे जीवन में बड़ों का इनके साथ संवाद ना होना भी एक मुख्य वजह है। साथ ही समाज के बुजुर्गों को एक बार फिर से अपने जीवन के अनुभवों को इस कार्य को पूरा करने में लगाना होगा जिसकी मांग आज के हालात और शायद वक्त भी पुरज़ोर तरह से कर रहा है।

* छात्र, मास मीडिया हिन्दी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली–25

आलेख

"क्षमा" सफल जीवन का रामबाण

– सुरैय्या खातून*

"तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहोनातिमानिता।
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत।।
श्रीमद्भगवद्गीता 3 (16)

तेज, क्षमा, धैर्य बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और स्वयं में अभिमान का अभाव ये सब तो दैवी सम्पदा को लेकर पुरुष के लक्षण हैं।

'क्षमा' शब्द से हम सभी भली–भाँति परिचित हैं। क्षमा! क्षमा हमारे अन्दर मौजूद प्रेम तत्त्व का ही उपनाम है, क्योंकि जिसके भीतर प्रेम होता है, उसके भीतर क्षमा भाव होता है। प्रेम में स्वीकार करने की क्षमता होती है। प्रेम व क्षमा एक ही बात है। 'क्षमा' शब्द का प्रयोग हम 'भूलने' के लिए करते हैं, 'किसी को मुआफ़' करने के अर्थों में करते हैं। किन्तु आत्मज्ञानी श्री विराट गुरुजी कहते हैं, – "क्षमा माफ़ करना नहीं है, वह सहन करना है। (Kshama is to bear, not to forgive). क्षमा सहन करने को कहते हैं। क्षमा प्रतिक्रिया रहित समभाव को कहते हैं। अपने भावों की शुद्धि के लिए 'क्षमा' एक अद्भुत उपाय है। अगर आपने कोई भूल की हो या किसी ने आपसे दुर्व्यवहार किया हो, तब आप उन्हें क्षमा कर दें या उनसे माफी माँग ले। क्षमा करना क्षमा माँगने से भी अधिक कठिन काम है। जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं, तो उनके प्रति हमारे दिल व दिमाग में बने अवरोध खुल जाते हैं। क्षमा करने का तात्पर्य उनको अपनी शिकायतों से मुक्त करना है, उनके अपराधों को माफ करना और उनके व्यवहार के दोषों को प्रेमपूर्वक सहन कर लेना है। जबकि क्षमा नहीं करने पर हम आक्रोशित हो जाते हैं, या तो बोलकर अथवा मन ही मन दूसरों की आलोचना, चुगली अथवा विवेचना करते रहते हैं, उनके प्रति शिकायत भाव मन में रहता है वहीं इसके उलट क्षमा यानि 'शिकायतों का अभाव'। शिकायत रहित स्वभाव जहाँ स्वयं को आत्मिक शान्ति व प्रसन्नता का अनुभव कराती है, वहीं अन्यों को भी बोझ व अपराध भाव से मुक्ति दिलाने का कार्य करती है।

क्या आपको क्षमा पसंद है? शायद आप कहेंगे हाँ! पर कब हाँ? जब कोई अन्य क्षमा करे, तो पसंद है और जब हमें क्षमा करनी हो तब? तब सम्भव है कठिन लगे। मन विरोध करने लगे, वह कहने लगे, मैं क्यों सहन करूँ? क्या मेरा स्वभिमान नहीं है? आप इस तरह से अन्य अनेक तरीके से कई तर्क देकर अपने आवेश को जायज़ ठहरा सकते हैं? किन्तु अगर चिन्तन करें, तो समझ आएगा कि सम्पूर्ण अस्तित्व हमें सहन करता है, यहाँ हम कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, जोकि हम ही सहन कर रहे हैं? सम्पूर्ण अस्तित्व 'क्षमा' गुण के कारण ही टिका है। परस्पर विरोधी युगल तत्व एक दूसरे की विभिन्नता को, विपरीतता को सहज भाव से स्वीकार करते हैं। तभी तो सम्पूर्ण जीवन गतिमान रह जाता है–जैसे आग व पानी, हवा व वृक्ष, पृथ्वी व आकाश, स्वर्ग व नरक, स्त्री व पुरुष। यहाँ सभी एक दूसरे से अलग हैं, अलग स्वभाव वाले हैं, सोच–समझ व शैली वाले हैं फिर भी सभी एक–दूसरे को सहन करते हैं व जीवन सहयोग भाव से जीते हैं। अन्यथा तो हम सब कब के प्राणों से विमुक्त हो चुके होते। क्षमा गुण विकसित करने के लिए महान गुरुओं द्वारा रचित इस प्रार्थना की चंद पंक्तियाँ आप ज़हन में उतार सकते हैंः–

"प्रभु! मैं करूँ सबको सहन, सब जीव भी मुझको सहें।

ये लोक के सब भूत गण कण, वैर ना कोई लहें।।

अर्थात्, संसार के समस्त भूत, प्राणी मुझे सहन करें व मैं भी सबको सहन करूँ, किसी से कोई वैर न रखूँ।

क्षमा गुण हमारे अन्तर्मन को शुद्ध बनाता है, हमारे अतीत को निर्मल करता है। जब जब हम वर्तमान की प्रतिकूलताओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के स्वीकारते व आगे बढ़ते जाते हैं, त्यों–त्यों अतीत के पाप कर्मों की विशुद्धि होती जाती है, "क्योंकि हमारी वर्तमान परिस्थितियाँ हमारे अतीत की ही देन है। (our present is the reflection of our past) भगवान महावीर ने क्षमा को दस यति धर्मों में प्रथम स्थान दिया हैः–

"क्षमा धर्म पहलो खरो, इम भाख्यो जगदीश।"

हमारा भविष्य हमारे वर्तमान भावों का ही साकार रूप होगा। अतः 'क्षमा' द्वारा अपने सारे बन्धनों को हटा कर सुन्दर भविष्य का सृजन करें। क्षमा के भाव में सम्पूर्ण जीवन का सुख समाहित है।

*****

*छात्रा, एम.ए. (शिक्षा) जामिया मिल्लिया इस्लामिया,नई दिल्ली

आलेख

समावेशी शिक्षाः एक प्रयास

— सना परवीन*

यह सर्वविदित है कि शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा एक विशिष्ठ शिक्षा प्रणाली है। विशिष्ठ शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक अशक्त विकलांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक अशक्त या विकलांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए।

समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है।

समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चों के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को अपनी उम्र के साथ कक्षा के जीवन में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने हेतु अभिप्रेरित करती है।

समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की स्कूल संस्कृति के साथ–साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है।

समावेशी शिक्षा का एक व्यापक लक्ष्य यह भी दिखाई देता है कि एक साथ शिक्षित होने पर भविष्य में समाज के सरोकारों को आम लोग बेहतर ढ़ंग से समझ सकें तथा उनमें उनके प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता का विकास हो सके।

समावेशी शिक्षा को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के विकलांगों की मुख्य श्रेणियों–दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, मूक–बधिर, मन्दबुद्धि तथा स्वलीनता से ग्रसित लोगों को पढ़ाने के लिए अलग–अलग नामों से अंशकालीन शिक्षक एवं शिक्षिकाएं रखे जाते हैं।

इस तरह समावेशी शिक्षा के समूचे मॉडल में शिक्षा की पहुँच तथा शिक्षा की गुणवत्ता, दोनों ही समान रूप से आवश्यक है।

इस प्रकार समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की बात का समर्थन करती है तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग करती है।

*****

*छात्रा, एम.ए. (शिक्षा) जामिया मिल्लिया इस्लामिया,नई दिल्ली

अस्तित्व की लड़ाई

— डॉ सत्य प्रकाश प्रसाद*

ये सिमटना, भूलना, सिसकना और लिखना,
टूटी कड़ियों को जोड़ना, सोचना और फिर
कुछ पल थक–कर रुकना आदत हो गई है।
हाँ, अब अस्तित्व की लड़ाई इबादत हो गई है।
मानता हूँ कि शोर में खो जायेगी मेरी आवाज
कुछ सोते को जगाऊँ? शुरू करूँ कहाँ से ये आगाज?
इसी द्वन्द में जीना किस्मत हो गई है।
हाँ, अब अस्तित्व की लड़ाई इबादत हो गई है।।
बड़ी मुश्किल से बने थे ये दोस्त चार
सफर लंबा था, नजर बने थे ये यार
पर धीरे–धीरे अकेले चलने की आदत हो गई है।
हाँ, अब अस्तित्व की लड़ाई इबादत हो गई है।
मर्म गीतों के धुनों पर बहकना,
नजरो से बोझिल तस्वीरों को उकेरना
और तंग पगडंडी पर चलना, आदत हो गई है।
हाँ, अब अस्तित्व की लड़ाई इबादत हो गई है।

*****

*सहायक प्रोफ़ेसर,(अंग्रेज़ी) अनुप्रयुक्त विज्ञान व मानविकी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया

संस्मरण

मेरे पिताजी

— कनीज़ फातिमा*

आज जब सबसे पहले लिखने के लिए कलम उठाई तो अनायास ही पिताजी याद आ गये। पिताजी को पढ़ने–लिखने का बहुत शौक था, सारा दिन वे या तो कोई किताब पढ़ते रहते थे या फिर कुछ लिखते रहते थे। आज पिताजी को याद करते हुए अपने जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में कुछ लिखना शुरू किया है।

आज के भाग–दौड़ के जीवन में हम अपने बच्चों को समय न दे पाने के कारण स्वयं को अपराधी महसूस करते हैं परन्तु ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को कुछ सिखा नहीं पा रहे हैं, वे तो जन्म के बाद से ही हमसे कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। हमारे संस्कार, आचरण, जीवन शैली और जीवन मूल्य कहीं न कहीं उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों के सामने बैठकर उन्हें ज्ञान की बातों का बखान करना या कोई भाषण देना ज़रूरी नहीं है, वे तो हमारे आचरण–व्यवहार, बातचीत के लहज़े, कार्य–पद्धति आदि से ही जीवन का ज्ञान प्राप्त करते हैं।

यह सब लिखने का तात्पर्य केवल इतना है कि आज जीवन के इस पड़ाव पर यह महसूस होता है कि जाने–अनजाने हमारे माता–पिता हमें क्या कुछ सिखा गए जो आज भी हमारे जीवन में काम आता है। हमारे व्यक्तित्व में उनकी छाया नज़र आती है।

जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पिताजी को पढ़ने–लिखने का बहुत शौक था। वे अंग्रेज़ी और उर्दू के समाचार–पत्र और किताबें पढ़ते थे। जहाँ से भी कुछ अच्छा पढ़ने को मिलता, वे उसे कॉपी में अपनी लिखाई में उतार लेते। उनके पास तीन तरह की स्याही वाले पेन होते थे–लाल,नीला और हरा। कुछ समाचार पत्रों से, कुछ पत्रिकाओं से जहाँ से भी उन्हें कुछ अच्छा मिल जाता वे फौरन उतार लेते और कॉपियाँ भर गईं थीं लिखते–लिखते। तब उन्होंने एक विवरण तालिका (index) बनाई और उसमें कॉपियों को नम्बर देकर उनका विवरण लिखा कि किस कॉपी में क्या है। हमारा काम कॉपियों पर जिल्द चढ़ाकर पुराने कैलेंडर से नम्बर काट कर कॉपियों पर चिपकाना था। आज भी एक कमरा उनकी किताबों से भरा है और मेरे भाई ने अभी तक पिताजी की सब किताबें और कॉपियाँ सहेजकर रखी हैं। जब समय मिलता है तो हम वहाँ से उनकी कापियाँ निकालकर पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने हरे, नीले और लाल पेन से अपनी सुन्दर लिखावट में न जाने कितने अंग्रेज़ी और उर्दू के लेख, कहाँ–कहाँ से उतार कर रखे हैं।

आज सोचती हूँ कि इस काम को देखकर हमने कुछ न कुछ तो सीखा ही है। कहीं न कहीं हमें हर काम को सुचारू रूप से व्यवस्थित करना तो आया ही है। हमारे जीवन में उन्होंने हमें व्यवस्थित रूप से अपना काम करना तो सीखा ही दिया।

ऐसे ही एक और बात याद आती है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया था। जब हम छोटे थे तब हमारे पिताजी हमें साइकिल से स्कूल से लेकर आते थे। मुझे याद है रास्ते में एक कोयले की टाल (दुकान) हुआ करती थी। एक बार दुकान का मालिक अपने यहाँ काम करने वाले लड़के को बुरी तरह डाँट रहा था और वह लड़का मानसिक रूप से कुछ बीमार लग रहा था क्योंकि वह बस हँसे जा रहा था। ऐसे ही हर दूसरे–तीसरे दिन दुकान का मालिक कभी उस लड़के पर हाथ उठाता हुआ नज़र आता तो कभी बुरी तरह डाँटता हुआ। वह लड़का बड़ी–बड़ी बोरियाँ उठाता और मालिक उससे कुछ ज़्यादा ही बोझा उठवाता था।

पिताजी ने आसपास की दुकानों से पता किया तो पता चला कि उस लड़के की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वह अनाथ है। पिताजी ने मुझे बताया कि जो लोग मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनमें शारीरिक क्षमता ज़्यादा होती है और उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि वे कितना बोझा उठा रहे हैं और कौन उन्हें डाँट रहा है और

*सहायक कुलसचिव, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली–25

कौन प्यार कर रहा है। अगले दिन जब रास्ते में वह लड़का बोझा उठाते हुए मिला तो पिताजी ने उसे रोका और मुझे प्यार से समझाते हुए कहा कि अब हम थोड़ी दूर पैदल चलते हैं, पिताजी ने उसकी बोरी साइकिल पर रखी और हम तीनों पैदल ही दुकान तक गये। उस लड़के को कुछ पता नहीं था इसलिए रास्ते भर मस्त सा चलता रहा। दुकान पहुँचकर पिताजी ने दुकानदार को बहुत डाँट लगाई कि इस लड़के से उतना ही काम लो जितना वो कर सके, उसकी मानसिक हालत का फायदा मत उठाओ। इतनी लताड़ सुनने के बाद दुकानदार थोड़ा शर्मिन्दा हुआ। पिताजी ने कहा कि इस लड़के का कुछ काम अगर रह जाता है तो मैं कर दिया करूँगा और रोज़ शाम को उसको मिलने आऊँगा। अब पिताजी कभी–कभी उसकी पीठ से बोझा उतारकर उसका काम भी पूरा करते। दुकानदार कहता कि बाबूजी अब मैं इसका ख़्याल रखता हूँ तब भी पिताजी बराबर उसकी ख़ैर–ख़बर रखते थे।

अब सोचो तो लगता है कि इस घटना से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा होगा। शायद हमने मनुष्य के जीवन मूल्य को समझा होगा और हमारे मन में सहायता की भावना पनपी होगी। आज भी हमारे मन की वह भावना कहीं न कहीं से प्रकट होकर हमें दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा देती होगी।

ऐसे ही न जाने कितने प्रसंग होते हैं, जो हमारे जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। पिताजी की भी कितनी बातें जीवन के हर मोड़ पर याद आती हैं और हम उन्हें जाने–अनजाने ही अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं।

इसलिए हमें अपने जीवन को अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण बनाना चाहिए। वे हमसे ही बहुत कुछ सीखते हैं। उनका आने वाला जीवन भी कहीं न कहीं हमारी जीवन–शैली से ही प्रभावित होता है। अपने बच्चों के लिए पैसा, ज़मीन–जायदाद तो सब छोड़ जाते हैं पर हम कुछ ऐसा छोड जाएँ कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने में कुछ योगदान दे सकें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा।

*****

जीवन

– डॉ. मुकेश कुमार मिरोठा*

मैं होना चाहता हूँ
भावुक
डूब जाना चाहता हूँ
संवेदनाओं के निस्सीम समंदर में
जानना चाहता हूँ परिधि
मेरे, उसके सम्बन्धों की उड़ान की
तन और मन की क्षुधा के मध्य
झूलते निस्पंद क्षण की व्यथा
समझना चाहकर भी नहीं समझ पा रहा हूँ
चुप्पी, बेकरारी, धड़कने–तीव्र शून्य में अशून्य
शरीर–विज्ञान दर्शन की कैद में है अब
और मैं त्रिशंकु
जूझता हूँ उसी प्रश्न से निरंतर
अहर्निश
कि क्यों
मैं जीना चाहता हूँ फिर से।।

धड़कनें

सीधी सी बात है
उसकी परेशानी
मेरी परेशानी
दोनों बढ़ा देती है
किसी और की धड़कनें।
जंजाल है या स्वजाल
मुक्त हूँ पर
परतंत्रता का सूचक हूँ।

*सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली–25, मो0 9312809766
Email: mirothamukesh@yahoo.in

पागल महिला

— केशव दहिया*

एक झुकी सी बुजुर्ग सी महिला
भकभक अङ्डे पर बैठी थी
कभी रोती, कभी भीख माँगती
ना जाने किस बात पर ऐंठी थी
उसके सूखे फटे होंठों पर बड़बड़ाते शब्द
मैं बेबस होकर देख रहा था
मानो आज्ञा से बँधा घिरा लक्ष्मण
अपना अंर्तमन भेद रहा था
चाह कर भी कुछ न कर पाने की पीड़ा को
शायद मैंने उस दिन जाना था
भुखमरी पागलपन और गरीबी जैसी
कठिन परिस्थितियों को पहचाना था
उसकी काली कुरूप काया पर
एक मोटी सी शॉल इस कदर पड़ी थी
मानो गोरे रंग वाली अभिनेत्री
परदे पर बेखौफ खड़ी थी
पहनावे और मजबूरी के फर्क को
शायद मैंने उस दिन जाना था
शोभाचार, प्रचलन और आवश्यकता के
सही मायनों को पहचाना था
असमंजसता में फँसे हुए मन से
मैंने अपने बस्ते को उठाया
उसके भीतर खोज के देखा
मेवों वाला एक लड्डू पाया
लेकिन मैं डर रहा था, शरमाता था शायद
वो लड्डू उसको देने के लिए चलने में
क्योंकि वहाँ एकत्रित हर शख़्स की नजर थी उस पर
कोई चाय बेचता था तो कोई व्यस्त था समोसे तलने में
उस लड्डू को खाने के लिए
वो इस कद्र चीख रही थी
मानो रेगिस्तान के प्यासे को
मरिचिका दिख रही हो
पर उसे इस तरह अनदेखा कर रहे थे लोग
मानो कोई बैठा ही ना हो वहाँ

एक भूखी, अधनंगी, पागल महिला

काफी समय से पड़ी थी जहाँ
सब उसको बस देख रहे थे
अपनी आँखें सेक रहे थे
मानवता सब भूल गये थे
बस खुदगर्जी में झूल रहे थे
तभी एक अनजान आदमी के कदम तेजी से बढ़ने लगे
और उस औरत को चादर देने के लिए उसके हाथ झुके
उसे यह करता देख मेरे कदम भी खुद ब खुद चलने लगे
और यकायक उस महिला के पास थे जाकर रुके
मारे भूख के उस लडडू को
वो इस तरह खाने लगी
मानो सालों से बुझे दीपक में
स्नेह भरी एक ज्योत जगी
तभी कुछ पुलिसकर्मी और सेवक जन
उसके समीप आने लगे
कौन हो तुम कहाँ से आई हो
ऐसे तुच्छ प्रश्न उठने लगे
कुछ महिलायें सेवा संघ की
उसको कपड़े देकर बोल रही थी
पहनो इनको सर्दी काफी है
और वो गुस्से से खौल रही थी
फिर उन्होंने जबरदस्ती शुरू की
उसे वस्त्र पहनाने के लिए
और वो तैयारी में जुटी थी
वहाँ से भाग जाने के लिए
तभी यकायक वह एक चलती
लोहपथगामिनी में जा चढ़ी
और सारी भीड़ उसको बस
देखने लगी होकर खड़ी
जनता फिर उसके बारे में

*छात्र,एम.ए. (हिंदी), जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली–25

कुछ कुछ प्रतिक्रियाएँ देने लगी
और महिलाएँ तक उस मुद्दे का
भरपूर मजा लेने लगी

इससे अच्छा तो वो यहाँ बैठी थी
चुप थी शांत थी, रुकी हुई थी
अपने उस गन्दे मोटे शाल के नीचे
कमसकम किसी कदर ढकी हुई थी
वहीं भीड़ के अंदर से जब
एक शख़्स ने यह फरमाया
तो चाह कर भी मैं अपने आप को
यह पूछने से नहीं रोक पाया
कि यदि आपका जानवर बिरचा हो
और ठंड में भूखा खड़ा हो जाए
तो उसको समझा सहला कर खाना दें
या वहाँ से भागने दिया जाए
उस बेचारी पागल महिला
का भी तो वही हाल हो गया था
और मेरे प्रश्न का उत्तर
उसका पश्चात्ताप दे हुआ था
मानव के इस सूक्ष्म जीवन का
यदि तुम सुख भोग रहे हो
और मानवता का परम धर्म
तुम्हारे अंतर्मन में भरा हो
तो अपने इस पाक लहू से
उसका कर्ज चुका देना
किसी बेसहारा या पागल को
उसका मर्ज बता देना
किसी बेचारे बूढ़े यतीम की
यदि मदद तुम ना कर पाओ
तो बेशक आत्महत्या कर लो
मत धरती पर बोझ बढ़ाओ।।

*****

संस्कृत कविता

– प्रो. गिरीश चन्द्र पन्त *

हिन्दी प्रकोष्ठ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा मातृभाषा दिवस पर बहुभाषी कवि गोष्ठी एवं कहानी पाठ का आयोजन किया गया, जिसे सुनने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉ. राजेश कुमार, अध्यक्षा प्रो. हेमलता महीश्वर, संचालक श्री यशपाल जी, के अतिरिक्त हिन्दी के डॉ. मुकेश मिरोठा, डॉ. अपर्णा दीक्षित, मुकुल सिंह चौहान, शुभम शर्मा, आदिल अली, अदनान, ओड़िया के डॉ. सरोज महानंदा, मलयालम की शीला प्रकाश, उर्दू से सुरैया ख़ातून, सना परवीन, अंग्रेजी से सत्यप्रकाश प्रसाद और संस्कृत से डॉ. धनञ्जय मणि त्रिपाठी ने काव्यपाठ किया। इन सबका काव्यपाठ सुनते हुए वहीं पर इन सबके प्रति मेरे मन में जो भाव उत्पन्न हुए उन्हें मैंने सबके सामने रखा। राजेश जी ने इसे पत्रिका में छापने का अनुरोध किया, अतः उसमें बिना किसी परिवर्तन के यथारूप प्रस्तुत कर रहा हूँ:–

लतायाम् यथा शोभते हेमपुष्पम्,
राजपुष्पम् तथा राजते हिन्दशैले।
मुकेशो यथा गायते चित्रदेशे,
मिरोठा तथा शोभते काव्यदेशे ।।
चौहानवंशसमुद्भूतो मुकुलो तथा मुकुलायते ।
भारतरक्षणयोगेन सैनिको यथा तिरङ्गायते ।।
कथा प्रसंगेन सुमधुरा च वाणी।
भाषते आशुभं शुभम पण्डितः ।।
महानंदा यथा शोभते शतसरोजैः।
तथा इह सरोजा ओडिया भाषि मध्ये।।
चंद्रागते भातिऽऽकाश भाण्डम्।
मलयालमे भाति शीला प्रकाशम् ।।
सुरैय्या गायते उर्दू ख़ातून रूपाम्।
सना सनसनी गीत परवीन शोभाम्।
तीव्रः प्रकाशो यथा सूर्यमध्ये।
तथा आंग्लमध्ये तु सत्यप्रकाशः।।
पर्णानि त्यक्त्वा तपश्चारिका या
शिवं प्राप्य संपूजिता पार्वती सा।
अपर्णेति नामा सा तथा दीक्षिता
राजते जामिया मध्यगा सा शुभा ।।
न नादानो न बालोऽयम्।
वाणी ! तव अदनानोऽयम्।।
धनं राजते जामिया विद्यकोषे
मणिः राजते जामिया हृद्यकोषे ।
त्रिपाठी यथा राजते वेदकोषे
संस्कृतं राजते जामिया सुप्रदेशे ।।
संचालको यशःपालो यशःपालिका संस्कृतिः ।
श्रोत्रृवृन्दं तथा वन्द्यं, भारती भाति सत्कृतिः ।।
धन्यवादको इकबालो नाम गुणधर्मी सनातनः।
कर्मधर्म नितरां सेवी जामिया कुल कीर्तिमान्।।

*****

* विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली–25

मैं और प्रीतम

— सरफराज नवाज*

कोयल की वाणी की मिठास
कानों में रस घोले,
मूँगे से जब लाल अधर
प्रीतम मेरा खोले
बिखरे चारों ओर मधुर
मनमोहक संगीत
मन मेरा तब झूम उठे
गाये प्रेम के गीत
कितने सुंदर क्षण हैं ये
अद्भुत और अनमोल
अद्वितीय कितने हैं ये
प्रेम के मीठे–मीठे बोल
प्रेम की धारा नस–नस में
संचारित हो जाए
नैन मिलाकर प्रीतम देखे
हौले से मुस्काए
ईश्वर का उपहार है जीवन
जीवन का उपहार है प्यार
जिसको प्यार मिले प्रीतम का
मिल जाए उसको संसार।
क्षण है ये संसार से उत्तम
जब मैं हूँ और मेरा प्रीतम
क्षण ये क्षणिक है पर चिंता है
मन की मेरे बस इच्छा है
काश ये क्षण हो जाए अमर
कभी ये बीते, ना हो डर
साधारण ये क्षण बदले
क्षण हो जाए विचित्र
मैं और प्रीतम हो जाएं फिर
अमर प्रेम के चित्र।

कारण

एक दिन मैंने पूछ लिया था
उसकी व्यथा का कारण
मानो कारण का मैं सरल निवारण
रखता हूँ
अचंभित हो उसने देखा
माथे पर एक प्रश्न की रेखा
मानो मुझसे पूछ रहा हो
कैसे कारण बताऊँगा
कितने कारण गिनवाऊँगा
समझ गया मैं उसकी चिंता
भांप गया मन की व्यथा
बोला रख कंधों पर हाथ
ऐसी विशेष नहीं कोई बात
यूँ ही मैंने पूछ लिया था।

*पी.एचडी शोधार्थी, अंग्रेजी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली

अनुभूति

— सोमवीर शर्मा*

लिखता रहता हूँ मन ही मन में
अनुभूति के चित्रों को
जो दफन हो गई शायद
आवश्यकता भरे संसार में
सच की तरह
जिसको घेर लिया विज्ञान के डार्विन ने
मार्क्स या किसी दूसरे ने
ग्लोबलाइजेशन ने या
मीडिया के आतंक ने
आतंकवाद ने या अन्य वाद ने
या अन्य वादों ने
जो टूट गए हैं आपसी सहमति से
लगता है सच
अब पाले की लाइन छू नहीं पाएगा
उसकी कबड्डी की ललकार
सब तले दब गई है
क्योंकि ऐश के सिवाए
कोई तकलीफ़ नहीं अब तो।

चुनाव

जरूरी है चुनना,
हाँ शायद
कम से कम छोटे और बड़े में
अच्छे और बुरे में
खोटे और नए में
राजनैतिक चुनाव भी, व सांस्कृतिक चुनाव भी
लेकिन कैसे हो ये चुनाव
शुरू से ही चुनाव से
जीते आए हैं हम
जीत नहीं पाए लेकिन अभी तक
बिना चुनाव पसंद करके तो देखो
खूबसूरत हो जाएगा ये जहाँ
जहाँ से भी देखोगे बिना चुनाव के
चुनावी नज़र की आदत
ही गलत संस्कार है
फर्क डालती है ये अपनों में
क्या चुनाव किया था हमने
अपने माँ और बाप का
अगर होता ऐसा भी हमारी मर्ज़ी से
तो क्या ममता पनपती इस दुनिया में?
नज़र डालो ....
जिन रिश्तों का चुनाव किया था
वो कितनी बार बदले हैं
और कितने रहे हैं हमारे साथ...

*पी. एच. डी. शोधार्थी, अंग्रेजी विभाग,जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली

ख़त

— केशव दहिया*

क्या भूल हुई मुझसे ऐसी जो दूर हुए तुम फिरते हो
घर से बाहर सभागार में शूर हुए तुम फिरते हो
माँ बाप बच्चों और मुझसे दूर हुए क्यों फिरते हो
नारी जगत और नए विश्व के हूर हुए तुम फिरते हो
जन गण के तन मन में क्यों बसते तुम फिरते हो
विरह भरे मेरे सूने तन से क्यों बचते तुम फिरते हो
तारीफों के नश्वर अहंकार में चूर हुए क्यूँ फिरते हो
अवकाशों के अवसर पर भी मुझसे दूर हुए क्यूँ फिरते हो
बच्चों और बुजुर्गों को उपदेश तुम बतलाते हो
पर खुद पर रत्ती भर भी काबू क्यूँ नही कर पाते हो
शाम होते ही मस्त मदिरा महफ़िल में क्यों जाते हो
क्यों पीते हो जब बिना पिए भी संभल नही तुम पाते हो
वैसे तो त्रिलोकों में ख्याति तुम्हारी होती है
हर नर नारी हर घर बारी कायल तुम्हारी होती है
देश विदेशों में भी चर्चा खूब तुम्हारी होती है
पर वह आतुर अबला नारी रोज तुम्हारी रोती है
विवाह के पावन अवसर पर क्यों कसमें फिर खाई थी
एक हुए हैं एक रहेंगे क्यों आवाज लगाई थी
रिश्तेदारों और जानकारों से क्यूँ आशीष जुटाई थी
जब छोटी सी गलती पर भी करनी मेरी कुटाई थी
अपने स्वभिमान के अंदर तने बने तुम रहते हो
पर मुझसे जब भी बात करो क्यूँ अनमने तुम रहते हो
मुझ अबला नारी पर भी तुम हाथ उठाते हो
कभी हाथ से कभी लात से मुझको मार लगाते हो
क्या अच्छा है ये सब तुम कहना
मौन बनने से अब मत रहना
खुद को मेरी जगह रख कर बोलना
मेरे हक का इंसाफ तोलना
की यदि ऐसे ही मैं भी बाहर घर से रहने लग जाऊँ
और अवकाशों के अवसर पर भी कभी कभी ही घर में आऊँ
उस पर भी तुमको कपड़े देकर बोलूँ लो, धो देना
मैं सोती हूँ, भूल से भी मुझको अब तुम मत रो देना
तो क्या ये सब नाइंसाफी बर्दाश्त तुम कर पाओगे
क्या अब भी दूर रहोगे या फिर घर तुम आओगे?

* छात्र,एम.ए. (हिंदी), जामिया मिल्लिया इस्लामिया,
नई दिल्ली–25

आदमी

— डॉ. मुकेश कुमार मिरोठा*

क्यूँ, क्यूँ था बेखबर मैं
अपनी ही उदासी में छिपी उस मुस्कान से।
उस भयावह तम के बवंडर में
चिन्गारी के रूप में ज्वालामुखी
नष्ट कर दिया क्या उसने।
जगतविजेता स्पर्श की हल्की सी जुम्बिश में
कैसे जीवन की आपाधापी
बदल गई है, स्मित मुस्कान में।
अपने जीवन–मंदिर का स्वप्न
बाजार में खोया है, 'मॉल' में पाया है।
मृग–मरीचिका, नो मैन्स लैण्ड
स्मरण में चलचित्रों की अनवरत झाँकियाँ
रूकती उसके द्वार पर।
पाया था जहाँ मैंने कोमलता का पुरातन रूप
चला गया जिस तरफ से
अनाकर्षित, भद्दा, जुगुप्सा, अश्लील
पहचान दिलाते उनके उद्गार।
परिचित नहीं हूँ, परंतु अनभिज्ञ भी नहीं
सहसा उनका अवतरण
काँप उठी रूह, स्वप्न चकनाचूर।
नहीं–नहीं यह मेरा आश्रय नहीं
अनिकेत हूँ, श्रमण हूँ
पाया नहीं अभी मैंने आशीर्वाद।
खो गया मैं, बदल गया मैं
मेरा ही मेरा है, उलझन है, बिखराव नहीं।
मेरी व्याकुलता के प्रत्युत्तर में
अबूझ प्रश्न सा जड़वत् स्थिर
शिलाओं के सीने में यांत्रिक क्रिया
उद्दाम प्रवाह सा, अविरल आलोक
नहीं समझना–समझाना चाहता मैं
अपनी सत्ता को बाँटना, स्वीकार्य नहीं, कदापि नहीं
इतिहास लौट आया है, परंतु
मैं अभी भी वहीं हूँ, निश्चल
आदमी।

*सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया,
नई दिल्ली–25, मो0 9312809766

राजभाषा हिंदी प्रकोष्ठ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम

कार्यक्रम	अवसर / उपलक्ष्य	दिनांक	विषय	वक्ता
यूनिकोड ट्रेनिंग		10.09.2014	यूनिकोड ट्रेनिंग	
राजभाषा हिंदी संगोष्ठी एवं प्रमाणपत्र वितरण समारोह		29 सितम्बर, 2014	राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार की व्यावहारिक समस्या	डॉ. विचारदास सुमन, निदेशक (से.नि.) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो प्रो. एम.पी. शर्मा, संकाय सदस्य, हिंदी विभाग, जामिइ
हिन्दी कार्यशाला एवं संगोष्ठी		19 दिसम्बर, 2014	राजभाषा संबंधी नीति–नियम और उनका कार्यान्वयन	श्रीमती सुनीति शर्मा, उपसचिव (हिन्दी), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार
			राजभाषा के कार्यान्वयन में अनुवाद की भूमिका	श्री सत्येन्द्र सिंह, सहायक निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, भारत सरकार
व्याख्यान एवं पुरस्कार वितरण समारोह	विश्व हिंदी दिवस	09 जनवरी, 2015	संघ की राजभाषा नीति–नियम और अधिनियम	श्री भूपेन्द्र सिंह, उप–निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, गृह मंत्रालय
			हिन्दी में शब्द भंडार की समस्या	प्रो. हेमलता महिश्वर, संकाय सदस्य, हिन्दी विभाग, जामिइ
हिन्दी कार्यशाला एवं संगोष्ठी		24 जून, 2015	यूनिकोड : प्रयोग और संभावनाएं	विक्रम सिंह, प्राध्यापक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान
			हिन्दी और हिन्दीतर भाषाओं में सेतु निर्माण के संदर्भ	डॉ. चन्द्रदेव यादव, हिन्दी विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया
निबन्ध प्रतियोगिता	हिंदी दिवस	03.09.2015		
हिंदी कार्यशाला एवं पुरस्कार वितरण समारोह		30 सितम्बर, 2015	वर्तमान संदर्भ में राजभाषा की स्थिति	डॉ. कृष्ण कुमार कौशिक
यूनिकोड प्रशिक्षण एवं कार्यशाला		17.12.2015	यूनिकोड	श्री आनंद कुमार सोनी सहायक कुलसचिव (राजभाषा) दिल्ली विश्वविद्यालय
		17.12.2015	अल्पसंख्यक संस्थानों में राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन	श्री संदीप जैन उप–सचिव एनसीएमईआई मानव विकास संसाधन मंत्रालय

राजभाषा हिंदी प्रकोष्ठ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम

व्याख्यान एवं प्रमाण–पत्र वितरण समारोह	विश्व हिंदी दिवस	11 जनवरी, 2016	ज्ञान निर्माण में हिंदी की भूमिका	प्रो. हेमलता महिश्वर, संकाय सदस्य, हिन्दी विभाग, जामिइ
राजभाषा हिंदी संगोष		02 जून, 2016	व्यापार एवं कारोबार की भाषा के रूप में हिंदी	श्री रविप्रकाश जायसवाल, सहायक महाप्रबंधक, केनरा बैंक, नई दिल्ली
			राजभाषा कार्यान्वयन और अनुवाद	डॉ. राकेश कुमारी, उप–निदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
वाक्यांश लेखन प्रतियोगिता/निबंध प्रतियोगिता	हिंदी दिवस	08.09.2016		
व्याख्यान एवं पुरस्कार वितरण समारोह	विश्व हिंदी दिवस	10 जनवरी, 2017	मीडिया के माध्यम से हिंदी का प्रचार–प्रसार	श्री ओंकारेश्वर पांडे, वरिष्ठ पत्रकार
			मीडिया के माध्यम से हिंदी का प्रचार–प्रसार	प्रो. के.के. कौशिक, हिंदी विभाग, जामिइ
व्याख्यान एवं हिंदी साहित्यिक कृतियों पर आधारित कलाकृतियों की प्रदर्शनी	हिंदी दिवस	14 सितंबर, 2017	भारतीय भाषाओं की वर्तमान स्थिति	पद्मा सचदेव, प्रसिद्ध साहित्यकार
			हिंदी साहित्यिक कृतियों पर आधारित कलाकृतियों	श्री मंजीत सिंह
हिंदी व्याख्यान	विश्व हिंदी दिवस	10.01.2018	वैश्वीकरण के दौर में हिंदी	डॉ. गंगा सहाय मीणा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
बहुभाषी कवि गोष्ठी एवं कहानी पाठ	मातृभाषा दिवस	21.02.2018	बहुभाषी कवि गोष्ठी एवं कहानी पाठ	***हिंदी:*** मुकेश कुमार मिरोठा, प्रो. हेमलता महिश्वर, अपर्णा दीक्षित, आदिल अली, मुकुल सिंह चौहान, शुभम पांडे, अदनान कफ़ील दरवेश ***भोजपुरी:*** डॉ. राजेश कुमार 'माँझी' ***उर्दू:*** सुरैय्या खातून, सना परवीन ***ओड़िया:*** डॉ. सरोज कुमार महानंदा ***अंग्रेज़ी:*** डॉ. सत्यप्रकाश प्रसाद ***मलयालम:*** शीला प्रकाश ***संस्कृत:*** प्रो. गिरीश चंद्र पंत, डॉ. धनंजय मणि त्रिपाठी, ***छत्तीसगढ़ी:*** प्रो. हेमलता महिश्वर ***ब्रजभाषा:*** यशपाल

मातृभाषा दिवस, दिनांक 21 फरवरी 2017

हिंदी कार्यशाला एवं संगोष्ठी, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

हिंदी कार्यशाला एवं संगोष्ठी, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

विश्व हिंदी दिवस, दिनांक 10 जनवरी, 2018

विश्व हिंदी दिवस समारोह, दिनांक 11 जनवरी, 2016

मातृभाषा दिवस, दिनांक 21 फरवरी 2017

विश्व हिंदी दिवस, दिनांक 10 जनवरी 2017

मातृभाषा दिवस, दिनांक 21 फरवरी, 2018

विश्व हिंदी दिवस, दिनांक 21 फरवरी 2018

मातृभाषा दिवस, दिनांक 21 फरवरी 2017

ए.पी. सिद्दिक़ी, कुलसचिव, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मौलाना मौहम्मद अली जौहर मार्ग, नई दिल्ली-110025 द्वारा प्रकाशित
संपादक : डॉ. राजेश कुमार 'माँझी'
मुद्रक : मकतबा जामिया लिमिटेड, नई दिल्ली-110025